ग्रामीण विकास
को समर्पित

कुरुक्षेत्र

वर्ष 57 अंक : 5 मार्च 2011 मूल्य : ₹10

खाद्य सुरक्षा

प्रिय उपभोक्ता, खरीदारी के समय निम्न की अवश्य जांच करें :–

उत्पाद का नाम व विवरण	निर्माता/पैकर का नाम व पता
शुद्ध वजन मात्रा	उत्पाद निर्माण की तिथी/एक्सपायरी तिथी
एमआरपी (अधिकतम खुदरा मूल्य)	शिकायत के लिये नाम, पता, हेल्पलाइन नम्बर व ईमेल

Sharad

अगर पैकेट पर उपरोक्त जानकारी नहीं है तो अपने राज्य के विधिक माप विज्ञान नियंत्रक/निरीक्षक से संपर्क करें।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें : www.fcamin.nic.in

उपभोक्ता! किसी सहायता/स्पष्टीकरण हेतु :
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्प लाइन नं. 1800114000 पर मुफ्त कॉल करें।
(टोल फ्री : सोमवार–शनिवार प्रातः 9.30 बजे से सायं 5.30 बजे) :
011-27662955, 56, 57, 58 (सामान्य कॉल दरें लागू)

जनहित में जारी :
भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग
कृषि भवन, नई दिल्ली – 110 001

सत्यमेव जयते

KH-3/11/2

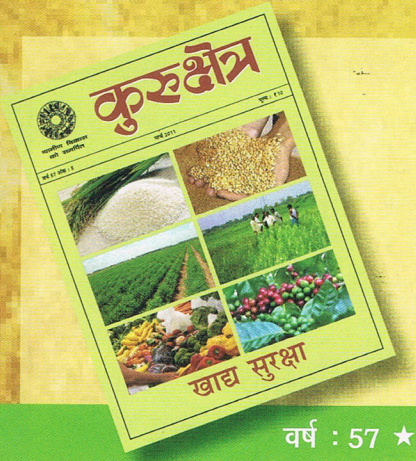

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख मासिक पत्रिका

वर्ष : 57 ★ मासिक अंक : 5 ★ पृष्ठ : 48 ★ फाल्गुन–चैत्र 1932 ★ मार्च 2011

प्रधान संपादक
नीता प्रसाद
वरिष्ठ संपादक
कैलाश चन्द मीना
संपादक
ललिता खुराना
संपादकीय पत्र–व्यवहार
वरिष्ठ संपादक,
कमरा नं. 655, 'ए' विंग,
गेट नं. 5, निर्माण भवन
ग्रामीण विकास मंत्रालय
नई दिल्ली–110 011
दूरभाष : 23061014, 23061952
फैक्स : 011–23061014, तार : ग्राम विकास
वेबसाइट : Publicationsdivision.nic.in
ई–मेल : kuru.hindi@gmail.com
संयुक्त निदेशक
जे.के. चन्द्रा
व्यापार प्रबंधक
सूर्यकांत शर्मा
दूरभाष : 26105590, फैक्स : 26175516
ई–मेल : pdjucir_jcm@yahoo.co.in
आवरण एवं सज्जा
संजीव सिंह और रजनी दवे

मूल्य एक प्रति	:	10 रुपये
वार्षिक शुल्क	:	100 रुपये
द्विवार्षिक	:	180 रुपये
त्रिवार्षिक	:	250 रुपये
विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)		
पड़ोसी देशों में	:	530 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	730 रुपये (वार्षिक)

इस अंक में

खाद्य सुरक्षा कानून से घटेगी गरीबी — साधना यादव — 3

जैविक खेती : खाद्य सुरक्षा की सुनिश्चितता — जितेन्द्र द्विवेदी — 8

खाद्य सुरक्षा की सुदृढ़ स्थिति एक चुनौती — बृजेश कुमार — 12

टिकाऊ खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता एवं रणनीति — डॉ. सरजू नारायण — 15

''बचाना होगा हर दाना'' खाद्य सुरक्षा पर प्रगतिशील किसान से साक्षात्कार — संगीता यादव — 21

खाद्य सुरक्षा की ओर बढ़ते कदम — डॉ. सुरेन्द्र कटारिया — 26

खाद्य सुरक्षा की दिशा में सार्थक प्रयास — डॉ. श्याम सुन्दर सिंह चौहान — 30

सिंघाड़े की खेती में अपार संभावनाएं — डॉ. एन.के. सिंह — 36

स्वास्थ्यवर्धक औषधि नींबू — डॉ. हर्षलता राम — 42

पुरुषार्थी कृषक महिला मंजू लोधा — घनश्याम वर्मा — 45

कुरुक्षेत्र की एजेंसी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में व्यापार प्रबंधक, (वितरण एवं विज्ञापन) प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से पत्र–व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए सहायक विज्ञापन प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से संपर्क करें। दूरभाष : 26105590, फैक्स : 26175516

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो।

संपादकीय

स्वतंत्रता के बाद से आज तक सभी के लिए 'खाद्य सुरक्षा' एक राष्ट्रीय उद्देश्य बन चुका है। जहां पहले 'खाद्य सुरक्षा' से तात्पर्य पेटभर रोटी उपलब्ध होने से था वही आज 'खाद्य सुरक्षा' से आशय भौतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थितियों की पहुंच, संतुलित आहार, साफ पीने का पानी, स्वच्छ वातावरण एवं प्राथमिक स्वास्थ्य रखरखाव तक जा पहुंचा है।

भारतीय संविधान की धारा 47 में यह प्रावधान है कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि आहारों की पौष्टिकता में वृद्धि करने तथा सभी का जीवन स्तर ऊपर उठाने व प्राथमिक स्वास्थ्य में सुधार लाने जैसे काम उसकी प्राथमिकताओं में होंगे। इसके तहत खाद्य सुरक्षा में पौष्टिक व कैलोरी युक्त खाद्यान्नों की आपूर्ति स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराई जाएगी। देश के 10 राज्यों ने बेहतर खाद्य सुरक्षा योजनाओं को लागू भी कर दिया है। अब केंद्र सरकार इसे पास कर रही है। निश्चित रूप से इस बिल को लागू किए जाने से न सिर्फ भुखमरी की समस्या खत्म होने की उम्मीद है बल्कि देश की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा।

सरकार एक अप्रैल 2011 से नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है। इसके तहत पिछड़े जिलों और ब्लॉक में रहने वाले गरीबों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के परिवारों को हर महीने तीन रुपये प्रति किग्रा. की दर से चावल एवं दो रुपये प्रति किग्रा. की दर से गेहूं उपलब्ध कराया जाएगा। पहले चरण में यह व्यवस्था देश के 46 फीसदी ग्रामीणों और 28 फीसदी शहरी परिवारों को देने की तैयारी है। प्रति परिवार हर माह 35 किग्रा. अनाज मुहैया कराए जाने के बाद उसकी मॉनीटरिंग की जाएगी। ग्रामीणों के साथ ही शहरी इलाकों में झुग्गी–झोपड़ियों में रहने वालों को भी हर माह तीन रुपये प्रति किग्रा. की दर से 35 किग्रा. अनाज दिया जाएगा।

खाद्यान्न सुरक्षा के लिए प्रस्तावित कानून के निर्माण एवं क्रियान्वयन से पूर्व सुधारों के साथ 'दूसरी हरित क्रांति' को भी तेजी से लागू किया जाना अपेक्षित है ताकि खाद्यान्न उत्पादन भी बढ़े। इसी प्रकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भी सुदृढ़, विश्वसनीय एवं कुशल बनाना आवश्यक है ताकि भुखमरी के दायरे से बाहर आई भारतीय निर्धन जनता नौकरशाही के झंझटों से न घिर जाए।

कृषि मंत्रालय की ओर से वर्ष 2012 तक देश में खाद्यान्न की मांग में 2.50 करोड़ टन की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए गेहूं का उत्पादन 8 चावल का 10 और दालों का दो मिलियन टन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार की ओर से इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 25 हजार करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की घोषणा की गई है। यदि हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहे तो निश्चित रूप से गरीबी दूर करने की दिशा में एक बेहतर कदम होगा।

भारत सरकार ने देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2007 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की भी स्थापना की है। यह मिशन बेहद कामयाब साबित हो रहा है। इस योजना के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 4882.48 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत किसानों को बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। 'खाद्य सुरक्षा' के दृष्टिकोण से इस समय देश में सहकारी समितियां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। तमिलनाडु में 94 प्रतिशत राशन की दुकानें सहकारी समितियों के द्वारा संचालित की जा रही हैं। हाल ही में सरकार ने खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्चस्तरीय मंत्रिमंडलीय समिति का भी गठन किया है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय किसान पहले की अपेक्षा काफी जागरूक हो गए हैं। बीज, खाद, पानी और मड़ाई के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों से भी वे वाकिफ हैं। यही वजह है कि उत्पादन बढ़ रहा है। किसानों की कड़ी मेहनत और कृषि वैज्ञानिकों के निरंतर सहयोग के कारण भारतीय खेती पहले की अपेक्षा ज्यादा समृद्ध हुई है।

कृषि वैज्ञानिक डा. एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग (2004–06) की रिपोर्ट के मद्देनजर भी सरकार ने कई कदम उठाए हैं जो खाद्य एवं कृषक सुरक्षा हेतु मील का पत्थर का साबित होंगे। राष्ट्रीय कृषि नवोन्वेषी परियोजना, राष्ट्रीय कृषि विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय उद्यान मिशन, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), सूक्ष्म सिंचाई योजना, मानव संसाधन विकास प्रशिक्षण, एग्रीक्लीनिक आदि कार्यक्रमों का भी संचालन हो रहा है। इसके साथ ही भारत ही नहीं वरन् विश्व के विभिन्न देशों में कृषि व पोषण से जुड़े संस्थान तथा अंतर्राष्ट्रीय शोध व विकास संगठन के वैज्ञानिक, प्रशासक व राजनेता इस दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में कम से कम कोई जीवन भूख की वजह से समय से पहले मुरझाए नहीं।

देश में हर व्यक्ति को भरपूर अनाज उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा पर ध्यान देना जरूरी है। चूंकि जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन खेती योग्य जमीन नहीं बढ़ रही है। कई प्रदेशों में खेती योग्य जमीन धीरे-धीरे कम होती जा रही है। इसका प्रमुख कारण औद्योगिक विकास और बढ़ता शहरीकरण भी है। इसलिए हमें कम भूमि में अधिक अन्न उपजाने के साथ ही खाद्य सुरक्षा पर ध्यान देना होगा। केंद्र सरकार की भी कोशिश है कि खाद्य सुरक्षा पर अधिक जोर दिया जाए। साथ ही हर व्यक्ति को हर माह निम्नतम जरूरत के खाद्यान्न भी मिलें। यही वजह है कि सरकार की ओर से बाकायदा खाद्य सुरक्षा बिल लाया गया है। संसद में राष्ट्रपति द्वारा की गई घोषणा के अनुसार केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को अमलीजामा पहनाने में जुटी है।

खाद्य सुरक्षा कानून से घटेगी गरीबी

साधना यादव

केंद्र सरकार हर व्यक्ति को खाद्य सुरक्षा कानून के जरिए आवश्यकता के अनुरूप खाद्यान्न प्राप्त करने की एक तरह से गारंटी दे रही है। इस कानून से खाद्य सुरक्षा की दिशा में नया आयाम हासिल होगा। साथ ही कुपोषण, भुखमरी की नौबत नहीं आएगी।

इस कानून के बाद गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों को प्रति माह 35 किलो गेहूं दो रुपये की दर से अथवा इतना ही चावल तीन रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराने की तैयारी है। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने खाद्य सुरक्षा विधेयक के प्रावधानों पर मुहर लगाते हुए भरोसा जताया है कि इससे गरीबों को काफी लाभ मिलेगा।

भारत में हमेशा खाद्य सुरक्षा के मुद्दे पर गंभीरता दिखाई गई। यही वजह है कि वर्ष 1960 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ी उसके हिसाब से हमने अन्न भी उपजाए, लेकिन भुखमरी खत्म नहीं हुई। हरित क्रांति के बाद सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अन्तोदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना आदि योजनाएं लागू की। इसके अलावा काम के बदले अनाज योजना के जरिए भी मजदूर तबके को राहत देने की कोशिश की गई। फिर भी स्थिति में उम्मीदों के अनुरूप सुधार नहीं हुआ। इसका बारीकी से अध्ययन किया जाए तो यह बात सामने आती है कि इन योजनाओं में किसी न किसी स्तर पर खामियां रह गई थी। संभव है कि इनके क्रियान्वयन में कहीं से चूक रह गई है। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ही अब खाद्य सुरक्षा कानून पेश किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि देश में खाद्यान्न से जुड़ी विभिन्न योजनाओं में किस तरह की बंदरबांट हुई है, उससे सरकार अवगत नहीं है। बल्कि यह कहा जाए कि खाद्यान्न घोटाले की

पुनरावृत्ति न होने पाए, इसी वजह से सरकार को खाद्य सुरक्षा कानून बनाने की जरूरत महसूस हुई।

भारतीय संविधान की धारा 47 में यह प्रावधान है कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि आहारों की पौष्टिकता में वृद्धि करने तथा सभी का जीवन स्तर ऊपर उठाने व प्राथमिक स्वास्थ्य में सुधार लाने जैसे काम उसकी प्राथमिकताओं में होंगे। इसके तहत खाद्य सुरक्षा में पौष्टिक व कैलोरीयुक्त खाद्यान्नों की आपूर्ति स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराई जाएगी। केंद्र की तुलना में देश के 10 राज्यों ने तो प्रस्तावित कानून से बेहतर खाद्य सुरक्षा योजनाओं को लागू भी कर दिया है। अब केंद्र सरकार इसे पास कर रही है। निश्चित रूप से इस बिल को लागू किए जाने से न सिर्फ भुखमरी की समस्या खत्म होने की उम्मीद है बल्कि देश की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। कृषि मंत्रालय की ओर से वर्ष 2012 तक देश में खाद्यान्न की मांग में 2.50 करोड़ टन की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए गेहूं का उत्पादन आठ, चावल का 10 और दालों का दो मिलियन टन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार की ओर से इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 25 हजार करोड़ के विशेष पैकेज की घोषणा की गई है। यदि हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहे तो निश्चित रूप से गरीबी दूर करने की दिशा में एक बेहतर कदम होगा। हालांकि सरकार की ओर से हमेशा लोगों को कम से कम खाने भर का अनाज देने की कोशिश की गई है।

विभिन्न योजनाओं के जरिए हम खाद्य पदार्थों को उपलब्ध तो कराएं, लेकिन उनकी सुरक्षा में कुछ ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। इसके पीछे एक बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन रहा तो दूसरी तरफ बढ़ता शहरीकरण। शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण कृषि भूमि का क्षेत्रफल जहां 1951 में प्रति व्यक्ति 0.46 हेक्टेयर था वहीं वर्ष 2001–02 में यह 0.16 हेक्टेयर तक पहुंच गया। इतना ही नहीं कृषि योग्य भूमि का सिर्फ 40 फीसदी ही सिंचित है बाकि 60 फीसदी कृषि भूमि वर्षा जल पर निर्भर है। यदि बारिश नहीं हुई तो यहां खेती करने की गुंजाइश न के बराबर रहती है। इस तरह देखा जाए तो देश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जहां 328.73 मिलियन हेक्टेयर है, उसमें खेती सिर्फ 114.89 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल पर होती है। इसके अलावा करीब 55.27 मिलियन हेक्टेयर भूमि अभी भी बंजर पड़ी हुई है। फिलहाल किसानों को खेती की और आकर्षित किए जाने की सख्त जरूरत है। कुछ दिन पहले नेशनल सर्वे आर्गेनाइजेशन (एनएसएसओ)की ओर से कराए गए सर्वे में यह बात सामने आई कि अब 40 फीसदी किसान खेती को घाटे का सौदा बताते हैं। आठ फीसदी इसे जोखिम भरा मानते हैं। उन्होंने इसके पीछे कारण दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य गेहूं, चावल, कपास आदि पर ही लागू होने के कारण उन्हें समस्या होती है। इस सर्वे में यह बात भी सामने आई कि फसल बीमा का लाभ सिर्फ चार फीसदी किसानों तक ही पहुंच पाता है। 57 फीसदी किसान तो यह जानते ही नहीं हैं कि फसल बीमा भी कराया जाता है। इसलिए खाद्य सुरक्षा बिल में इस पहलू को भी शामिल किया जा रहा है। देश में खाद्यान्न के वितरण एवं रखरखाव की जिम्मेदारी भारतीय खाद्य निगम को सौंपी गई है। वर्ष 1965 में स्थापित निगम खाद्य सामग्री को क्रय करने, भंडारण, वितरण एवं बिक्री की व्यवस्था देखता है।

फिलहाल एक अप्रैल 2011 से नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। इसके तहत पिछड़े जिलों और ब्लॉक में रहने वाले

गरीबों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के परिवारों को हर महीने तीन रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल एवं दो रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं उपलब्ध कराया जाएगा। पहले चरण में यह व्यवस्था देश के 46 फीसदी ग्रामीणों एवं 28 फीसदी शहरी परिवारों को देने की तैयारी है। प्रति परिवार हर माह 35 किलोग्राम अनाज मुहैया कराए जाने के बाद उसकी मॉनीटरिंग की जाएगी। ग्रामीणों के साथ ही शहरी इलाकों में झुग्गी–झोंपड़ियों में रहने वालों को भी हर माह तीन रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 35 किलोग्राम अनाज दिया जाएगा। हालांकि अभी सिर्फ अनाज की व्यवस्था की जा रही है। बाद में इस कानून के तहत दूसरी चीजों को भी शामिल किया जा सकता है क्योंकि सिर्फ अनाज की व्यवस्था करने से लोगों की जरूरतें पूरी नहीं हो पाएंगी। लोगों को अन्न के साथ ही दाल, तेल आदि की भी जरूरत पड़ेगी।

गरीबी मिटाने हेतु खाद्यान्न संबंधी निम्न बिंदुओं पर ध्यान देने की जरूरत

लाभार्थी चयन में सावधानी

करीब एक अरब से अधिक आबादी वाले भारत में अभी भी 37 फीसदी लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। इनमें से 22 फीसदी ग्रामीण और शेष 15 फीसदी शहरी आबादी शामिल है। हमारे देश में विभिन्न कारणों से भिन्न–भिन्न राज्यों में गरीबी का औसत भी अलग–अलग है। बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश में आधे से भी ज्यादा आबादी गरीब है, जबकि दिल्ली और पंजाब में बहुत कम गरीब हैं। एक सर्वे में यह बात सामने आई कि ग्रामीण क्षेत्र के आधे से अधिक दैनिक मजदूरों को अभी तक बीपीएल कार्ड नहीं मिला है। बिहार में 71 तो उत्तर प्रदेश में 73 फीसदी गरीब बीपीएल कार्ड से वंचित हैं। ऐसे में हर व्यक्ति को कार्ड उपलब्ध कराने की चुनौती भी स्वीकार करनी होगी। चूंकि हमारी पंचवर्षीय योजनाएं भी रोटी और मकान जैसी मूलभूत जरूरतों को हर भारतीय तक पहुंचने में नाकाम रही हैं। ये योजनाएं सिर्फ सरकारी फाइलों में ही दबकर रह गई हैं। ऐसी योजनाएं बनाने और लागू करने के बावजूद सरकार को अच्छी तरह पता है कि गरीबों तक ये योजनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। इसीलिए इसमें भी विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।

बीज अधिनियम की जरूरत

भारतीय कृषि शोध परिषद के मुताबिक वर्ष 2009 के दौरान देश में कुल 10 करोड़ टन चावल का उत्पादन हुआ था। वर्ष 2020 में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए देश को 13 करोड़ टन चावल की जरूरत होगी। वहीं, दस साल बाद 11 करोड़ टन गेहूं की आवश्यकता पड़ेगी। वर्ष 2009 के दौरान देश में महज आठ करोड़ टन गेहूं की पैदावार हुई थी। इसके साथ ही देश में वर्ष 2020 तक दलहन और तिलहन की भी खासी कमी महसूस की जाएगी। इस दौरान दालों की मांग में 140 फीसदी और तिलहन की मांग में 243 फीसदी की बढ़ोतरी हो जाएगी। इतना ही नहीं परिषद ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि वर्ष 2020 तक सूखा और दूसरे कारणों से चावल की खेती में 15–42 फीसदी तक की कमी हो सकती है। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र के कुल राजस्व में भी 12.3 फीसदी की गिरावट हो सकती है। पर्यावरणीय प्रभाव भी कृषि क्षेत्र पर बुरा असर डाल सकते हैं। परिषद के अनुमान के मुताबिक वर्ष 2020 तक तापमान में दो डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी और वर्षा का प्रतिशत सात फीसदी कम हो सकता है। इसीलिए अब बीज अधिनियम को पारित करने की जरूरत समझी जा रही है। अधिनियम में सभी किस्मों के बीजों का अनिवार्य पंजीकरण

प्रावधान, बीज प्रमाणन का परिचालन और नेशनल सीड बोर्ड की स्थापना जैसे कई प्रस्ताव रखे गए हैं।

एकीकृत खाद्यान्न बजट जरूरी

बदलते परिवेश में यह जरूरत महसूस की जा रही है कि खाद्यान्नों की स्थायी आपूर्ति व्यवस्था बनाई जाए। इसके बिना प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा अधिनियम भी अपने उद्देश्यों की पूर्ति में विफल रहेगा। इसलिए पूरे देश के लिए एकीकृत खाद्यान्न बजट की आवश्यकता पर गंभीरता से विचार करना होगा। इस एकीकृत खाद्यान्न बजट की अवधारणा में दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा और मूल्य स्थिरता समाहित है जिनके प्रति जनसाधारण सदैव आशंकित रहता है। अमेरिका, आस्ट्रेलिया, कनाडा, म्यांमार जैसे खाद्यान्न बजट बनाने वाले देश गेहूं, चावल, दाल, चीनी आदि खाद्य वस्तुओं की खपत और मांग के अंतर पर नजर रखते हैं और उसी के अनुरूप अपने उत्पादन लक्ष्य तय करते हैं। इसलिए अब भारत में भी इसकी जरूरत महसूस की जा रही है। एकीकृत खाद्यान्न बजट सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए भी जरूरी है। खाद्यान्न बजट के आधार पर केंद्र पूरे देश के लिए विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन और उपलब्धता का आकलन करे। यदि मौसम की मार के कारण आपूर्ति और मांग का अंतर बढ़ता है, तो उसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ जाती हैं। इसलिए एकीकृत बजट की अवधारणा के तहत निजी, सार्वजनिक और सहकारिता क्षेत्रों द्वारा किए जा रहे आयात को एक ही एजेंसी के तहत विनियिमित करना होगा, ताकि समय पर मांग और आपूर्ति के अंतर को पाटा जा सके।

बफर स्टॉक बढ़ाना जरूरी

वैश्विक आर्थिक रुझानों व शोध से जुड़ी संस्था श्नोमूरा ग्लोबल इकोनॉमिक्स के अनुसार जिन खाद्य जिंसों का बफर स्टॉक नहीं रखा जाता, उनकी जमाखोरी होने लगती है। अभिजीत सेन समिति की सिफारिश में भी यह कहा गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्यान्नों, दालों, चीनी इत्यादि की उपलब्धता के लिए विभिन्न वस्तुओं के भंडारण व आयात का पूर्व अनुमान लगाना जरूरी होगा। ऐसे में बफर स्टॉक बनाए जाने की दिशा में पहले से ही रणनीति तैयार करनी होगी। इसके साथ ही खाद्यान्न के वायदा बाजार पर रोक लगानी होगी। अध्ययनों से यह निष्कर्ष उभरकर आया है कि देश में जब से कृषि जिंसों के कमोडिटी एक्सचेंज द्वारा वायदा कारोबार शुरू किया गया, तभी से खाद्यान्नों की कीमतों में बढ़ोतरी होती गई।

आठ राज्यों की गरीबी दूर करनी होगी

भारत के आठ राज्यों की गरीबी अफ्रीकी महाद्वीप के सबसे गरीब 26 देशों की गरीबी से ज्यादा है। यह बात भारत सरकार भी मानती है। ईश्वर लाल शंकर लाल जैन के सवाल के जवाब में योजना और संसदीय कार्य राज्यमंत्री वी. नारायण सामी ने राज्यसभा को बताया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की एक स्टडी के मुताबिक बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में 42 करोड़ गरीब हैं, जबकि 26 सबसे गरीब अफ्रीकी देशों में कुल 41 करोड़ ही गरीब लोग हैं। इन आठ राज्यों में से सबसे ज्यादा गरीबी उत्तर प्रदेश में है जहां करीब साढ़े तेरह करोड़ लोग गरीब हैं, जबकि दूसरा नंबर बिहार का है जहां लगभग पौने आठ करोड़ लोग गरीब हैं। तीसरे नंबर पर पश्चिम

बंगाल है जहां करीब सवा पांच करोड़ लोग गरीब हैं। ऐसे में जाहिर–सी बात है कि इन राज्यों से गरीबी खत्म करने की चुनौती भी सरकार को स्वीकार करनी होगी।

खत्म करना होगा कुपोषण

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार देश में 46 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और तीन साल से कम के 47 प्रतिशत बच्चे कम वजन के हैं। हमें इस चुनौती को भी स्वीकार करना होगा। चूंकि एक तरफ हमारे देश में भारी मात्रा में अनाज सड़ रहा है तो दूसरी तरफ लोग भुखमरी या कुपोषण के शिकार हो। केंद्र और राज्य सरकारों को अपने–अपने स्तर पर इस समस्या के कारगर निदान के बारे में सोचना चाहिए।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की भागीदारी

अंतर्राष्ट्रीय अनाज परिषद : भारत गेहूं और अन्य मोटे अनाजों के मामलों में सहयोग के लिए निर्यात एवं आयात करने वाले देशों के अंतर–सरकारी मंच अंतर्राष्ट्रीय अनाज परिषद का सदस्य है। इस परिषद को 1995 तक अंतर्राष्ट्रीय गेहूं परिषद भी कहा जाता था। परिषद का सचिवालय 1949 से लंदन में है और यह फूड एंड कन्वेंशन के तहत स्थापित फूड एंड कमेटी को भी सेवाएं देता है। भारत इंटरनेशनल ग्रेन्स एग्रीमेंट 1995 और इसके ग्रेन ट्रेड कन्वेंशन 1995 का हस्ताक्षरी है। चूंकि इंटरनेशनल ग्रेंस कौंसिल में आयातक और निर्यातक दोनों तरह के सदस्य होते हैं इसलिए भारत को जुलाई 2003 में निर्यातक सदस्य के रूप में शामिल किया गया। अंतर्राष्ट्रीय अनाज परिषद के सदस्य के रूप में भारत ने वित्त वर्ष 2009–10 में परिषद को 17997.49 पौंड का भुगतान किया।

विश्व खाद्य कार्यक्रम : अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की ओर से गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों में भी भारत की भागीदारी है। वित्तवर्ष 2009–10 में विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए गरीबी रेखा से नीचे की दर पर 48512 टन खाद्यान्न का आवंटन किया गया। इसी तरह विश्व खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के कंट्री प्रोग्राम के जरिए भी भारत सरकार मौजूदा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए संस्थागत क्षमता के विकास पर कार्य कर रही है। विश्व खाद्य कार्यक्रमों के खाद्य सुपुर्दगी घटकों संबंधी परियोजनाएं इस समय उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और राजस्थान में चलाई जा रही हैं। इसके अलावा गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु में कंट्री प्रोग्राम योजनाएं चल रही हैं।

सार्क फूड बैंक : विभिन्न सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने 3–4 अप्रैल 2007 को नई दिल्ली में हुए 14वें सार्क शिखर सम्मेलन में एक करार पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत एक खाद्य बैंक की स्थापना की गई, जो खाद्य सुरक्षा की दिशा में किए जा रहे प्रयासों में मददगार होगा। करार के अनुसार सार्क फूड बैंक के लिए खाद्यान्नों का भारत का अनुमानित अंश 242 हजार टन के आरक्षित में 153200 टन है।

खाद्य एवं कृषि संगठन : वर्ष 1945 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र संघ प्रणाली में खाद्य एवं कृषि संगठन सबसे बड़ी विशेषीकरण एजेंसियों में से एक है। इसका मुख्य कार्य पोषण तथा जीवन–स्तर में वृद्धि करना, कृषि उत्पादकता में सुधार करना और ग्रामीण आबादी की स्थिति को बेहतर बनाना है। संयुक्त राष्ट्र संघ प्रणाली में विश्व खाद्य सुरक्षा पर बनी समिति एक फोरम के रूप में कार्य करती है। भारत खाद्य एवं कृषि संगठन एवं विश्व खाद्य सुरक्षा समिति का भी सदस्य है।

(लेखिका कृषि विज्ञान की छात्रा हैं।)
ई–मेल : skynpr@gmail.com

जैविक खेती: खाद्य सुरक्षा की सुनिश्चितता

जितेन्द्र द्विवेदी

भारत में कृषि की घटती जोत, संसाधनों की कमी, लगातार कम होती कार्यकुशलता और कृषि की बढ़ती लागत तथा साथ ही उर्वरक व कीटनाशकों के पर्यावरण पर बढ़ते कुप्रभाव को रोकने में निःसन्देह जैविक खेती एक वरदान साबित हो सकती है। जैविक खेती का सीधा सम्बन्ध जैविक खाद से है या यह कहें कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसीलिए रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को हतोत्साहित करते हुए जैविक खेती को प्रोत्साहन देना समय की मांग है।

सच्चाई यही है कि दुनिया का पेट भरने वाला किसान आज खुद दो वक्त की रोटी का मोहताज बना हुआ है। अकाल, बाढ़, सूखा जैसी अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने उसकी कमर तोड़ दी है। देश के 30 करोड़ किसान कर्जों के जाल में फंसकर बदहाली का शिकार हैं। लगभग आठ करोड़ किसान खेती छोड़कर शहरों में मजदूरी कर रहे हैं। किसानों की इस हालत के कारणों में एक प्रमुख कारण है खेती में बढ़ती लागत और घटता लाभ। किसान अपने खेत में जो श्रम अथवा पूंजी लगाता है, उतना उत्पादन उसे नहीं मिलता और जो मिलता है उसका उचित मूल्य नहीं मिलता। इस प्रकार साल भर खाद्यान्न की पूर्ति तो दूर, लागत के लिए लिया गया कर्ज भरने में ही सारा धन जा रहा है।

जहां कुछ जगहों पर ऐसी स्थितियां हैं वहीं कुछ गांवों के जागरूक किसान विकल्प की तलाश में लगे हैं और यह महसूस कर रहे हैं कि खेती में आत्मनिर्भरता ही एक ऐसा रास्ता है जो उन्हें ऐसी समस्याओं से बाहर लाकर भरपेट भोजन मुहैया करा सकता है।

यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि 60 के दशक की हरितक्रान्ति ने यद्यपि देश को खाद्यान्न की दिशा में आत्मनिर्भर बनाया लेकिन इसके दूसरे पहलू पर यदि गौर करें तो यह भी वास्तविकता है कि खेती में अंधाधुंध उर्वरकों के उपयोग से जल स्तर में गिरावट के साथ मृदा की उर्वरता भी प्रभावित हुई है और

एक समय बाद खाद्यान्न उत्पादन न केवल स्थिर हो गया बल्कि प्रदूषण में भी बढ़ोत्तरी हुई है और स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा हुआ है जिससे सोना उगलने वाली धरती मरुस्थल का रूप धारण करती नजर आ रही है। मिट्टी में सैकड़ों किस्म के जीव–जन्तु एवं जीवाणु होते हैं जो खेती के लिए हानिकारक कीटों को खा जाते हैं। फलतः उत्पादन प्रभावित होता है। इसलिए समय की मांग है कि 60 के दशक की पहली क्रान्ति के अनुभवों से सबक लेते हुए हमें दूसरी हरित क्रान्ति में रसायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल में सावधानी बरतते हुए जैविक खेती पर ध्यान देना चाहिए। जैविक खेती में हम कम्पोस्ट खाद के अलावा नाडेप, कम्पोस्ट खाद, केंचुआ खाद, नीम खली, लेमन ग्रास एवं फसल अवशेषों को शामिल करते हैं। जैविक खाद के उपयोग से न केवल मृदा की उर्वरता बढ़ती है बल्कि उसमें नमी की वजह से काफी हद तक सूखे की समस्या से भी निजात मिलती है। जैविक खाद के प्रयोग से भूजल धारण क्षमता बढ़ती है। इसके साथ ही जैविक कीटनाशक से मित्र कीट भी संरक्षित होते हैं। इस प्रकार घटते भूजल स्तर के लिए जैविक खेती एक वरदान साबित होगी। एक अनुमान के अनुसार किसान अपनी उत्पादित फसल का 25–40 प्रतिशत ही उपयोग कर पाते हैं। भारत में प्रतिवर्ष 600 मिलियन टन कृषि अवशेष पैदा होता है, इसमें से अधिकांश अवशेषों को किसान अगली फसल हेतु खेत तैयार करने के लिए खेत में ही जला देते हैं जबकि इसका उपयोग जैविक खाद को तैयार करने के लिए आसानी से किया जा सकता है।

भारतीय किसान परम्परागत रूप से खेती में स्थानीय तकनीकों व संसाधनों का उपयोग करते थे जिसमें स्थानीय बीज, वर्षा आधारित खेती व जैविक खाद थे जिसे सड़े–गले पत्ते व घासों का उपयोग कर बनाने में भारतीय किसान माहिर थे। पारम्परिक खाद के प्रयोग से फसल अधिक गुणवत्ता वाली होती थी। साथ ही आसपास का वातावरण साफ व स्वच्छ रहता था। एक–दो दशक पहले तक आम काश्तकार खेती से इतना उत्पादन कर लेता था कि परिवार का गुजर–बसर हो जाता था और अपनी आर्थिक जरूरतें भी पूरी हो जाती थीं लेकिन आधुनिकता व बाजारवाद की आंधी ने किसानों का रूख जैविक खाद से रसायनिक खादों की तरफ मोड़ दिया। रासायनिक खाद, बीज व कीटनाशकों के प्रयोग से उत्पादन में वृद्धि हुई लेकिन एक सीमा के बाद उस पर बढ़ती लागत से किसानों पर आर्थिक दबाव पड़ने लगा।

आज यह बात पूरी तरह साबित हो चुकी है कि स्वयं पर निर्भर जैविक खेती से साल भर की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है और अनेक प्राकृतिक प्रकोपों के बावजूद भुखमरी की स्थिति से बहुत हद तक बचा जा सकता है। इन तथ्यों पर अमल करके बहुत से किसानों ने आज अपने जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं जो पहले धान व गेहूं उगाकर जीवनयापन के अन्य सभी आवश्यकताओं हेतु बाजार पर निर्भर रहते थे। आज दलहन, तिलहन, मसाले, चारा, जलौनी, साग–सब्जी, फल आदि अनेक आवश्यक वस्तुएं उगाकर सम्पूर्ण भोजन के साथ–साथ अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं।

जैविक व आत्मनिर्भर खेती के कुछ कदम

बीज उत्पादन व भण्डारण : किसानों को बाजार पर निर्भरता समाप्त करके आधारीय बीजों का उत्पादन करना होगा जिससे आगामी तीन साल तक उन्हें खेती के लिये बीज न खरीदने पड़े। साथ ही इनके भण्डारण की उचित व्यवस्था भी करनी होगी। गेहूं व धान के साथ–साथ साग–सब्जी व अन्य बीजों को भी संरक्षित करना होगा जिससे बीजों पर लगने वाली लागत कम अथवा समाप्त हो जाए और उत्पादन में गुणवत्ता बनी रहे। खेती व अच्छे उत्पादन का सारा दारोमदार बीज पर ही होता है। अतः इनके चयन में बहुत सतर्कता की आवश्यकता है।

खाद निर्माण : भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा भाग कृषि उत्पादन पर निर्भर करता है। यह एक दुखद पहलू है कि हमारे यहां कुछ वर्षों से अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए रसायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध व अनियंत्रित प्रयोग किया जा रहा है, जिसके कारण मृदा स्वास्थ्य और मृदा में उपलब्ध लाभदायक जीवाणुओं की संख्या में भारी ह्रास हुआ है। रसायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग

सफलता की कहानी

तीजादेवी का अनुभव

विकासखण्ड खोराबार जिला गोरखपुर के झगहा गांव की यह 45 वर्षीय महिला किसान तीजादेवी एक ही खेत में एक साथ कई फसलें उगाने का कौशल जानती हैं। वे पढ़ी-लिखी नहीं हैं। तीजादेवी के परिवार में कुल 6 सदस्य हैं जिनकी आजीविका इनके खेत पर ही निर्भर है। तीजादेवी के खेत में जैव विविधता दिखाई देती है। मिश्रित खेती के इस प्रयोग को देखकर अचरज भरा सुख मिलता है। इस मौसम में उनके खेत में अलग-अलग क्यारियों में नेनुआ, प्याज, बैंगन, साग, मूंगफली, करेला, लौकी, खीरा आदि लगा हुआ है। एक क्यारी लोबिया की है तो कुछ में साग वाला प्याज है। पत्ता गोभी एक ही क्यारी में क्रमशः रोपा गया है। टमाटर, बैंगन, पालक, धनिया क्या नहीं है उनके खेत में। एक तरफ 10 विस्वा जमीन में केले के पौधे लगे हुए हैं। उनमें इस समय घौद फूटी हुई है। तीजादेवी बताती हैं यह रामभोग केला है जो सब्जी और फल दोनों में प्रयोग होता है। नजर घुमाइए तो एक तरफ देसी पपीते की कतार है। इन पौधों में इस समय सैकड़ों पपीते लदे हुए हैं। खेत के दूसरे हिस्से में बगीचे में अनार, आम, अमरूद के अलावा लीची एवं नींबू के पौधे भी लगे हुए हैं।

तीजादेवी की खेती पूरी तरह जैविक है। वे अपने दुधारू जानवरों के गोबर, बगीचे के पत्तों और सब्जियों के अपशिष्ट से जैविक खाद बनाती हैं। रसायनिक खादों व कीटनाशकों का प्रयोग उन्होंने वर्षों पहले छोड़ दिया। उनकी अपनी समझ है धरती को जहरीले रसायनों से कष्ट होता है। निहायत ठेठ गंवई अंदाज में दिए गए उनके तर्क किसानों को सहज ही समझ में आ जाते हैं। शायद इसीलिए वे किसान विद्यालय की सबसे लोकप्रिय प्रशिक्षक हैं।

गोरखपुर एनवायरमेंटल एक्शन ग्रुप से प्रशिक्षण लेने के बाद विभिन्न प्रकार की जैविक खादें, नाडेप कम्पोस्ट, केंचुए की खाद, सी.पी.पी. आदि में से अपने उपलब्ध संसाधनों व आवश्यकता के अनुसार खाद स्वयं तैयार करती हैं जिससे भरपूर पौष्टिकता बिना किसी विशेष लागत के जमीन को दी जा सके। घर अथवा खेत में उपलब्ध संसाधनों (गौमूत्र, लहसुन, सुर्ती, नीम आदि) द्वारा कीटनाशकों का निर्माण व उनका नियमित प्रयोग करती हैं। अपने खेतों में घर पर निर्मित कीटनाशक ही प्रयोग करती हैं जिससे फसल स्वस्थ रहे।

तीजादेवी का जीवन दुश्वारियों भरा था। इनका बेटा विकलांग है। दूसरों के खेत में काम कर आजीविका चलती थी। कुछ वर्ष पूर्व गोरखपुर एनवायरमेंटल एक्शन ग्रुप के स्वयंसहायता समूह से जुड़ी। खेती में रूचि के चलते वे चयनित किसान बनी। जल, जमीन, जानवर व जल के प्रबन्धन, समय व स्थान के समुचित प्रयोग से सफलता उनके कदम चूमने लगी। इस समय वह स्थाई कृषि पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों से एवं अन्य जनपदों की सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा आयोजित कार्यक्रमों से जुड़ी हुई हैं।

से भूमि की उपजाऊ शक्ति में कमी तो आई ही है, साथ ही उसके अन्य दुष्प्रभाव जैसे मृदा, जल तथा पर्यावरण प्रदूषण आदि भी सामने आने प्रारम्भ हो गए हैं। मृदा को स्वस्थ बनाए रखने, लक्षित उत्पादन प्राप्त करने के लिए, उत्पादन लागत कम करने हेतु व पर्यावरण और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि रसायनिक उर्वरकों जैसे कीमती निवेश के प्रयोग को एक हद तक कम करके जैविक खादों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

जैविक खादों का मृदा उर्वरता और फसल उत्पादन में महत्व

- जैविक खादों के प्रयोग से मृदा का जैविक स्तर बढ़ता है, जिससे लाभकारी जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है और मृदा काफी उपजाऊ बनी रहती है।
- जैविक खाद पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक खनिज पदार्थ प्रदान कराती है, जो मृदा में मौजूद सूक्ष्म जीवों के द्वारा पौधों को मिलते हैं जिससे पौधे स्वस्थ बनते हैं और उत्पादन बढ़ता है।
- रसायनिक खादों के मुकाबले जैविक खाद सस्ते, टिकाऊ बनाने में आसान होते हैं। इनके प्रयोग से मृदा में ह्यूमस की बढ़ोतरी होती है व मृदा की भौतिक दशा में सुधार होता है।
- पौध वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश तथा काफी मात्रा में गौण पोषक तत्वों की पूर्ति जैविक खादों के प्रयोग से ही हो जाती है।
- कीटों, बीमारियों तथा खरपतवारों का नियंत्रण काफी हद तक फसल चक्र, कीटों के प्राकृतिक शत्रुओं, प्रतिरोध किस्मों और जैव उत्पादों द्वारा ही कर लिया जाता है।
- जैविक खादें सड़ने पर कार्बनिक अम्ल देती हैं जो भूमि के

अघुलनशील तत्वों को घुलनशील अवस्था में परिवर्तित कर देती हैं, जिससे मृदा का पी.एच. मान 7 से कम हो जाता है। अतः इससे सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है। यह तत्व फसल उत्पादन में आवश्यक हैं।

- इन खादों के प्रयोग से पोषक तत्व पौधों को काफी समय तक मिलते हैं। यह खादें अपना अवशिष्ट गुण मृदा में छोड़ती हैं। अतः एक फसल में इन खादों के प्रयोग से दूसरी फसल को लाभ मिलता है। इससे मृदा उर्वरता का संतुलन ठीक रहता है।

जैविक कीटनाशक : जैविक खादें, नाडेप कम्पोस्ट, केंचुए की खाद, सी.पी.पी. आदि में से अपने उपलब्ध संसाधनों व आवश्यकताओं के अनुसार खाद स्वयं तैयार कर लेना चाहिए जिससे भरपूर पौष्टिकता बिना किसी विशेष लागत के जमीन को दी जा सके। घर अथवा खेत में उपलब्ध संसाधनों (गौमूत्र, लहसुन, सुर्ती, नीम आदि) द्वारा कीटनाशकों का निर्माण व उनका नियमित प्रयोग करना चाहिए। जैविक कीटनाशक बनाने के लिए 5 ग्राम डिटरजेंट पाउडर को एक लीटर पानी में अच्छी तरह घोल लें। अब इस एक लीटर घोल में 50 मिलीलीटर नीम तेल मिलाकर अच्छी तरह मथकर घोल बना लें। तैयार घोल को 9 लीटर पानी में मिला दें। इस प्रकार 10 लीटर कीटनाशक तैयार हो जाएगा जिसको 8 घंटे के अन्दर सुबह या शाम पौधों के सम्पूर्ण भाग पर स्प्रे कर दें। जाड़े में 10 दिन एवं गर्मी तथा वर्षा के समय 5 दिन के अन्तराल पर पुनः छिड़काव करें।

टिकाऊ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के उपकरण के रूप में सामुदायिक खाद्यान्न बैंक

सरकारों एवं विश्व खाद्य कार्यक्रम जैसे दानदाताओं से अनुदान लेकर शुरुआती आपूर्ति करके ग्रामीण स्तर पर सामुदायिक खाद्यान्न बैंक शुरू किये जा सकते हैं। बाद में ऐसे बैंकों को स्थानीय स्तर पर अनाज खरीदकर तथा पर्यावरण विकास के बदले अनाज तथा पोषण के लिए खाद्यान्न कार्यक्रमों हेतु सरकारी एवं अंतर्राष्ट्रीय सहायता से चालू रखा जा सकता है। यह बैंक पोषण की खाई पाटने के साथ–साथ सामाजिक एवं लैंगिक समानता, पर्यावरण एवं रोजगार उपलब्ध कराने की बुनियादी इकाई सिद्ध हो सकते हैं। इन्हें चक्रवात, बाढ़, अकाल तथा भूकम्प जैसे आपातकाल से निपटने के लिए भी समर्थ बनाया जा सकता है।

डा. शिराज वजीह, अध्यक्ष, गोरखपुर एनवायरमेंटल एक्शन ग्रुप का कहना है कि सामुदायिक खाद्यान्न बैंकों का प्रबन्ध स्थानीय महिलाओं एवं पुरुषों के साथ अलग–अलग स्वयंसहायता समूह भी कर सकते हैं। इससे भूख से लड़ने के लिए स्वयंसहायता क्रान्ति लाने में मदद मिलेगी। इसके लिए सर्वांगीण निर्देशन एवं निगरानी बहुभागीदार सामुदायिक खाद्यान्न बैंक परिषद द्वारा प्रदान की जा सकती है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)
ई–मेल : jitendraabf@gmail.com

कुरुक्षेत्र मंगवाने का पता
विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक
प्रकाशन विभाग
पूर्वी खंड-4, तल-7
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066

मूल्य एक प्रति	:	10 रुपये
वार्षिक शुल्क	:	100 रुपये
द्विवार्षिक	:	180 रुपये
त्रिवार्षिक	:	250 रुपये
विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)		
पड़ोसी देशों में	:	530 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	730 रुपये (वार्षिक)

खाद्य सुरक्षा की सुदृढ़ स्थिति एक चुनौती

बृजेश कुमार

कृषि मंत्रालय का अनुमान है कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक (सन् 2012 तक) देश में खाद्यान्नों की मांग में 2.50 करोड़ टन (25 मिलियन टन) की वृद्धि होगी। इस परिप्रेक्ष्य में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक चावल, गेहूं और दालों के उत्पादन को क्रमशः 10 मिलियन टन, 8 मिलियन टन और 2 मिलियन टन तक बढ़ाया जा सके। इस मिशन के अन्तर्गत 17 राज्यों के 311 जिले रखे गए हैं। ग्यारहवीं पंचवर्षीय अवधि के दौरान दो करोड़ रुपये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की दो अथवा अधिक फसलों के कार्यक्रम वाले जिले के लिए तथा एक करोड़ कोई भी फसल या एक फसल वाले कार्यक्रम को उपजाने वाले जिले के लिए प्रदान किए जाएंगे।

भारत में कृषि श्रम अनुपात अनुकूल नहीं है। प्रति व्यक्ति कृषि भूमि बहुत कम है। अन्य शब्दों में प्रति हेक्टेयर व्यक्तियों की संख्या अधिक है। जोतों का औसत आकार 1970–71 में 2.30 हेक्टेयर से घटकर 1990–91 में 1.55 हेक्टेयर ही रह गया है। वर्ष 1990–91 में कुल कार्यशील जोतों में 59 प्रतिशत का आकार एक हेक्टेयर से कम (सीमांत जोते) था। 20 वर्ष बाद यह स्थिति और भी खराब हो चुकी है। इसी परिप्रेक्ष्य में खाद्यान्न सुरक्षा के लिए गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

खाद्य सुरक्षा की सुदृढ़ स्थिति को बनाए रखने के लिए सर्वप्रथम खाद्य सुरक्षा के कवरेज क्षेत्रों में विस्तार की आवश्यकता है। कृषि क्षेत्रों के विस्तार की योजना, उत्पादकता में वृद्धि के प्रयास, मिट्टी के उपजाऊपन और उत्पादकता में पुनरुद्धार कार्यक्रम, कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर का सृजन और खेल स्तर की अर्थव्यवस्था में वृद्धि करके विभिन्न कृषि कार्यकलापों में उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग, समुचित जल प्रबन्धन करना, कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों में किसानों को अधिकतम रिटर्न दिलाना आदि तत्वों को सम्मिलित करके तथा इन तत्वों को ठोस नीतियों व कार्यक्रमों के माध्यम से लागू करने से देश में खाद्यान्न संकट की स्थिति को पनपने से रोका जा सकता है।

भारत में बढ़ रही जनसंख्या, शहरीकरण का तीव्र गति से विस्तार, कृषि जोतों के आकार में गिरावट, प्रौद्योगिकी और प्राकृतिक स्रोतों की अनुपलब्धता, कृषि जलवायु परिस्थितियों का अभाव, किसानों को वित्तीय सेवाओं की पर्याप्त मात्रा न होना, प्रभावशाली न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यप्रणाली क्रियान्वित न होना आदि कारण खाद्य सुरक्षा की सुदृढ़ स्थिति बनाए रखने पर प्रश्नचिन्ह् लगा सकते हैं।

हाल ही में खाद्य असुरक्षा की बात सामने आई है। कारण यह है कि भण्डारण की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण जुलाई माह में हापुड़ डिपो परिसर में खुले पड़े गेहूं के लगभग 25 करोड़ रुपये कीमत के चार लाख पचास हजार बोरे बारिश में भीग कर सड़ गये तथा उ.प्र. में कई जगहों पर अनाज को ठीक से नहीं रखा गया है। ये अनाज सरकारी योजनाओं के लिए खरीदे गए थे। इस तरह के नुकसान अक्सर होते रहते हैं जिसके कारण खाद्य सुरक्षा के संतुलन की स्थिति बिगड़ सकती है। ऐसी स्थिति को जन्म देने वालों पर आपराधिक कानून के तहत कारवाई की जानी चाहिए।

खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत गरीबों को सस्ती दर पर खाद्यान्न की उपलब्धता के लिए कृषि मंत्री शरद पवार ने गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर, 2010 से 1.5 करोड़ अतिरिक्त गरीब परिवारों को राशन की दुकान से सस्ता खाद्यान्न देने की शुरुआत करने की घोषणा की थी। इस कार्यक्रम के तहत राशन की दुकान से सस्ता अनाज पाने वाले बीपीएल परिवारों की संख्या बढ़कर 8.70 करोड़ हो गई। इसके तहल गरीबों को ₹ 4.15 प्रति किलो के हिसाब से गेहूं और ₹ 5.65 प्रति किलो के हिसाब से चावल दिया जाता है।

खाद्य सुरक्षा कानून लागू होने पर अनाज की खरीद बड़ी चुनौती होगी। इससे निपटने के लिए सरकार को भण्डारण क्षमता में लगभग 140 लाख टन की और बढ़ोतरी करनी होगी, इसके लिए 4 हजार करोड़ की जरूरत कृषि मंत्री ने बताई है।

भारत सरकार खाद्य सुरक्षा के प्रति हमेशा प्रयासरत रही है। खाद्यान्न एवं इससे संबंधित क्षेत्रों में विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को शुरू किया गया है जिससे कृषक और कृषि दोनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम निम्नलिखित हैं –

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन : दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई जनसंख्या तथा जनसंख्या की तुलना में खाद्यान्न उत्पादन की धीमी गति अर्थात् बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को राष्ट्रीय विकास परिषद ने मई 2007 में मंजूरी प्रदान कर दी थी।

इस मिशन की प्रारम्भिक रिपोर्ट के अनुसार गेहूं बीज वितरण में एक ओर जहां राजस्थान में 43 प्रतिशत की वृद्धि हुई है वही

तालिका–1

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अन्तर्गत प्रस्तावित आवंटन

(करोड़ रु. में)

वर्ष	चावल	गेहूं	दालें	जोड़
2007–08	70.8	234.6	96.9	402.3
2008–09	348.1	682.7	285.9	1316.8
2009–10	366.3	290.8	287.4	944.2
2010–11	428.3	341.5	286.4	1056.3
2011–12	508.8	370.8	283.4	1163.0
	1722.3	**1920.3**	**1239.9**	**4882.5**

स्रोत–सामग्री समीक्षा 2009–10

तालिका–2

सरकार द्वारा जारी की गई खाद्य सब्सिडी

वर्ष	खाद्य सब्सिडी (करोड़ रु. में)	वर्षिक वृद्धि (प्रतिशत में)
1999–2000	9200	5.75
2000–01	12010	30.54
2001–02	17494	45.66
2002–03	24176.45	38.20
2003–04	25160	4.07
2004–05	25746.45	2.33
2005–06	23071.00	–10.39
2006–07	23827.59	3.28
2007–08	31259.68	31.19
2008–09	43668.08	39.69
2009–10	26906.68	7.42

स्रोत–खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, (29 दिसम्बर 09 तक के आंकड़े)

बिहार में 10 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। दलहन में भी एक ओर जहां राजस्थान से सम्बन्धित बीज के प्रयोग में 29 प्रतिशत की वृद्धि हुई है वहीं छत्तीसगढ़ में 400 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का कुल परिव्यय 4882.5 करोड़ रुपये का है।

कृषि क्षेत्र की शिथिलता दूर करने तथा उत्पादकता में वृद्धि के लिए 25000 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज के घोषणा भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एन.डी.सी. की 29 मई 2007 को नई दिल्ली में हुई बैठक में की थी। गेहूं के उत्पादन में वांछित वृद्धि को प्राप्त करने के लिए विशेष फोकस हेतु देशभर में 138 जिलों की पहचान सरकार ने की है। चावल के उत्पादन में वृद्धि हेतु 130 व दालों के लिए 150 जिलों की पहचान विशेष फोकस हेतु की गई है।

खाद्य सुरक्षा विधेयक : खाद्यान्न सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने खाद्य सुरक्षा विधेयक प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रस्ताव के अन्तर्गत पहले साल देश के सबसे वंचित एक चौथाई जिलों या प्रखंडों के सार्वजनीकरण की सिफारिश की गई है, जहां हरेक परिवार तीन रुपये प्रति किलो की दर पर 35 किलो महीना अनाज पाने का अधिकारी होगा यानी देश के कुल 640 जिलों में से लगभग 150 जिलों को ही फिलहाल यह सौभाग्य मिलेगा। तथा शेष 490 जिलों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अलावा सामाजिक रूप से असुरक्षित समूहों के लिए तीन रुपये की दर से 35 किलो अनाज की गारंटी दी जाएगी।

राष्ट्रीय कृषक नीति 2007 : खाद्य सुरक्षा के स्तर को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय कृषक नीति 2007 की कवरेज में व्यापक क्षेत्र को शामिल किया गया है जैसे पूरे देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यप्रणाली प्रभावी रूप से क्रियान्वित होगी, कृषि उत्पादों को लाभकारी मूल्य प्रदान किए जाएंगे, किसानों को उचित ब्याज पर वित्तीय सहायता, आई सी टी की सहायता के साथ ग्राम स्तर पर ज्ञान चौपाल और फार्म स्कूल स्थापित करना, सुनिश्चित करना कि किसानों के पास उत्पादन के लिए साधन उपलब्ध है कि नहीं, अच्छी गुणवत्ता के बीज का प्रयोग बढ़ाना आदि क्रियाएं क्रियान्वित की जाएंगी।

डीजल सब्सिडी योजना : खाद्य सुरक्षा के लिए सरकार समय–समय पर खाद्य सब्सिडी जारी करती रही ताकि खाद्य संकट का जन्म न हो सके। खाद्य सब्सिडी को इन आंकड़ों द्वारा देखा जा सकता है–

राष्ट्रीय वर्षापोषित क्षेत्र प्राधिकरण की स्थापना – खाद्यान्न उत्पादन मानसून पर निर्भर करता है क्योंकि 60 प्रतिशत कृषि वर्षा पर निर्भर है। इसी खाद्य सुरक्षा की कल्पना को साकार करने के लिए इस प्राधिकरण की स्थापना की गई। इस प्राधिकरण का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा की स्थिति बरकरार रखने के लिए वर्षारोपित क्षेत्रों की समस्या पर पूरा ध्यान देना है तथा भूमिहीन और छोटे किसानों से संबंधित समस्याओं पर भी ध्यान केन्द्रित करना है जिससे खाद्यान्न उत्पादन में कमी न होने पाए।

वृहद् कृषि प्रबंधन योजना : देश में खाद्यान्न उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने और किसानों के जीवन में समृद्धि लाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा यह योजना सन् 2000–01 से सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में लागू की जा चुकी है ताकि खाद्य सुरक्षा के बुनियादी उद्देश्यों तथा ग्रामीण जनता के जीवन–स्तर को आज कृषि परिदृश्य में अधिक प्रासंगिक बनाया जा सके।

देश में बढ़ती हुई जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में पूर्व राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने कृषि में दूसरी हरितक्रांति की तत्काल आवश्यकता बताई है जिसमें मिट्टी से लेकर विपणन तक कृषि के सभी पहलुओं का समावेश हो।

द्वितीय हरितक्रांति अर्थात एवरग्रीन रिवाल्यूशन की ओर बढ़ना है ताकि देश के सालाना खाद्यान्न उत्पादन को मौजूदा स्तर से दो गुना किया जा सके। इसके लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग व आर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा, रेनवाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य करना, मिट्टी के स्वास्थ्य का उन्नयन, किसानों को उचित मूल्य पर वित्तीय सहायता, सरकारी नीतिगत कार्यक्रमों की मानीटरिंग करने आदि की आवश्यकता है जिसके परिणामस्वरूप भविष्य में खाद्य सुरक्षा की सुदृढ़ स्थिति बनी रह सके।

(लेखक आई.सी.डब्ल्यू.ए.आई. (फाईनलिस्ट) एवं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के वाणिज्य विभाग में शोध छात्र हैं।)

ई–मेल : kumar.brijesh17@yahoo.com

टिकाऊ खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता एवं रणनीति

डॉ. सरजू नारायण

जहां भारत में वर्ष 2002 में खाद्यान्न की उपलब्धता प्रति व्यक्ति लगभग 500 ग्राम थी वो अब घटकर 440 ग्राम रह गई है। भुखमरी का मुकाबला करने में भारत पड़ोसी देश पाकिस्तान एवं चीन से भी काफी पीछे है। पिछले दिनों इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इन्स्टीट्यूट की ओर से जारी 'ग्लोबल हंगर इंडेक्स' में भारत को 67वां स्थान मिला। भारत में खाद्य वस्तुओं के सम्बन्ध में घरेलू मांग के पूर्वानुमान सम्बन्धी आंकड़े बताते हैं कि यदि वर्ष 1999-2000 को आधार वर्ष मानते हुए भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जी0डी0पी0) दर 9 प्रतिशत माने तो 2021 में 245.1 मिलियन मीट्रिक टन खाद्यान्न तथा 42.5 मिलियन मीट्रिक टन दालों की आवश्यकता होगी।

खाद्य परिदृश्य– मांग एवं आपूर्ति

वैज्ञानिकों के अनुसार बदलती जलवायु एवं भूमि उत्पादन का ह्रास तथा सिंचाई योग्य पानी की हो रही कमी के परिणामस्वरूप खाद्यान्न संकट में और इजाफा हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था 'खाद्य एवं कृषि संगठन' (फूड एण्ड एग्रीकल्चरल आर्गेनाइजेशन) द्वारा विश्व स्तर पर 150 देशों के साथ मिलकर भूख के कलंक को दुनिया के माथे से मिटाने का बीड़ा वर्ष 1945 में उठाया गया था जो आज भी जारी है किन्तु पूर्ण सफलता आज भी नहीं मिल पायी है। प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस इस ध्येय के साथ मनाया जाता है कि हर खाली पेट को भोजन नसीब कराया जाएगा, किन्तु अभी भी लगभग एक बिलियन लोगों को ठीक से भोजन नसीब नहीं हो पा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2030 में विश्व की आबादी 8.3 बिलियन हो जाएगी और इस समय लगभग आधी आबादी के लिए भोजन की व्यवस्था करनी होगी।

दूसरा तथ्य यह है कि जिन लोगों को भोजन मिल भी रहा है उनमें से बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिनके भोजन में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों की कमी है। इस प्रकार पर्याप्त एवं

सन्तुलित भोजन उपलब्ध कराने हेतु 'खाद्य सुरक्षा' की बात भारत सहित पूरी दुनिया में उठ रही है।

आज 'खाद्य सुरक्षा' से आशय भौतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थितियों की पहुंच, संतुलित आहार, साफ पीने का पानी, स्वच्छ वातावरण एवं प्राथमिक स्वास्थ्य रखरखाव तक जा पहुंचा है। ये सारी बातें सन्तुलित भोजन करने में ही समाहित हैं अर्थात सभी लोगों को सुरक्षित, पर्याप्त और पौष्टिक भोजन जो उनकी आहार सम्बन्धी आवश्यकताओं एवं पसन्द को तो पूरा करे ही साथ ही साथ सक्रिय एवं स्वस्थ बनाए रखने में सहयोगी हो। इस प्रकार खाद्य सुरक्षा में चार मुख्य अवयवों 1. उपलब्धता, 2. पहुंच, 3. उपयोग/उपभोग और 4. स्थिरता का होना आवश्यक है। इनमें खाद्यान्न उपलब्धता का सम्बन्ध अधिक खाद्यान्न उत्पादन से है। 'पहुंच' का सम्बन्ध लोगों की 'क्रय शक्ति' से है। 'उपयोग' का सम्बन्ध उपभोग अर्थात पोषण प्रबन्धन, स्वच्छ पीने के पानी, प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा, प्राथमिक शिक्षा, रहने का प्रबन्ध, पर्यावरणीय स्वच्छता जिसमें रहकर लोग भोजन का उपभोग करते हैं। स्थिरता का सम्बन्ध उन बातों पर ध्यान देने से है जिनसे टिकाऊ उत्पादन तथा संरक्षण सम्बन्धी प्रबन्धन होता है। इस प्रकार खाद्य सुरक्षा का सम्बन्ध खाद्य और अखाद्य दोनों कारकों से है जो एक चक्र बनाते हैं जिसके चलायमान रहने के लिए टिकाऊ विकास होना पहली शर्त है। टिकाऊ विकास का अर्थ है कि मानव की बदलती आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हुए संसाधनों का ऐसा सफल प्रबन्धन जो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए वातावरण की गुणवत्ता को बनाए/बढ़ाए रखे। (चित्र–1) खाद्य सुरक्षा बनाये रखने हेतु टिकाऊ उत्पादन ही नहीं वरन टिकाऊ उपभोग की भी आवश्यकता होती है तभी 'खाद्य सुरक्षा' हेतु खाद्यान्नों की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सकेगा।

टिकाऊ उत्पादन

टिकाऊ उत्पादन प्राप्त करने हेतु हमें निम्न बाधाओं से लड़ते हुए इन समस्याओं का समाधान भी करना होगा। ये समस्याएं हमारी अज्ञानता के कारण तथा संसाधनों के अतिदोहन के फलस्वरूप ही उत्पन्न हुई हैं जो आज हमारे ही विकास में बाधक साबित हो रही हैं। इसके कारण हमारी खाद्यान्न उत्पादन प्रणाली ही नहीं वरन पर्यावरणीय संतुलन प्रणाली भी खतरे में पड़ गई है जिसके परिणामस्वरूप निम्न चुनौतियां पैदा हो गई हैं–

स्थिर फसल उत्पादन

सफल हरितक्रान्ति एवं उसके बाद लगातार अधिक सघन कृषि उत्पादन करने वाले भूक्षेत्रों का उत्पादन स्थिर होने लगा है। अब इन क्षेत्रों में अधिक कृषि निवेश (साधन) करने पर भी फसल उत्पादकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात 'फैक्टर प्रोडक्टिविटी' कम हो रही है। इसका कारण है हम लगातार एक ही भूमि में एक ही तरह की फसलें अवैज्ञानिक तरीके से उगाते आ रहे हैं, जिससे एक ही तरह का कृषि निवेश भी उपयोग करना पड़ा है। फलतः इन फसलों द्वारा छोड़े गए हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों एवं एक ही तरह के हानिकारक अवशेषों ने हमारी जीवित भूमि को बीमारी के कगार पर पहुंचा दिया है। फलतः भूमि अब अधिक उत्पादन बढ़ाने में असमर्थ हो रही है।

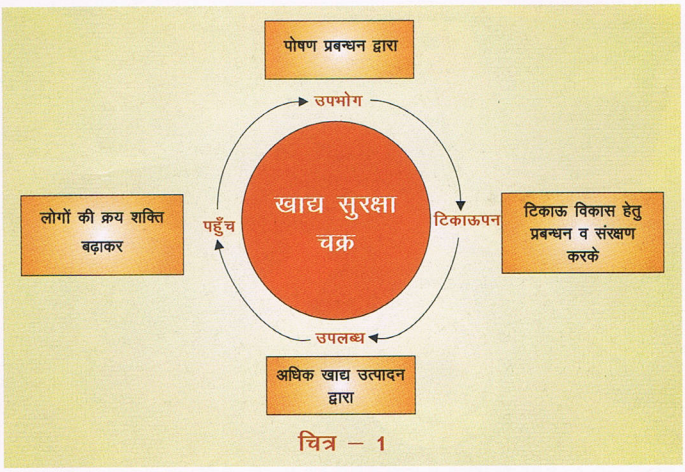

चित्र – 1

खाद्य उपलब्धता हेतु टिकाऊ उत्पादन एवं टिकाऊ उपभोग की आवश्यकता

मृदा पोषक तत्वों का क्षरण

लगातार पर्याप्त पोषक तत्वों का प्रयोग किए बिना फसल उत्पादन लेने से भूमि में उपस्थित पोषक तत्वों का ह्रास हुआ है क्योंकि हमने उस अनुपात में संतुलित पोषक तत्वों की आपूर्ति भूमि को नहीं की है। भूमि में केवल कुछ ही प्रकार के उर्वरकों (नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश आदि) के लगातार प्रयोग करने से (विशेषकर नाइट्रोजन प्राप्ति के लिए यूरिया का) जहां एक ओर मृदा की उर्वराशक्ति कम हुई है तो वहीं कार्बनिक खादों का प्रयोग कम/न करने से मृदा अपरदन होने के साथ–साथ मृदा उत्पादकता में भी कमी आयी है।

भूमि की क्षारीय प्रकृति में बढ़ोत्तरी

अंधाधुंध रासायनिक खादों के मनमाने ढंग से असंतुलित प्रयोग करने, अवैज्ञानिक कृषि क्रियाओं आदि से भूमि में उपस्थित कैल्शियम रसायनिक क्रियाओं द्वारा भूमि की निचली सतह पर चला गया है जिसका स्थान सोडियम ने ले लिया है। यह सोडियम भूमि की क्षारीय प्रकृति को बढ़ाकर सफल फसल उत्पादन घटाता है। फलतः सामान्य मृदा पी.एच. के आसपास उगने वाली फसलें इस नवनिर्मित हो रही क्षारीय मृदा प्रकृति में अधिक उत्पादन नहीं दे पा रही हैं।

मृदा में आर्गेनिक कार्बन की कमी

हमारी कुल कृषि योग्य भूमि में आर्गेनिक कार्बन की

उपलब्धता प्राकृतिक रूप से अत्यन्त कम है। संसार के कुल आर्गेनिक पदार्थ का केवल 3 प्रतिशत ही भारतीय भूमि में पाया जाता है जोकि लगातार वनों/पेड़ों के कटाव से और भी कम हो रहा है। यह आर्गेनिक कार्बन भूमि की उत्पादकता बढ़ाने में अहम् भूमिका निभाता है।

फसलनाशी कीटों, रोगों एवं खरपतवारों का प्रार्दुभाव तथा फैलाव

नयी विकसित, अधिक पैदावार देने वाली प्रजातियां फसलनाशियों से अधिक ग्रसित होती हैं क्योंकि ये सभी प्रजातियां एक ही तरह के पैतृक संयोगों से विकसित/चयनित की गई हैं। इस कारण कुछ विशेष प्रकार के फसलनाशियों द्वारा इन प्रजातियों की अत्यधिक क्षति की जाती है। कृषि की सघन कृषि पद्धतियों के कारण भी इन फसलनाशियों को निरन्तर पनपने/गुणन एवं वृद्धि करने का अवसर मिलता है जिससे वे सुदूर भागों तक आसानी से फैल जाते हैं।

पर्यावरणीय क्षति

फसलों को दी जाने वाली कुल नाइट्रोजन की लगभग आधी मात्रा ही पौधों द्वारा प्रयुक्त कर पाने से मृदा में मौजूद शेष आधी नाइट्रोजन की मात्रा ग्रीनहाउस गैस के रूप में मृदा से मुक्त होकर पर्यावरण को क्षति पहुंचा रही है। इसका कारण हमारे किसानों द्वारा यूरिया का अंधाधुंध/मनचाहे ढंग से प्रयोग है, चाहे फसल को उसकी जरूरत हो या नहीं। रसायनिक खादों के असंतुलित प्रयोग से भूमि सतह एवं भूमि जल भी प्रदूषित हुआ है। मनमाने ढंग एवं मनचाही मात्रा में (जाने–अनजाने) कीटनाशकों, फफूंदीनाशकों, खरपतवारनाशकों आदि के फसल पर प्रयोग करने से सम्पूर्ण पर्यावरण को तो नुकसान हुआ ही है, साथ ही साथ ये हानिकारक रसायन हमारी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश पा गए हैं। परिणामरूवरूप जीवधारियों में अनेक रोग उत्पन्न हो रहे हैं, यहां तक कि मनुष्य भी इनका शिकार हो गया है और अनेक हानिकारक बीमारियों से ग्रसितों की संख्या में वृद्धि हुई है।

मृदा से मुक्त होकर अमोनिया के वायुमण्डल में पहुंचने से अम्लीय वर्षा की सम्भावना बढ़ी है। एक ही तरह की फसलें उगाने से उनके अवशेष प्रबन्धन की समस्या भी विकराल रूप धारण कर लेती है। इस समस्या का जीता–जागता उदाहरण पंजाब है, जहां धान–गेहूं फसल चक्र की अधिकता के कारण धान के पुआल को किसानों द्वारा जला दिया जाता है। फलतः पुआल जलने से न केवल हानिकारक ग्रीनहाउस गैस मीथेन उत्पन्न होती है वरन् जले पुआल की धुंध वहां के वायुमण्डल में अंधेरा पैदा कर देती है जो महीनों तक बना रहता है। यह समस्या जहां एक ओर सूर्य की रोशनी को रोकती है जिससे पौधों/फसल की वृद्धि एवं विकास प्रभावित होता है तो वहीं दूसरी ओर 'एयरोसोल' अनेक बीमारियों को जन्म देती है।

जैव विविधता में कमी

एक ही प्रकार की फसलों/पौधों के लगातार मानव द्वारा चयनित करके उगाने के परिणामस्वरूप आनुवांशिक क्षरण हो रहा है अर्थात जैव विविधता या जैविक आधार सिकुड़ता जा रहा है। आज गांवों में पायी जाने वाली बेनाम खाद्यान्नों, वनस्पतियों, जन्तुओं की प्रजातियों का लोप होता जा रहा है जो हमारे परिस्थिति तंत्र को संतुलित रखने में मदद करती थी। गांव में उगायी जाने वाली फसलों की स्थानीय प्रजातियां जो अपने विशेष स्वाद, कीट व रोगरोधिता आदि जैसे गुणों के कारण जानी जाती थी, नयी प्रजातियां अपनाने से लुप्त हो रही हैं या हो गई हैं। इनका लुप्त होना हमारे भविष्य की प्रगति की दिशा एवं हमारी दशा तय कर रहा है।

इन समस्याओं के कारण भी भारत में अधिकतर फसलों की उत्पादकता अन्य देशों की तुलना में काफी कम है। इन चुनौतियों के अतिरिक्त कुछ सामाजिक–आर्थिक समस्याएं भी उठ खड़ी हुई हैं जो फसलों की उत्पादकता बढ़ाने में बाधक हैं। इनमें सबसे बड़ी समस्या भारतीय परिवारों के लगातार विभाजन की है जिसके फलस्वरूप 80 प्रतिशत किसान लघु एवं सीमान्त वर्ग के हो गए

हैं जिनमें से 60 प्रतिशत किसानों के पास 0.4 हेक्टेयर के लगभग कृषि जोत है जो उनके जीवनयापन हेतु पर्याप्त नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर किए गए सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं कि भारत के लगभग 40 प्रतिशत किसान कृषि व्यवसाय छोड़ना चाहते हैं यदि उन्हें रोजगार का कोई अन्य अवसर प्राप्त हो जाए। जिसका कारण निश्चित रूप से कृषि से कम आमदनी होना ही है। कम आमदनी होने के चलते ग्रामीण युवा कृषि कार्य से मुंह मोड़ रहे हैं। दूसरी समस्या खेती में कम निवेश का होना है। भारत की तुलना में चीन, जापान, अमेरिका, यूरोपीय देशों आदि में प्रति हेक्टेयर कृषि निवेश अधिक है। तीसरी समस्या कृषि शोध व विकास हेतु और अधिक धन व संसाधन उपलब्ध कराने की है। चौथी समस्या कृषकों की सामाजिक व आर्थिक दशा सुधारने की है ताकि वे अपना ध्यान पेट की भूख मिटाने से हटाकर उत्पादन बढ़ाने में लगा सकें तथा प्रति हेक्टेयर निवेश बढ़ा सकें।

टिकाऊ उपभोग

टिकाऊ उपभोग करने के अन्तर्गत वे सभी युक्तियां एवं विधियां आती हैं जो खाद्यान्न उत्पादन के ठीक बाद से प्रारम्भ होकर मानव/पशु के उपभोग करने की क्रिया के दौरान घटित होती हैं। किसी भी स्तर पर खाद्यान्न की बर्बादी का अर्थ है टिकाऊ उपभोग में कमी आना। कुछ दिन पूर्व समाचार–पत्रों की सुर्खियां बना एक समाचार, कि 580 बिलियन मूल्य का खाद्यान्न भण्डारण के अभाव में खराब हो रहा है, मानवता के खिलाफ एक जघन्य अपराध है। जहां लाखों लोग आधे पेट सोने को मजबूर हो वहां इस तरह अनाज सड़े। ऐसी संस्कृति पनप रही है जो खाने के बाद थाली में कुछ न कुछ छोड़ देती है। यदि इस भोजन को बचा लें तो प्रतिदिन कई लाख लोगों का पेट भरा जा सकता है। जरा सोचिए 100 ग्राम अन्न उपजाने में कितनी भूमि, कितना सिंचाई जल, कितने उवर्रक तथा कितने श्रम का उपयोग होता है। क्या चन्द रुपये से उसकी कीमत चुकायी जा सकती है? अतः यह आवश्यक है कि हम उपभोग इस प्रकार करें कि किसी भी स्तर पर, किसी भी संसाधन की किसी भी तरह की बर्बादी न हो।

टिकाऊ एवं अधिक फसल उत्पादन पाने की रणनीति : इसके तहत निम्न विषयों को अपनाना होगा जिस हेतु ऐसे प्रशिक्षित युवा कृषकों की जरूरत है जो देशी तकनीकी ज्ञान भी रखते हो।

कृषि विविधीकरण एवं फसल विविधीकरण

एक ही प्रजाति की फसलें बार–बार एक ही खेत में न उगाकर एक नई विस्तृत वैज्ञानिक कृषि पद्धति को अपनाना है, जिससे हमारी प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती रहे तथा हमारी भूमि के पोषक तत्वों (उर्वरता) का भी ह्रास न हो। इस प्रकार लम्बे समय तक अधिक टिकाऊ उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे। इस हेतु हमें अपने फसल चक्र में खाद्यान्न फसलों, तिलहनी फसलों, रेशेदार फसलों, चारे वाली फसलों आदि को अपनाने/या इनके साथ ही कृषि वानिकी/कृषि बागवानी, मधुमक्खी पालन, बत्तख पालन, मुर्गीपालन, पशुपालन आदि जैसे अन्य व्यवसाय अपनाने से भूमि की उर्वराशक्ति भी बढ़ेगी तथा अधिक एवं टिकाऊ उत्पादन प्राप्त होगा।

कृषि विविधीकरण के लिए जहां एक ओर अधिक कृषि निवेशों की जरूरत होती है तो वहीं दूसरी ओर तकनीकी ज्ञान की भी। जबकि फसल विविधीकरण में मुख्यतः तकनीकी ज्ञान की ही जरूरत होती है। हम फसल विविधीकरण खरीफ एवं रबी दोनों मौसमों में सफलतापूर्वक कर सकते हैं। जैसे खरीफ में धान की जगह मक्का, अरहर, सोयाबीन, तिल, मूंगफली, सब्जियां आदि उगा सकते हैं वहीं रबी में गेहूं की जगह चना, मटर राई/सरसों, सब्जियां आदि उगा सकते हैं। सिंचित क्षेत्रों के लिए अन्तरा फसल प्रबन्धन (इन्टरक्रापिंग मेनेजमेंट) अति लाभकारी सिद्ध होता है, इससे कई फसलें हम एक साथ लेते हैं जिससे उन फसलों की उत्पादकता भी बढ़ती है, कम कृषि निवेशों की जरूरत पड़ती है तथा मृदा का स्वास्थ्य भी बरकरार रहता है। असिंचित क्षेत्रों के लिए मिलवां खेती अति लाभकारी है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में कन्द वाली फसलें (जैसे आलू, कसावा, शकरकन्द आदि) बागानी फसलों गन्ना व चुकन्दर आदि के उत्पादन, विविधीकरण, प्रसंस्कीकरण आदि में अपार सम्भावनाएं छिपी हैं। इस प्रकार कृषि विविधीकरण एवं फसल विविधीकरण करके हम कम समय में कम निवेश पर अधिक उत्पादन लेते हुए टिकाऊ पर्यावरण भी रख सकते हैं।

संतुलित रसायनिक उर्वरकों का प्रयोग

उर्वरकों के प्रयोग का तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि निश्चित/निर्धारित नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश आदि पोषक तत्वों की मात्रा ही दी जाए। बल्कि संतुलित उर्वरकों के प्रयोग का आशय उर्वरक मात्रा का निर्धारण भूमि में मौजूद पोषक तत्वों (मृदा परीक्षण के आधार पर) के स्तर, फसल की मांग आदि जैसे कारकों के आधार पर किया जाए। फसलानुसार उपयुक्त उर्वरक का चुनाव सही मात्रा में, सही समय पर, फसल की उचित अवस्था पर सही जगह देना आवश्यक है ताकि फसल उसका अधिक से अधिक उपयोग कर सके।

एकीकृत पोषण प्रबन्धन

एकीकृत पोषण प्रबन्धन से तात्पर्य कार्बनिक व अकार्बनिक स्रोता से इस प्रकार पोषक तत्वों की पूर्ति करना कि मृदा की भौतिक, रसायनिक एवं जैविक अवस्थाएं फसल उत्पादन हेतु अनुकूल बनी रहे एवं भूमि अधिक उत्पादन दे सके। इस हेतु कार्बनिक खादों, हरी खादों, जैविक खादों, दलहनी फसलों आदि का प्रयोग संतुलित रसायनिक उर्वरकों के साथ करना अति लाभकारी होता है। एकीकृत पोषक प्रबन्धन के अन्तर्गत फसल–चक्र

में दलहनी फसलों का समन्वय, कार्बनिक खादों का प्रयोग, हरी खादों का प्रयोग, दलहनी एवं खाद्यान्न फसलों के अवशेषों को भूमि में मिलाना, जैविक खादों आदि को सम्मिलित किया जाता है। इससे प्रति इकाई अधिक उत्पादन मिलता है।

प्रति इकाई निश्चित फसल पौधों की संख्या

प्रति इकाई क्षेत्र में (शोधों द्वारा प्राप्त प्रमाणों से विभिन्न फसलों के लिये निर्धारित स्थान या प्रति हेक्टेयर में पौधों की संख्या) निर्धारित पौधों की संख्या बोने/रखने से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। जैसे गन्ने के लिये एक लाख बारह हजार पांच सौ पौधे प्रति हेक्टेयर, संकर मक्का के लिये 66000 पौधे प्रति हेक्टेयर। इस प्रकार यदि इन निर्धारित पौधों की संख्या से यदि काफी कम या अधिक (+15 प्रतिशत) पौधों की संख्या होगी तो अधिक उत्पादन प्राप्त नहीं हो सकेगा।

एकीकृत खरपतवार प्रबंधन

खरपतवार फसलानुसार 46–60 प्रतिशत तक फसल हानि करते हैं। प्रारम्भिक उपाय यदि अपनाए जाएं जैसे खेत की सफाई, शुद्ध एवं खरपतवाररहित बीज का प्रयोग, खरपतवाररहित सिंचाई, कार्बानिक खादों आदि का प्रयोग तो काफी हद तक खरपतवार नियन्त्रण स्वतः हो जाएगा। इसके बाद भी यदि रह जाते हैं तो 'प्रीइमरजेंस' खरपतवारनाशियों का प्रयोग करके या निकाई–गुड़ाई के दौरान समाप्त किया जा सकता है। सफल खरपतवार नियन्त्रण से खाद, पानी, सूर्य का प्रकाश आदि पौधों को उचित समय पर मिलता है जिससे अधिक उत्पादन होता है।

समुचित जल प्रबंधन

भूमि की नमी पर अन्य कृषि निवेशों एवं पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। अतः प्रभावी जल प्रबन्धन के अन्तर्गत अतिरिक्त जल की निकासी एवं पौधों की मांग के अनुसार उचित व्यवस्था में जल उपलब्ध होना अनिवार्य शर्त है। देश में प्रयुक्त कुल भूजल का 90 प्रतिशत कृषि क्रियाओं में प्रयुक्त होता है जोकि सभी जगह समान रूप से वितरित भी नहीं है। जल की निरन्तर बढ़ती आवश्यकता एवं निरन्तर घटती उपलब्धता के चलते जल के समुचित एवं प्रभावी प्रबन्धन की आवश्यकता है।

एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन

हानिकारक कीटों, कवकों आदि की नवविकसित 'स्ट्रेन' जोकि हमारे द्वारा रासायनिक नाशीजीव पदार्थों के प्रयोग करने से प्रतिरोधी बन विकसित हुई है, हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा रही हैं। कपास/चने की सूंडी, धान का भूरा हापर, धान की फाल्स स्मट, उकठा आदि ऐसे ही उदाहरण हैं। अतः पहले प्रारम्भिक तरीकों को अपनाकर (जैसे – फसल चक्र, खेत की सफाई, साफ–सुथरा एवं शोधित बीज का प्रयोग, प्रतिरोधी प्रजातियों का प्रयोग) इन जीवनाशियों की संख्या हानि स्तर से कम रखनी होगी। फिर भी यदि बढ़ती है तो संस्तुत मात्रा में जीवनाशी रसायनों का सावधानीपूर्वक प्रयोग करना चाहिए।

उपरोक्त नवीन विधियों/प्रणालियों को अपनाकर कम लागत में अधिक टिकाऊ फसल उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।

खाद्यों तक पहुंच हेतु आवश्यक कदम

आज बाजारीकरण एवं भूमण्डलीकरण के युग में यह मिथक भी टूट चुका है कि अधिक अन्न उत्पादन से फसल कटने के बाद खाद्य सामग्री सस्ती होगी। दरअसल अब मण्डियों में फसल आने और बाजार में मूल्य गिरने का सम्बन्ध रहा ही नहीं है। पांच करोड़ टन का सरकारी अनाज भण्डार भी गेहूं, चावल जैसे खाद्यान्नों की कीमतों में अंकुश लगाने में असफल हुआ है। खाद्यान्नों तक पहुंच का सम्बन्ध लोगों की क्रयशक्ति से है। गरीब लोगों की क्रयशक्ति बढ़ाने की दिशा में केन्द्र व राज्य सरकारों ने अनेक योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से कदम उठाए हैं जिनमें से महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार अधिनियम (मनरेगा) मील का पत्थर साबित हुआ है। सरकारी लक्षित जन वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.) के माध्यम से भी अधिकतर राज्यों में खाद्यान्न

उपलब्ध कराया जा रहा है। इस हेतु सफल आपूर्ति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में अभिजीत सेन समिति की सिफारिश कहती है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्यान्नों, दालों, चीनी इत्यादि की उपलब्धता के लिए विभिन्न वस्तुओं के भण्डारण व आयात का पूर्वानुमान लगाना जरूरी है। यदि सही दृष्टि से देखा जाए तो भूख का सम्बन्ध भोजन की मात्रा से ही नहीं बल्कि भोजन/खाद्य पदार्थों के समान वितरण व वाजिब दामों पर गरीबों तक पहुंच से है। अतः इस दिशा में अथक प्रयास करने की जरूरत है क्योंकि देश के सामान्य खाद्यान्न उत्पादक किसान भी 'पोषण की समस्या' से ग्रसित हैं तथा उनकी क्रयशक्ति भी अच्छी नहीं है।

टिकाऊ विकास हेतु संसाधनों का संरक्षण एवं प्रबन्ध

नियमित रूप से उत्पादन प्राप्त करने हेतु प्राकृतिक तत्वों के संरक्षण एवं उनके प्रबन्धन की आवश्यकता है। इनके आवश्यकता से ज्यादा प्रयोग करने से भी इनकी विविधता का क्षरण होता है और ये लुप्त होने लगते हैं जो हमारे भविष्य पर प्रश्नचिन्ह् लगाते हैं। अनेक वृक्षों, जन्तुओं, औषधियों, खाद्यान्नों आदि की देशी प्रजातियां या तो लुप्त हो चुकी हैं या लुप्त होने के कगार पर पहुंच गयी हैं। ये संसाधन हमारे पर्यावरण की इकाई हैं। यदि हम आवश्यकता से अधिक इन्हें क्षति पहुंचाते हैं तो प्राकृतिक आपदाएं, जलवायु परिवर्तन, खाद्य श्रृंखला के टूटने से खाद्य सम्बन्धी समस्याएं आदि उत्पन्न हो जाती हैं। इस हेतु हमें जल, जमीन, जंगल, पर्वत/पहाड़, झील, झरने, वन्य जीव आदि जैसे प्राकृतिक संसाधनों का न्यायोचित उपयोग करना पड़ेगा। भारतीय समुद्री सीमा का भी प्राकृतिक संरक्षण अनिवार्य है।

इस दिशा में 'प्रिसीजन फार्मिंग' की संकल्पना द्वारा आगे बढ़कर 'इन्द्रधनुषी क्रान्ति' लाने की जरूरत है जो सम्पूर्ण कृषि क्षेत्र के विकास एवं खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने की दिशा में एक समन्वित पहल/कदम है। इसके अन्तर्गत टिकाऊ उत्पादन बढ़ाने की रणनीति के साथ ही साथ जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, फसल वृद्वि मॉडल, रिमोट सेंसिंग, भौगोलिक संकेतीकरण प्रणाली (जी.आई.एस.), मौसम सूचना तंत्र, टिकाऊ व संसाधन संरक्षण तकनीक (आर.सी.टी.) एवं उसका हस्तांतरण, पर्यावरण मित्र खाद्य प्रसंस्करण तकनीक, फसल बीमा विस्तार आदि को सम्मिलित किया गया है। इसके साथ ही हमें यह भी नियोजन करना होगा कि कुल कितनी भूमि पर हमें कृषि उत्पादन लेना है। इस हेतु प्रशिक्षित युवा किसानों को भी कृषि की ओर आकर्षित करना होगा ताकि वैज्ञानिक तकनीकों को देशी तकनीकी ज्ञान के साथ प्रयोग में लाया जा सके।

खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु उठाए गए कदम : कृषि वैज्ञानिक डा. एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग (2004–06) की रिपोर्ट के मद्देनजर सरकार ने कई कदम उठाए हैं जो खाद्यान्न एवं कृषक सुरक्षा हेतु मील का पत्थर साबित होंगे। राष्ट्रीय कृषि नवोन्वेषी परियोजना (एन.ए.आई.पी.), राष्ट्रीय कृषि विकास कार्यक्रम (एन.ए.डी.पी.), राष्ट्रीय उद्यान मिशन (एन.एच.एम.), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.), महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी अधिनियम (मनरेगा), सूक्ष्म सिंचाई योजना (एम.आई.एस.), मानव संसाधन विकास प्रशिक्षण, एग्रीक्लीनिक आदि कार्यक्रमों का संचालन हो रहा है। इसके साथ ही भारत ही नहीं वरन विश्व के विभिन्न देशों के कृषि व पोषण से जुड़े संस्थान तथा अर्न्तराष्ट्रीय शोध व विकास संगठन के वैज्ञानिक, शासक व राजनेता इस दिशा में निरन्तर कार्य कर रहे हैं। आइए, हम सब भी इस ओर कदम बढ़ाए ताकि आने वाले कल में कम से कम कोई जीवन भूख की वजह से समय से पहले मुरझाए नहीं।

(लेखक कृषि प्रसार ब्रह्मनंद पी.जी. कालेज राठ, हमीरपुर, (उ.प्र.) में प्रवक्ता हैं।)

''बचाना होगा हर दाना''

किसानों की कड़ी मेहनत और कृषि वैज्ञानिकों के निरंतर सहयोग के कारण भारतीय खेती पहले की अपेक्षा ज्यादा समृद्ध हुई है। बीता दशक विकास का दशक रहा है। किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं आई। किसान क्रेडिट कार्ड से किसान खुद को साहूकारों के जाल से मुक्त करा पाए। फिर भी प्रगतिशील किसानों का यह मानना है कि अधिक अनाज उपजाने के साथ ही उसकी सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती है। आज भी ग्रामीण इलाके में विभिन्न कारणों से हजारों टन अनाज बर्बाद हो जाता है। यदि इस अनाज को बचा लिया जाए तो अनाज के मामले में आत्मनिर्भरता और बढ़ेगी। भुखमरी की समस्या खत्म होगी। यानी अनाज उत्पादन के साथ ही खाद्य सुरक्षा के मुद्दों पर भी किसानों को जागरूक किए जाने की जरूरत है। खाद्यान्न सुरक्षा, खेती-किसानी एवं वर्तमान परिवेश में किसानों की स्थिति, आगामी बजट से किसानों को उम्मीद आदि विषयों को लेकर उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले जौंगीपुर निवासी और प्रगतिशील किसान आत्माराम यादव से लेखिका ने बातचीत की। पेश हैं बातचीत के प्रमुख अंशः

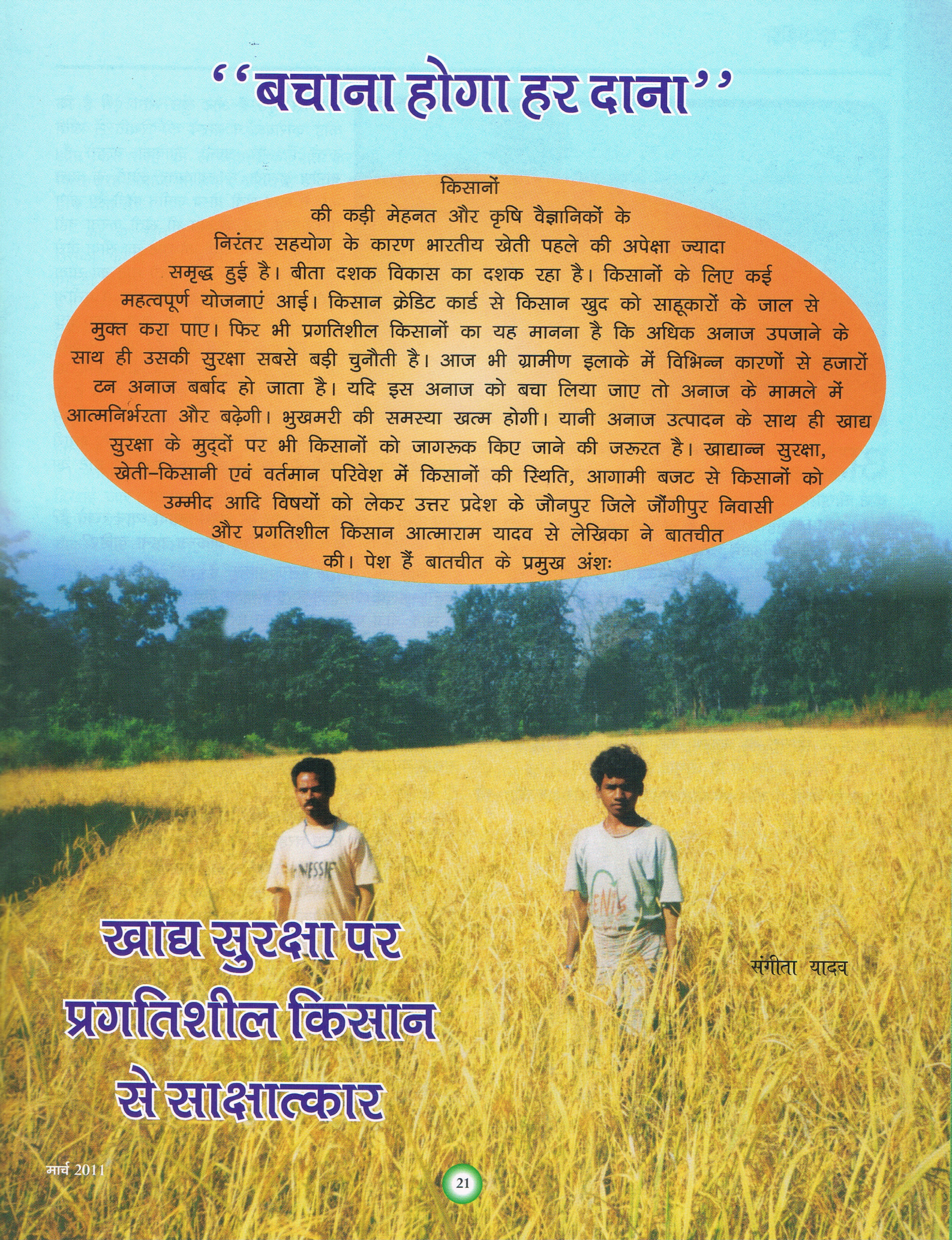

खाद्य सुरक्षा पर प्रगतिशील किसान से साक्षात्कार

संगीता यादव

आत्माराम यादव अपने खेत में

अपने बारे में बताए? आपने दूसरे कारोबार करने के बजाय खेतीबाड़ी को ही अपना पेशा क्यों चुना। खेती का ककहरा कैसे सीखा?

पढ़ाई–लिखाई के वक्त ही मैं खेती में जुट गया था। मेरे पिताजी खेती को अपने ढंग से करते थे, लेकिन मैं उसे नए तरीके से हमेशा करने की कोशिश करता। इस दौरान कई बार पिताजी एवं हमारे बीच विरोध की भी स्थिति आती। वे नुकसान होने पर धमकी भी देते, लेकिन मैं लगा रहा। हमेशा मेरे दिमाग में यह बात कौंधती रहती है जब हमारे पास पर्याप्त खेत हैं तो फिर हम दूसरों पर आश्रित क्यों हों? शहर जाता तो कृषि विभाग के दफ्तर का चक्कर काट लेता। ब्लॉक मुख्यालय पर कोई कृषि संबंधी चर्चा होती तो उसमें हिस्सा लेता। फिर ट्रैक्टर ले लिया। खेत में ही पंपसेट की व्यवस्था कर ली। अब न जुताई के लिए दिक्कत होती है और न ही सिंचाई के लिए।

शुरुआती दिनों में कौन–सी फसल उपजाते थे और अब कौन–सी फसल ले रहे हैं?

हमारे गांव की मिट्टी दोमट है। अन्य लोगों की तरह ही मैं भी पहले धान, गेहूं की ही खेती करता था, लेकिन धान एवं गेहूं के बीज की नई प्रजातियों की खोज में हमेशा लगा रहता। सरकारी–स्तर पर हमारे इलाके में कोई भी नया बीज आया तो उसकी पहली बुवाई मेरे ही खेत में हुई। धीरे–धीरे संसाधन बढ़ाए और अब सब्जी की भी खेती कर रहा हूं। सच्चाई तो यह है कि सब्जी की खेती कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाली है और इसे हर तरह की मिट्टी में उगाया जा सकता है।

कुछ किसानों का कहना है कि खेती घाटे का सौदा हो गई है। आप क्या मानते हैं?

भारत को 'खेतिहरों का देश' कहा जाता है। आज भी किसानों का एक बड़ा वर्ग है। कुछ लोग तो व्यावसायिक रूप से खेती से जुड़े हैं और कुछ लोग ऐसे हैं कि कोई कारोबार न करने की स्थिति में खेती करते हैं और अपनी जीविका चलाते हैं। ग्रामीण इलाके में ज्यादातर लोगों के पास कुछ न कुछ खेती योग्य जमीन होती है। लोग नौकरीपेशा होने के बाद भी खेती करना नहीं भूलते हैं। ऐसे में खेती को घाटे का सौदा कैसे कहा जा सकता है? यदि खेती घाटे का सौदा होती तो क्यों लोग रात–दिन खेत में पसीना बहाते। सच तो यह है कि खेती बिना कुछ लिए हमें कुछ न कुछ देती है। यदि हम खेती को थोड़ी गंभीरता से लेते हैं और समय पर खाद, बीज, पानी आदि का ध्यान रखते हैं तो हम न सिर्फ अपने परिवार को खाद्यान्न उपलब्ध कराते हैं बल्कि खेती के जरिए हमारी सभी जरूरतें पूरी होती हैं। ऐसे में खेती को कभी भी घाटे का सौदा नहीं कहा जा सकता।

आप खेती के दौरान किस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं? एक किसान को किस बात के लिए चौकन्ना रहना चाहिए?

खेती के अलग–अलग पहलू हैं। हर फसल के लिए अलग–अलग तकनीकी है, इन सबके बीच जो बात कॉमन है वह है खाद, बीज का चुनाव। समय पर सिंचाई और फसल सुरक्षा। मिट्टी की स्थिति के अनुसार बीज का चयन करना चाहिए। कृषि वैज्ञानिकों की ओर से दी गई सलाह के अनुसार समय–समय पर सिंचाई, निराई–गुड़ाई आदि का ध्यान रखना चाहिए। अधिक पानी देने से भी फसल खराब हो सकती है और कम पानी देने से भी। खेती के सारे सिस्टम कृषि वैज्ञानिकों की ओर से दी गई सलाह के तहत किए जाए तो परंपरागत तरीके की अपेक्षा उपज करीब डेढ़ गुना अधिक प्राप्त की जा सकती है।

आज पूरी दुनिया में खाद्यान्न सुरक्षा को लेकर चिंता जताई जा रही है। इसमें किसान किस तरह से अपनी भूमिका निभा सकते हैं?

खाद्यान्न संकट से उबरने में किसान अपनी विशेष भूमिका निभा सकते हैं। खेतों से अधिक से अधिक अनाज खलिहान तक पहुंचे, इसके लिए कृषि वैज्ञानिकों की ओर से तमाम तकनीकी बताई जाती है। किसान उसे अपनाते भी हैं। लेकिन खड़ी फसल से लेकर अनाज के घर में पहुंचने तक उपज का एक बड़ा हिस्सा बर्बाद हो जाता है। इस बर्बादी को रोकना बहुत जरूरी है। यदि देश के सारे किसान यह तय कर लें कि वे उपज का एक दाना भी निष्प्रयोज्य नहीं होने देंगे तो हजारों लोगों के लिए अनाज की व्यवस्था हो सकती है। कृषि विभाग की ओर से आयोजित होने वाली गोष्ठियों में भी यह बात समझाई जाती है लेकिन किसान समझ नहीं पाता। उसे तो बस यही लगता है कि दो–चार दानों से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन सच्चाई

यह है कि किसान की इस लापरवाही से उसे ही नहीं फर्क पड़ता बल्कि पूरे देश को फर्क पड़ता है।

आप किस तरह की लापरवाही की बात कर रहे हैं? किसान किस तरह अनाज को बर्बाद करता है अथवा यह कहें कि बर्बाद होने देता है?

कई बार खेत में फसल पककर तैयार रहती है और किसान उसकी कटाई नहीं करवा पाता। इससे काफी दाने गिरकर मिट्टी में मिल जाते हैं तो कुछ दाने चिड़ियां, चूहे आदि खा जाते हैं। खलिहान में पहुंचने के बाद भी काफी अनाज बर्बाद होता है। मड़ाई के दौरान भी काफी अनाज बर्बाद होता है। इस बर्बादी को रोकने की जिम्मेदारी निभानी होगी। जब किसान के घर में अनाज रहता है तो वह उसकी परवाह नहीं करता। उदाहरण के तौर पर आलू को ही लें। जब किसान के घर में आलू रहता है तो रखरखाव के अभाव में काफी मात्रा में सड़ जाता है और फिर किसान बाजार से महंगे दर पर आलू खरीदने को विवश होता है। अनाज अथवा अन्य खाद्यान्न को सुरक्षित रखने में भी गंभीरता दिखाई जाए। किसान जिस तरह से अनाज उपजाने को कड़ी मेहनत करते हैं, उसी तरह अनाज की सुरक्षा को लेकर भी चौकन्ने रहें तो सकल उत्पादन अपने आप बढ़ जाएगा।

प्राथमिक स्तर पर अनाज उत्पादन को बढ़ाने में किसान और किस तरह की मदद कर सकता है? किसान अपने आप कैसे स्वावलंबी बन सकते हैं?

किसान कड़ी मेहनत करके अधिक से अधिक अनाज पैदा करे और सरकार उसकी उपज का समुचित मूल्य दिलाने की दिशा में प्रयास करे, तो उत्पादन तेजी से बढ़ेगा। तमाम किसान एक फसल लेने के बाद खेत को खाली छोड़ देते हैं जबकि किसानों को चाहिए कि बहुफसली खेती करें। इससे एक तरफ राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन का ग्राफ बढ़ेगा, दूसरी तरफ किसानों को अतिरिक्त आमदनी होगी। बहुफसली खेती के साथ ही किसान औद्योगिक खेती व औषधीय खेती करके अधिक लाभ कमा सकते हैं।

सरकार की ओर से खाद्यान्न सुरक्षा से संबंधित योजनाओं का कितना लाभ किसानों को मिल पा रहा है?

खाद्यान्न सुरक्षा से संबंधित कई योजनाएं किसानों के लिए चलाई जा रही हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत विभिन्न राज्यों में अलग–अलग फसलों के लिए अलग–अलग योजनाएं हैं। कुछ राज्यों में दलहन अभियान चल रहा है तो कुछ जगह तिलहन। हमारा जिला गेहूं उत्पादन में शामिल था। इस योजना के आने के बाद किसानों को काफी लाभ हुआ है। विभिन्न स्थानों पर आयोजित होने वाली गोष्ठियों एवं अन्य कार्यक्रमों से किसान ज्यादा अनाज उपजाने के प्रति अग्रसर हुए हैं। किसानों की जरूरतें बैंक से मिलने वाले ऋण से पूरी हो रही हैं। बस उसे कृषि विभाग के कार्यालय में संपर्क करना पड़ता है, जहां उससे एक फार्म भरवाया जाता है और किसान को सहायता मिल जाती है। किसान को प्रमाणित बीज के लिए छूट की व्यवस्था की गई है। पंपसेट आदि के लिए भी सहायता मिलती है। इसका सबसे ज्यादा फायदा लघु एवं सीमांत किसानों को मिला है। इसी तरह अन्य योजनाएं भी किसानों के लिए काफी कारगर साबित हुई हैं।

उत्पादन बढ़ाने की दिशा में सरकारी स्तर पर किस तरह की जरूरत महसूस की जा रही है?

इन दिनों शहरीकरण का दौर चल रहा है। जनसंख्या वृद्धि होने के साथ ही खेती की जमीनें कम हो गई हैं। आज से 20 साल पहले जिस व्यक्ति के पास पांच हेक्टेयर जमीन थी वह कई टुकड़ों में बंट गई है। परिवार बढ़ा तो मकान बनाने की जरूरत पड़ी। फिर दूसरी जरूरतें भी बढ़ी। जहां खेती होती थी वहां बाजार बस गए हैं। ऐसे में विभिन्न कारणों से बिना प्रयोजन पड़ी जमीन को खेती की जमीन के रूप में विकसित करने के लिए सरकार किसानों को प्रोत्साहित करे, उन्हें अनुदान दे। साथ ही सरकार कल कारखाने अथवा अन्य गतिविधियों के लिए किसी भी कीमत पर खेती योग्य भूमि का चयन न करे। इससे उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों बढ़ेंगे।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में आपको कैसे जानकारी मिली और इस मिशन से किसानों को अन्य कौन से लाभ मिल रहे हैं?

खेती की बात कही भी हो, मैं हमेशा चौकन्ना रहता हूं। एक दिन मिशन से संबंधित खबर अखबार में छपी थी। बस कृषि विभाग के कार्यालय पहुंच गया। वहां से पूरी जानकारी प्राप्त की। मिशन के तहत समेकित कीट प्रबंधन पर प्रति हेक्टेयर 750 रुपये

की सहायता दी जा रही है। इसी तरह मल्टी क्राप प्लांटर, जीरो टिल सीड ड्रिल आदि की खरीद पर भी करीब 50 प्रतिशत की सहायता का प्रावधान किया गया है।

किसानों के लिए तमाम योजनाएं कई सालों से चलाई जा रही थीं, फिर भी किसानों की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ। इधर एक दशक से किसानों की स्थिति काफी बदलती नजर आ रही है। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं?

सबसे बड़ा कारण है शिक्षा का विकास। पहले लोग पढ़े–लिखे नहीं थे। ऐसे में सरकारी गतिविधियां सरकारी मुलाजिमों तक ही सीमित थी। अब लोग पढ़े–लिखे हैं। किसान यह जानता है कि किस कार्यालय में जाकर वह कौन–सी जानकारी प्राप्त कर सकता है। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि अब अधिकारी–कर्मचारी भी इस बात से डरते हैं कि शिक्षित किसान उनसे हिसाब मांग सकता है। यही वजह है किसानों के लिए सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का प्रचार–प्रसार किया जाता है। हालांकि अभी यह प्रयास उतना व्यापक नहीं हो पाया है, जितना होना चाहिए।

किसानों के लिए सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं? किस तरह के प्रयास की और जरूरत महसूस हो रही है?

किसानों को प्रशिक्षित करने के स्तर पर अभी उतना काम नहीं हो पाया है, जितना होना चाहिए। सरकार की ओर से ऐसी योजना विकसित की जाए, जिसमें ग्रामसभा स्तर पर हर माह कम से कम एक प्रशिक्षण शिविर जरूर लगे। इस प्रशिक्षण शिविर में किसानों को मौसम के अनुरूप खेती के तौर–तरीके सिखाए जाएं। यह बताया जाए कि जो जमीन खाली पड़ी है अथवा अनुपजाऊ है, उसे कैसे उपजाऊ बनाया जाए? इससे निश्चित रूप से खेती की स्थिति में सुधार होगा। किसानों को औद्योगिक खेती एवं औषधीय खेती का व्यापक स्तर पर प्रशिक्षण दिए जाने की जरूरत है। अगर किसानों के लिए कोई काम सबसे कम हुआ है तो वह है प्रशिक्षण का। इस दिशा में सरकार की ओर से विशेष पहल किए जाने की जरूरत है।

कृषि विश्वविद्यालयों एवं कृषि विभाग की ओर से किसानों को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। किसान मेले का भी आयोजन हो रहा है। फिर आप यह कैसे कह रहे हैं कि किसानों को प्रशिक्षण नहीं मिल रहा है?

जिस अनुपात में हमारे देश में किसान हैं, उस हिसाब से प्रशिक्षण की व्यवस्था करने की मैं बात कर रहा हूं। कृषि विभाग एवं विश्वविद्यालयों की ओर से अभी तक गांव–गांव प्रशिक्षण की योजना नहीं पहुंच पाई है। महीनों बाद चार–छह गांवों को मिलाकर एक प्रशिक्षण रखा जाता है, जबकि किसान हर गांव में हैं या यह कहें कि ग्रामीण इलाके का करीब–करीब हर परिवार किसी न किसी रूप में खेती से जुड़ा है। ऐसे में सरकार को प्रशिक्षण के स्तर पर व्यापक योजना बनाए जाने की जरूरत है।

एक किसान के तौर पर आगामी आम बजट में केंद्र सरकार से क्या उम्मीद करते हैं।

सरकार से यही उम्मीद है कि हमेशा की तरह इस बार के बजट में भी किसानों को निराश नहीं होना पड़ेगा। सूखा एवं अन्य कारणों से पीड़ित किसानों को कर्जमाफी जैसी योजनाओं से लाभान्वित किया जाए। किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जैसी कुछ अन्य योजनाएं चलाई जाएं। किसानों को ऋण में कुछ सहूलियतें मिलनी चाहिए। कृषि कार्य में लिए गए ऋण की ब्याज दरें और कम की जाएं तो किसानों को काफी फायदा मिलेगा। किसान लोन लेकर उन फसलों को भी उगाएंगे, जिन्हें अभी तक काफी रिस्की माना जाता है। फसल बीमा योजना को और व्यापक बनाया जाए। इसके अलावा किसानों को उपज बेचने के लिए भी गांव स्तर पर विक्रय केंद्र खोले जाने चाहिए। गेहूं, धान की तरह ही दूसरी फसलों का भी समर्थन मूल्य घोषित किया जाना चाहिए। किसानों को हर फसल के बारे में प्रशिक्षण दिया जाए।

आपने आगामी बजट में किसान क्रेडिट कार्ड जैसी अन्य योजना चलाने की बात कही। क्या आपने किसान क्रेडिट कार्ड लिया है। क्या यह कार्ड किसानों के लिए लाभकारी है?

बहुत लाभकारी है। सच्चाई तो यह है कि किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधा अभी तक किसानों को मिली ही नही थी। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि जिसके पास जितना खेत है, उस हिसाब से उसकी ऋण सीमा तय कर दी जाती है। किसान जब चाहे बैंक से पैसा ले सकता है और

जब चाहे जमा कर सकता है। इस योजना के संचालित होने के कारण किसान साहूकारों के चंगुल से छूट गए हैं। अब किसी को खाद, बीज के लिए अपने बाजार के दुकानदारों पर आश्रित नहीं रहना पड़ता है। बैंक से पैसा निकला और मनमाफिक बीज खरीद कर खेत में बुवाई कर दिया। जैसे ही पैसा आया, बैंक का पैसा वापस कर दिया। इसकी सबसे बड़ी अच्छाई है जितने समय तक पैसा लिया जाता है, उतने समय ही ब्याज देना पड़ता है। इस कार्ड की वजह से किसान खेती के लिए पैसा लेते हैं और जो पैसा बच जाता है, उससे अपनी दूसरी जरूरतें भी पूरी कर लेते हैं। यह कार्ड किसानों को कई स्तरों पर साहूकारों के जाल से बचाता है। हमारे गांव ही नहीं बल्कि मैं तो कहता हूं कि मैं जितने भी लोगों को जानता हूं करीब–करीब सभी के पास किसान क्रेडिट कार्ड है।

किसानों के लिए काल सेंटर खोले गए हैं। क्या किसानों को इसका लाभ मिल रहा है? क्या आपने कभी किसान काल सेंटर से कोई जानकारी ली।

हां, किसान काल सेंटर ने किसानों की तमाम मुश्किलों को आसान कर दिया है। किसी भी तरह की समस्या होने पर किसान काल सेंटर पर फोन करके अपनी समस्या का समाधान पा लेता है। जहां तक मेरे जानकारी लेने की बात है तो कुछ दिन पहले कोहरे के कारण आलू की फसल में झुलसा रोग लग गया था। मैंने तुरंत किसान काल सेंटर पर कॉल करके झुलसा रोग से बचाव संबंधी दवाओं के बारे में जानकारी ली और अपनी फसल को बर्बाद होने से बचा लिया।

ग्लोबल वार्मिंग का बड़ा हल्ला है। कहा जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सब कुछ प्रभावित हो रहा है। खेती को बड़ा नुकसान हो रहा है। आप कितना समझते हैं?

ग्लोबल वार्मिंग के विषय में अखबारों एवं विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं में पढ़ता रहता हूं। लेकिन जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग खेती के लिए समस्या खड़ा करेगा उसी तरह हमारे कृषि वैज्ञानिक खेती की नई तरकीबें ढूंढ रहे हैं। सरकार के स्तर पर भी सार्थक प्रयास हो रहा है। ऐसे में किसानों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस, उन्हें ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देने वाले कारकों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। कम से कम कीटनाशक और रासायनिक खादों का प्रयोग करना चाहिए। इसी में सभी की भलाई है।

ग्रामीण विकास को किस तरह देखते हैं। किस तरह गांव बदल रहे हैं?

गांवों का तेजी से विकास हो रहा है। हर गांव में पक्की सड़कों के साथ ही दूसरी तमाम सुविधाएं पहुंच गई हैं। सड़कों का निर्माण होने से किसानों को बहुत फायदा मिला है। पहले सड़कें न होने के कारण उन्हें अपनी उपज बेचने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। उन्हें खाद–बीज खेत तक ले जाने में काफी परेशानी होती थी, लेकिन सड़कें हर खेत के किनारे से होकर जा रही हैं। इससे किसानों की एक बड़ी समस्या का समाधान हो गया है। पहले गांवों में न तो सिंचाई की सुविधा थी और न ही मड़ाई की। अब गांव–गांव बिजली पहुंच रही है। बिजली पहुंचने के बाद लघु एवं सीमांत किसान बड़े किसानों पर आश्रित नहीं रह गए हैं बल्कि उन्होंने खुद का पंपसेट लगा रखा है। बिजली पर आधारित उद्योग भी खुल रहे हैं। खेती संबंधी तमाम संसाधन गांवों में आसानी से उपलब्ध हैं। बिजली के साथ ही गांव में संचार सुविधाओं का भी विकास हुआ है। हर घर में फोन एवं मोबाइल हैं। इसी तरह अन्य सुविधाएं भी गांवों में पहुंच गई हैं। बीता दशक विकास का दशक रहा, यह कहना गलत नहीं होगा।

आज हर युवक खेती के बजाय कारपोरेट की ओर से लालायित रहता है। ऐसे में नवयुवकों को क्या संदेश देना चाहेंगे?

मेरा बस इतना ही कहना है कि जो कुछ भी करो मन लगाकर करो। खेती को कभी भी छोटा मत समझो। किसानों के हितों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहो। क्योंकि किसान की कड़ी मेहनत की बदौलत ही हर व्यक्ति को दो वक्त की रोटी नसीब होती है। खेती करने को कभी भी छोटा काम नहीं समझा जाना चाहिए। जिसे खेती करने के गुण मालूम होंगे, वह सफल होगा। यह धरती हमेशा कुछ न कुछ देती है। यदि बिना कुछ लगाए एक दाना मिट्टी में गिरा दिया जाए तो वह कम से कम 25 दानें हमें देता है।

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं)
ई–मेल : sangeetayadav.shivam@gmail.com

खाद्य सुरक्षा की ओर बढ़ते कदम

डॉ. सुरेन्द्र कटारिया

देश में 1991 के बाद जिस गति से जनसंख्या बढ़ी है उसकी तुलना में खाद्यान्न उत्पादन नहीं बढ़ा। यही कारण है कि 1991 में प्रति व्यक्ति 185.3 कि.ग्रा. खाद्यान्न प्रतिवर्ष उपलब्ध था जोकि 2001 में लगभग 149.5 कि.ग्रा. ही रह गया। ऐसे में जरुरी है कि जनसंख्या स्थिरीकरण पर जोर दिया जाए। दूसरी ओर देश में जितनी मात्रा में दूध की आवश्कता है उतना पशुधन नहीं बढ़ रहा है। परिणामतः सम्पूर्ण उत्तरी-पश्चिमी भारत में नकली एवं मिलावटी दूध निर्माण का एक बड़ा उद्योग खड़ा हो गया है। ऐसी ही प्रवृत्तियां खाद्यान्न एवं फल उत्पादन में भी दिखाई दे रही हैं जोकि नितांत चिंताजनक हैं। इसलिए यह जरुरी हो गया है कि खाद्यान्न सुरक्षा के साथ-साथ खाद्यान्न गुणवत्ता का कानून भी लागू किया जाए।

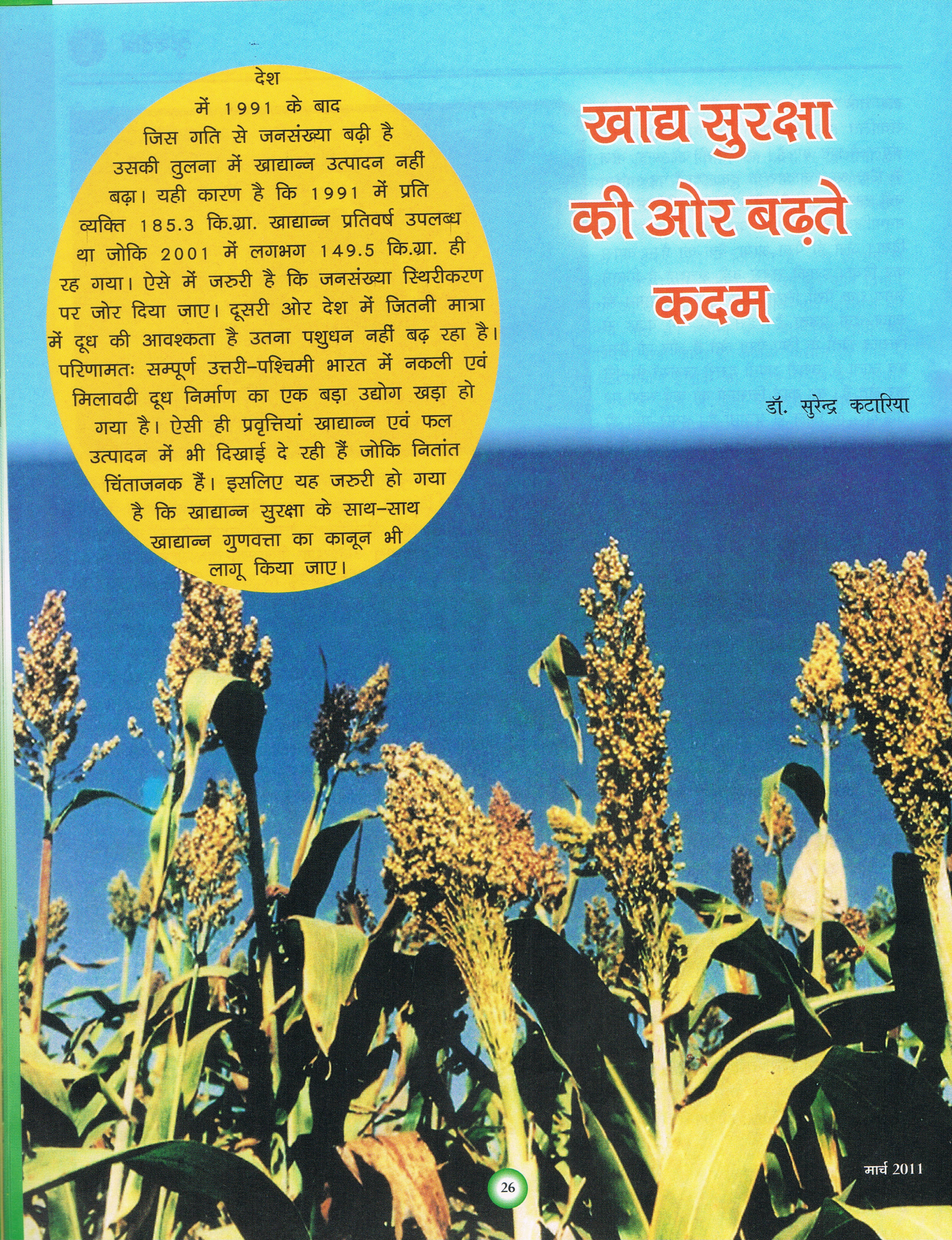

विगत सदी के अस्सी के दशक के बाद जन्म लेने वाले आज के भारतीय युवाओं एवं किशोरों को शायद ही विश्वास हो कि स्वतंत्रता के 20–25 वर्षों तक भारत अकाल, सूखा, महामारी, गरीबी तथा भुखमरी से पीड़ित ऐसा देश था जिसे अमेरिका से गेहूं आयात कर भारतीयों के पेट की आग बुझानी पड़ती थी। राशन की दुकान से मिलने वाले तथा पी. एल. 480 के नाम से प्रचलित गेहूं की रोटी न केवल रबड़ की भांति खिंचती थी बल्कि एक चपाती 100 ग्राम देशी घी को पी जाती थी। सन् 1951 से शुरू किए गए आर्थिक नियोजन तथा ढांचागत सुविधाओं के प्रसार के पश्चात् अस्सी का दशक आते–आते भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गया तथा स्थिति यह है कि भारत न केवल खाद्यान्न निर्यात करता है बल्कि 2 करोड़ टन खाद्यान्न का 'बफर स्टॉक' भी रखता है और आम नागरिक को खाद्य सुरक्षा की गारंटी देने के लिए कानून तैयार कर रहा है।

आयात से निर्यात

साठ के दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को 'शिप–टू–माउथ' खाद्य अर्थव्यवस्था कहा जाता था अर्थात् विदेशों से आयात होने वाला गेहूं जहाज से सीधे भूखे लोगों के पेट तक जाता था। वर्ष 1963 से 1968 के दौरान जिस 'हरित क्रांति' को भारत ने अपनाया उसने भारतीय खेती तथा अर्थव्यवस्था दोनों की दिशा एवं दशा बदल दी। कृषि वैज्ञानिक नॉरमन ई. बोरलॉग, कृषि मंत्री सी. सुब्रमण्यम तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक एम.एस. स्वामीनाथन ने बौनी फसल के जिन मैक्सिकन बीजों (सोनारा–64 तथा लेरमा रोजो) को अपनाया, उससे भारतीय कृषि उत्पादन का परिदृश्य ही बदल गया। भारतीय खेतों में गेहूं के संकर बीजों को सर्वप्रथम पंजाब के किसानों ने आगे बढ़कर अपनाया था। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि सन् 1968 में जब पंजाब में गेहूं की फसल काटी गई तो अनाज की बोरियां रखने की जगह ही नहीं बची तथा सरकारी स्कूलों के कमरे भी गेहूं की बोरियों से भर गए थे। इसीलिए सी. सुब्रमण्यम ने भारतीय हरित क्रांति के लिए पंजाब के किसानों को 'असली हीरो' बताया था जिन्होंने आगे बढ़कर यह क्रांति सफल बनायी। वरना एक समय तो संसद में विपक्षी दलों, नौकरशाहों तथा पत्रकारों ने इस क्रांति के विरोध में आन्दोलन खड़ा कर दिया था। सन् 1968 में अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के प्रशासक 'विलियम एस. गौड़' ने भारत की क्रांति को हरितक्रांति (ग्रीन रिवोल्यूशन)

नाम दिया था। कालान्तर में स्थिति यह बनी कि वर्ष 1985–86 तक गेहूं तथा चावल की पैदावार दुगुनी हो गई। वर्ष 1950–51 में भारत में 5 करोड़ खाद्यान्न उत्पन्न हुआ था जोकि वर्ष 2000–01 तक 3 गुना से अधिक बढ़कर 17.6 करोड़ टन हो चुका था। खाद्यान्न में सर्वाधिक बढ़ोत्तरी अस्सी तथा नब्बे के दशकों के बीच रही है।

सारणी – 1 भारत में खाद्यान्न उत्पादन (दस लाख टन में)

वर्ष	गेहूं	चावल	मोटा अनाज	दालें	कुल खाद्यान्न
1950–51	20.58	6.46	15.38	8.41	50.83
1960–61	34.58	11.00	23.74	12.70	82.02
1970–71	42.22	23.83	30.55	11.82	108.42
1980–81	53.63	36.31	29.02	10.63	129.59
1990–91	74.29	55.14	32.70	14.26	176.39
2000–01	84.98	69.68	31.08	11.07	196.81
2010–11 (अनुमानित)	82.00	86.00	32.00	14.00	214.00

सारणी – 2 भारत में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता (कि.ग्रा. प्रति वर्ष)

वर्ष	गेहूं	चावल	मोटा अनाज	दालें	कुल खाद्यान्न
1951	24.00	58.0	40.2	22.1	144.3
1961	28.9	73.4	43.6	25.2	171.1
1971	37.8	70.3	44.3	18.7	171.1
1981	47.3	72.2	32.8	13.7	166.0
1991	60.0	80.9	29.2	15.2	185.3
2001	49.6	69.5	20.5	10.9	149.5
2010 (अनुमानित)	–	–	–	–	–

छठी एवं सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान सिंचाई सुविधा बढ़ने से खाद्यान्न उत्पादन में तेजी से बढ़ोतरी हुई। आज भारत में प्रति व्यक्ति 444 ग्राम खाद्यान्न प्रतिदिन उपलब्ध है। भारत में विश्व का 22.1 प्रतिशत चावल तथा 12.0 प्रतिशत गेहूं उत्पादित होता है।

हरितक्रांति के दौर में भारत में सन् 1964 में भारतीय खाद्य निगम बनाया गया तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विस्तार के साथ–साथ किसानों को खाद्यान्न हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य की शुरुआत की गई। आज भारतीय खाद्य निगम के पास 3 करोड़ टन खाद्यान्न रखने की क्षमता है तथा देशभर में फैली राशन की दुकानों तक खाद्यान्न वितरित करने का तंत्र कार्यरत है। देश का 12 प्रतिशत खाद्यान्न सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित होता है। खाद्यान्न की दृष्टि से अत्यन्त कमजोर राज्य केरल की नागरिक खाद्य आपूर्ति इसी प्रणाली से पूरी होती है। 15 अगस्त, 1995 से देश के प्राथमिक स्कूलों में पूरक पोषाहार के रूप में मध्यान्ह् भोजन योजना (मिड–डे मील स्कीम) भी संचालित हो रही है जो प्रत्येक विद्यार्थी को प्रतिदिन 300 कैलोरी एवं 8–10 ग्राम प्रोटीन का भोजन उपलब्ध कराती है।

वर्ष 2008–09 में भारत ने कृषि एवं संबद्ध वस्तुओं का ₹ 59,312 करोड़ का निर्यात किया था जोकि विगत वर्ष की तुलना में 22 प्रतिशत अधिक था। वैश्वीकरण के दौर में भारतीय कृषि तथा इससे संबंधित क्षेत्रों में स्वाभाविक रूप से आमूल परिवर्तन आ रहे हैं। सक्षम भारत कृषकों हेतु ऋण माफी जैसी योजना संचालित कर रहा है तो दूसरी ओर 60 हजार करोड़ रुपये की वार्षिक की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना भी संचालित कर रहा है। इसी प्रकार की योजना विश्व भर में कही भी न तो संचालित हुई है और न ही संचालित हो रही है। यह योजना भी श्रमिक वर्ग को खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करा रही है।

खाद्य सुरक्षा की ओर

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यू.पी.ए.) सरकार ने अपने चुनाव घोषणापत्र में किए वायदे को निभाने हेतु खाद्य सुरक्षा संबंधी कानून की पहल की है। अक्टूबर, 2010 में यू.पी.ए. सरकार की राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने यह निर्णय किया कि देश की 75 प्रतिशत जनता को खाद्य सुरक्षा के दायरे मे लाने हेतु 'खाद्य सुरक्षा अधिनियम' बनाया जाएगा।

खाद्य सुरक्षा से तात्पर्य किसी व्यक्ति के लिए पर्याप्त खाद्यान्न की उपलब्धता तथा उस तक उसकी पहुंच से है। स्पष्ट है कि ऐसी खाद्य सुरक्षा आधुनिक कल्याणकारी राज्य के दौर में सरकार ही प्रदान कर सकती है। यदि भारत सरकार देश की तीन–चौथाई जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा के दायरे में लाती है तो इससे कुल 79,931 करोड़ रुपये की वार्षिक खाद्य सब्सिडी (राज सहायता) का बोझ उठाना पड़ेगा जोकि अभी ₹ 56,700 करोड़ है। प्रस्तावित विधेयक के अनुसार देशभर की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करते हुए परिवारों को दो श्रेणियों में बांटा जाएगा। गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) के स्थान पर प्राथमिकता वाले परिवार (प्रायोरिटी सेक्टर हाउसहोल्ड्स) की श्रेणी बनाने की अनुशंसा यू.पी.ए. सरकार की राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने की है। दूसरी श्रेणी 'सामान्य परिवारों' की होगी। प्राथमिकता वाले परिवारों का बाजरा एक रुपये किलो, गेहूँ 2 रुपये किलो तथा चावल 3 रुपये किलो दिया जाएगा जबकि सामान्य परिवारों से न्यूनतम समर्थन मूल्य का 50 प्रतिशत तक लिया जाएगा।

वर्ष 2010–11 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एन.एस.पी.) ₹ 1100 प्रति क्विंटल रखा गया था अतः खाद्य सुरक्षा के अधीन ₹ 5.50 प्रति किलो की दर से गेहूं सामान्य परिवारों को वितरित किया जाएगा। प्राथमिकता वाले परिवारों को 35 कि.ग्रा. खाद्यान्न तथा सामान्य परिवारों को 20 कि.ग्रा. प्रतिमाह रियायती मूल्यों पर देय होगा। वर्ष 2009–10 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत 4.24 करोड़ टन खाद्यान्न सरकार द्वारा खरीदा गया था।

प्रस्तावित खाद्यान्न सुरक्षा के लागू होने पर इसका अनुमान 6.2 करोड़ टन खाद्यान्न लगाया गया है। भारत में माननीय सर्वोच्च न्यायालय यह टिप्पणी कर चुका है कि देश के सुरक्षित खाद्य भण्डार में से गरीबों को अनाज दिया जाना चाहिए। किसी भी आधुनिक राज्य में निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के बजाय उसे रियायती दर पर वितरित करना श्रेष्ठ कदम है। इससे निर्धन व्यक्तियों को जीवन का सम्बल मिलता है तथा सरकारी खजाने पर अंतहीन बोझ भी नहीं पड़ता है। यद्यपि भारत में सन् 1955 से आवश्यक वस्तु अधिनियम प्रवर्तित है जोकि उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित कराने के साथ–साथ बेईमान व्यापारियों पर भी नियंत्रण करता है। सन् 1989 में आवश्यक वस्तुओं की सूची में 70 वस्तुएं सम्मिलित थी। परिवर्तित परिस्थितियों तथा चहुंमुखी विकास के कारण अब इन वस्तुओं की संख्या घटकर केवल 7 रह गई है।

सारणी – 3 भारत में प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा

क्र.स.	कारक	प्राथमिकता वाले परिवार	सामान्य परिवार	कुल
1.	**लक्षित जनसंख्या**	46 प्रतिशत ग्रामीण तथा 28 प्रतिशत शहरी जनसंख्या	44 प्रतिशत ग्रामीण तथा 22 प्रतिशत शहरी जनसंख्या (कुल 35 प्रतिशत)	75 प्रतिशत
2.	**कुल परिवार**	9.68 करोड़	8.92 करोड़	18.6 करोड़
3.	**देय खाद्यान्न**	बाजरा ₹ 1/कि.ग्रा. गेहूँ ₹ 2/कि.ग्रा. चावल ₹ 3/कि.ग्रा.	न्यूनतम समर्थन मूल्य का 50 प्रतिशत तक	––
4.	**देय खाद्यान्न मात्रा**	35 कि.ग्रा./माह	20 कि.ग्रा./माह	––
5.	**प्रतिवर्ष खाद्यान्न आवश्यकता**	––	––	6.2 करोड़ टन

(नोट–उपर्युक्त प्रस्ताव यू.पी.ए. सरकार की राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् द्वारा सरकार को दिए गए हैं)

भविष्य की चुनौतियां

इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला भारत देश आज अपनी समस्त आवश्यकताएँ पूरी करने में सक्षम है किन्तु भविष्य में 125 करोड़ (संभावित) या अधिक आबादी का पेट भरना निश्चय ही असम्भव नहीं तो चुनौतीपूर्ण कार्य अवश्य होगा। स्वतंत्रता के समय भारत की जनसंख्या 34 करोड़ थी जो 50 वर्ष पश्चात् 3 गुना बढ़कर 102 करोड़ हो गई किन्तु इसी अवधि में खाद्यान्न उत्पादन 5 करोड़ टन से बढ़कर 19.6 करोड़ टन अर्थात् लगभग 4 गुना हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जनसंख्या की तुलना में खाद्यान्न उत्पादन अधिक हुआ है किन्तु तस्वीर का दूसरा पक्ष भी विचारणीय है। वह यह कि भारत के पास कृषि योग्य भूमि की सीमित उपलब्धता है तथा भूमि की उर्वरता भी घट रही है। साथ ही दलहन तथा तिलहन की स्थिति सुदृढ़ नहीं है। भारत को आज पुनः दालें आयात करनी पड़ रही हैं। सन् 1991 के पश्चात् जिस गति से जनसंख्या में वृद्धि हुई है उसकी तुलना में खाद्यान्न उत्पादन नहीं बढ़ा है। यही कारण है कि सन् 1991 में प्रति व्यक्ति 185.3 कि.ग्रा. खाद्यान्न प्रतिवर्ष उपलब्ध था जो कि सन् 2001 में गिरकर लगभग 149.5 कि.ग्रा. रह गया। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि जनसंख्या स्थिरीकरण पर जोर दिया जाए। दूसरी ओर देश में जितनी मात्रा में दूध की आवश्कता है उतना पशुधन नहीं बढ़ रहा है। परिणामस्वरूप सम्पूर्ण उत्तरी–पश्चिमी भारत में नकली एवं मिलावटी दूध निर्माण का एक बड़ा उद्योग खड़ा हो गया है। खाद्यान्न, दूध, फल, सब्जी तथा खाद्य तेलों की गुणवत्ता भी नितांत चिन्ताजनक है। इसलिए यह भी आवश्यक हो गया है कि खाद्यान्न सुरक्षा के साथ–साथ खाद्यान्न गुणवत्ता का कानून भी लागू किया जाए। सूचना प्रौद्योगिकी तथा उदारीकरण के इस दौर में भारतीय कृषि भी संकट के दौर में आ गयी है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का हिस्सा निरन्तर घट रहा है। यह भारत जैसे देश के गाँवों के विकास के लिए शुभ लक्षण नहीं कहा जा सकता है। इस दिशा में ठोस प्रयास करके ही 21वीं सदी का भारत उन्नत होगा।

खाद्यान्न सुरक्षा के लिए प्रस्तावित कानून के निर्माण एवं क्रियान्वयन से पूर्व सुधारों के साथ **'दूसरी हरित क्रान्ति'** को भी तेजी से लागू किया जाना आपेक्षित है ताकि खाद्यान्न उत्पादन भी बढ़े। इसी प्रकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भी सुदृढ़, विश्वसनीय एवं कुशल बनाना आवश्यक है ताकि भुखमरी के दायरे से बाहर आयी भारतीय निर्धन जनता नौकरशाही के झंझटों से न घिर जाए।

(लेखक महारानी सुदर्शन राजकीय कन्या महाविद्यालय, बीकानेर में लोक प्रशासन के व्याख्याता हैं)
ई.मेल : skkataria64@rediffmail.com

खाद्य सुरक्षा की दिशा में सार्थक प्रयास

डॉ. श्याम सुन्दर सिंह चौहान

'हरित क्रान्ति' की बदौलत भारत ने दो दशक पहले ही खाद्यान्न आपूर्ति में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली थी। खाद्यान्नों का उत्पादन वर्ष 1950-51 में मात्र 55 मिलियन टन से 319.4 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2007-08 में 230.67 मिलियन टन हो गया। लेकिन विगत कुछ वर्षों से अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर यह बहस जारी है कि क्या खाद्यान्न आत्मनिर्भरता का अर्थ सभी नागरिकों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप खाद्यान्न की उपलब्धता से लगाया जाना चाहिए? इस दृष्टि से 'खाद्य सुरक्षा' का मुद्दा अधिक व्यापक एवं महत्वपूर्ण हो गया है।

'सबके लिए स्वास्थ्य', 'सबके लिए शिक्षा', 'सबके लिए आवास' और 'सबके लिए रोजगार' के साथ ' सबके लिए खाद्य सुरक्षा' की अवधारणा को भी जोड़ दिया जाए तो इससे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना स्वयंमेव साकार होने लगती है। भारत के संविधान निर्माताओं ने इन समस्त तत्वों को किसी न किसी रूप में संविधान में स्थान दिया। विगत छह दशकों में केन्द्र में सत्तासीन सरकारों ने राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पहलों में इन लक्ष्यों के प्रति वचनबद्धता तथा प्रतिबद्धता दर्शायी। 'सबके लिए स्वास्थ्य' पर अल्मा आटा घोषणा (1978); 'सबके लिए शिक्षा' पर जॉमटीन घोषणा (1990); 'सबके लिए आवास' पर इस्तांबुल घोषणा (1996) तथा 'सबके लिए खाद्य' पर रोम घोषणा (2002) सहित संयुक्त राष्ट्र संघ के सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों (मिलेनियम डेवलेपमेंट गोल्स) आदि सभी पर भारत ने न केवल हस्ताक्षर किए हैं, वरन इन्हें कार्यरूप प्रदान करने में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में अनेक योजनाएं और कार्यक्रम बनाए तथा क्रियान्वित किए गए हैं।

सर्व स्वास्थ्य अभियान के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन; सर्वशिक्षा अभियान और मध्यान्ह् भोजन योजना के क्रम में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005; निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार अधिनियम 2009 और उससे भी पहले इन्दिरा आवास योजना; एकीकृत बाल विकास सेवाएं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे कार्यक्रमों का वास्तविक लक्ष्य विकास के लाभ समाज के कमजोर वर्गों तक पहुंचाना ही रहा है। केन्द्र की संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन

सरकार की उपर्युक्त नवाचारी तथा प्रारम्भिक पहलों में 'खाद्य सुरक्षा विधेयक 2010' को संसद में पारित करवाना एक अति महत्वपूर्ण पहल है। खाद्य सुरक्षा विधेयक 2010 में सरकार ने प्रावधान किया है कि निर्धनता रेखा से नीचे रह रहे प्रत्येक परिवार को तीन रुपये प्रति कि.ग्रा. की दर से प्रतिमाह 25 कि. ग्रा. खाद्यान्नों की आपूर्ति सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी।

खाद्य सुरक्षा

खाद्य सुरक्षा से तात्पर्य निम्नलिखित कसौटियों के पूरा होने से है :

- प्रत्येक व्यक्ति के जीवित रहने तथा उसका शारीरिक विकास होने के लिए आवश्यक खाद्यान्न (अन्न एवं दालों) की निर्बाध उपलब्धता;
- प्रत्येक व्यक्ति के पास इतने आर्थिक संसाधन हो कि वह अपनी जैविक आवश्यकताओं के अनुरूप खाद्यान्न क्रय कर सके; एवं
- खाद्यान्नों की आपूर्ति शृंखला इस प्रकार की हो कि देश के सभी भागों में खाद्यान्नों की निर्बाध आपूर्ति होती रहे तथा खाद्यान्नों की कीमतों में उच्चावचन कम से कम हो।

इस प्रकार खाद्य सुरक्षा का अर्थ भौतिक खाद्य सुरक्षा से लगाया जाता है, अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति की कैलोरी आवश्यकताओं को पूरा करने लायक खाद्यान्न उपलब्ध होता रहे। एक अन्य अवधारणा के अनुसार खाद्य सुरक्षा से तात्पर्य प्रयुक्त किए जाने वाले खाद्यान्न में पोषक तत्वों की सन्तुलित मात्रा मौजूद होने से है।

भारत में उपर्युक्त कसौटियों के आधार पर समाज के सबसे निचले पायदान पर बैठे लोगों, तकनीकी दृष्टि से जिन्हें निर्धनता रेखा से नीचे के परिवार (बी.पी.एल.) के रूप में चिन्हित किया जाता है, को खाद्य सुरक्षा प्राप्त नहीं है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने कर्नाटक में एक सभा में खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक केंद्रीय कानून बनाए जाने की घोषणा की थी, जिसमें प्रति परिवार रियायती दर पर प्रतिमाह 35 कि.ग्रा. गेहूं/चावल की आपूर्ति किए जाने की बात कही गयी थी। प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक 2010 इसी की परिणति है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली : खाद्य सुरक्षा का प्रारम्भिक स्वरूप

भारत में सभी व्यक्तियों, विशेष रूप से निर्धनों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लक्ष्य को लेकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक बड़ा राज्य हस्तक्षेप कार्यक्रम है जो सन् 1960 में प्रारम्भ किया गया था। जून 1997 से यह कार्यक्रम लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रूप में 4.89 लाख उचित मूल्य की दुकानों के वितरण तंत्र के माध्यम से चलाया जा रहा है। इस प्रणाली के तहत खाद्यान्नों की खरीद तथा भारतीय खाद्य निगम के प्रमुख वितरण केन्द्रों तक खाद्यान्नों को पहुंचाने का कार्य केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है जबकि निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान, राशन कार्डों का निर्गमन, समाज के वंचित वर्गों को राशन की उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्नों के वितरण का कार्य राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत निर्धन तथा निर्धनतम परिवारों को चिन्हित करके उन्हें रियायती मूल्य पर खाद्यान्न मुहैया कराया जाता है। अप्रैल 2002 से अन्त्योदय कार्डधारक परिवारों को प्रतिमाह 35 कि.ग्रा. अनाज (गेहूं/चावल) की आपूर्ति की जाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न वर्गों के लिए निर्गम मूल्य तालिका–1 के अनुसार है।

तालिका–1 : लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्नों का निर्गम मूल्य (₹ प्रति किलोग्राम)

	निर्गम मूल्य (₹ प्रति कि.ग्रा.)		प्रति परिवार वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न की मासिक सीमा
	गेहूं	चावल	
अन्त्योदय अन्न योजना	2.00	3.00	खाद्यान्नों की उपलब्धता के आधार पर
निर्धनता रेखा से नीचे (बी.पी.एल.)	4.15	5.65	25 कि.ग्रा.
निर्धनता रेखा से ऊपर (ए.पी.एल.)	6.10	8.30	35 कि.ग्रा.

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों (बी.पी.एल.) को चिन्हित करने के लिए भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा समय–समय पर मानक निर्धारित किए जाते हैं। तथापि प्रतिबंध यह है कि प्रत्येक राज्य मे लाभार्थियों की कुल संख्या योजना आयोग द्वारा 1.03.2000 को प्रक्षेपित जनसंख्या के आधार पर 1993–94 के लिए राज्यवार निर्धनता अनुपात से आंकलित निर्धनों की संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए। 1993–94 के लिए योजना आयोग के निर्धनता अनुमानों तथा 1.3.2000 को भारत के महापंजीयक के जनसंख्या प्रक्षेपणों के आधार पर देश में कुल 6.52 करोड़ परिवार निर्धनता रेखा से नीचे पाए गए हैं। लेकिन ऐसे राशनकार्ड धारकों (बी.पी.एल.) की वास्तविक संख्या 8 करोड़ से अधिक है। इसी प्रकार मार्च 2000 की प्रक्षेपित जनसंख्या के अनुसार देश में कुल 18.03 करोड़ परिवारों के लक्ष्य से अधिक 22.32 करोड़ परिवारों को राशन कार्ड जारी कर दिए गए हैं।

योजना आयोग द्वारा जारी ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के ड्राफ्ट प्लान में लक्षित सार्वजनिक प्रणाली के विभिन्न अनुभवजन्य

अध्ययनों में उजागर निम्नलिखित 4 प्रमुख कमजोरियों को चिन्हित किया गया है :

- उच्च निःसमावेशन एवं समावेशी त्रुटियां
- उचित मूल्य की दुकानों की गैर–व्यवहार्यता
- कीमत स्थिरीकरण के उद्देश्य को पाने में असफलता
- रिसाव

कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के एक अध्ययन (2005) में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन में निम्नलिखित कमजोरियों का उल्लेख किया गया :

- पूंजी पर 12 प्रतिशत प्रतिफल अर्जित किए जाने की दृष्टि से उचित मूल्य की केवल 22.7 प्रतिशत दुकानें ही व्यवहार्य हैं।
- हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु तथा पश्चिमी बंगाल को छोड़कर शेष अन्य राज्यों में निर्धनता रेखा से ऊपर के परिवारों के राशनकार्डधारकों द्वारा क्रय किया जाने वाला खाद्यान्न नगण्य है।
- निर्धनता रेखा से नीचे के राशनकार्डधारक परिवारों द्वारा प्रतिमाह खाद्यान्नों का क्रय पश्चिमी बंगाल, केरल, हिमाचल प्रदेश तथा तमिलनाडु में बहुत अधिक है।
- उचित मूल्य की दुकानों से सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की तुलना में निर्धनों द्वारा किए गए क्रय अधिक हैं।
- फर्जी राशनकार्डों एवं बड़े पैमाने पर निर्धनों को इस योजना का लाभ न मिल पाना तथा समावेशन से जुड़ी अन्य समस्याएं लगभग सारे राज्यों में तथा राज्यों के भीतर विभिन्न क्षेत्रों में एक जैसी हैं।
- निर्धनता रेखा से नीचे रह रहे 57 प्रतिशत परिवार ही लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत लाभान्वित हो पा रहे हैं। स्पष्ट है कि निर्धनों का एक बड़ा वर्ग इस लोक–कल्याणकारी योजना का लाभ नहीं उठा पा रहा है।
- समावेशन संबंधी त्रुटियां आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में अधिक हैं जहां निर्धनता रेखा से ऊपर रहने वाले परिवारों द्वारा रियायती दर खाद्यान्न के एक बड़े भाग का उपभोग अस्वीकार्य रूप से किया है।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्नों एवं अन्य वस्तुओं (चीनी, मिट्टी का तेल) का रिसाव (वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचने के बजाय काला बाजार में बेच दिया जाना) की समस्या सभी राज्यों में है। देश के सर्वाधिक निर्धन राज्य बिहार तथा दूसरे सबसे धनाढ्य राज्य पंजाब में रिसाव 75 प्रतिशत से अधिक है जबकि हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश में यह 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत के बीच है।
- खाद्यान्न वितरण प्रणाली में रिसाव का सीधा–सा अर्थ यह है कि रियायती दर पर वितरित किया जाने वाला खाद्यान्न वास्तविक निर्धनों (निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों) एवं अत्यधिक निर्धनों (अन्त्योदय अन्य योजना कार्डधारकों) तक नहीं पहुंच पाता। एक आंकलन के अनुसार वर्ष 2003–04 मे केंद्रीय पूल से बी.पी.एल. कोटा के लिए निर्गत 14.1 मिलिटन टन खाद्यान्न में से केवल 6.1 मिलियन टन खाद्यान्न ही बी.पी.एल. परिवारों तक पहुंच पाया। 8 मिलियन खाद्यान्न बी.पी.एल. परिवारों तक न पहुंचकर काला बाजार में बेच दिया गया।
- खाद्यान्नों के रिसाव एवं विपथन से वितरण की लागत बढ़ गई। निर्धनों तक पहुंचे एक किलोग्राम खाद्यान्न के लिए केंद्रीय पूल से सरकार ने 2.32 कि.ग्रा. खाद्यान्न जारी किया।
- वर्ष 2003–04 में ₹ 7258 करोड़ की खाद्यान्न सब्सिडी में से ₹ 4123 करोड़ का लाभ वास्तविक निर्धनों को नहीं मिला।

कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा 2005 में किए गए एक अध्ययन से यह भी पता चला है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सर्वाधिक प्रमुख कमजोरी भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्नों के निर्गम से लेकर उचित मूल्य की दुकानों से लाभार्थियों को वितरण तक के प्रत्येक स्तर पर बड़े पैमाने पर होने वाले रिसाव हैं। फर्जी राशनकार्डों की समस्या आंध्रप्रदेश, हरियाणा, केरल, पंजाब, राजस्थान तथा तमिलनाडु राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में गम्भीर रूप धारण कर चुकी है। बिहार, पंजाब तथा हरियाणा में उचित मूल्य की दुकानों पर रिसाव बहुत बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। लाभार्थियों में जागरुकता का ऊंचा स्तर, उच्च साक्षरता दर तथा जमीनी स्तरीय संगठनों (विशेष रूप से पंचायती राज संस्थाओं) के सुदृढ़ ढांचे से प. बंगाल तथा हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में रिसावों को कम करने में सहायता मिली है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सम्पूर्ण कार्यप्रणाली की जांच–पड़ताल हेतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायमूर्ति डी.पी. वाधवा की अध्यक्षता में गठित केंद्रीय सतर्कता समिति (सेन्ट्रल विजिलेंस कमेटी) ने अपने प्रतिवेदन में निम्नलिखित तथ्यों को उजागर किया है :

- उचित मूल्य की दुकानों के स्वामी, ट्रांसपोर्टर्स तथा अधिकारी आपस में सांठ–गांठ करके निर्धनों को रियायती मूल्य पर मिलने वाले खाद्यान्न से वंचित कर देते हैं।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत निर्गत खाद्यान्न की बड़े पैमाने पर काला बाजारी की जाती है।
- राजस्थान तथा झारखण्ड में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का ढांचा पूरी तरह से बिखर चुका है।
- बिहार जैसे निर्धन राज्य में निर्धनों को तीन–चार महीनों की प्रतीक्षा के बाद केवल एक माह का राशन भी बड़ी कठिनाई से मिल पाता है।

- गुजरात के दुकानदारों की स्वीकारोक्ति है कि उन्हें सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देनी पड़ती है।
- उड़ीसा में अन्न भण्डारण अभिकर्ता राजनीतिक हस्तक्षेप के शिकार हैं।
- कर्नाटक में सरकारी कर्मियों, जांचकर्ता निकायों, राशन डीलरों, थोक विक्रेताओं तथा निहित स्वार्थों वाले अन्य लोगों के बीच का कुत्सित गठबंधन खाद्यान्न एवं अन्य उपभोक्ता वस्तुएं निर्धनों तक नहीं पहुंचने देता।

वर्ष 2007 में किए गए अध्ययन में पाया गया कि वर्ष 2003–04, 2004–05 तथा 2005–06 में 31586 करोड़ रुपये मूल्य का गेहूं एवं चावल, जो निर्धनों के लिए आबंटित था, काला बाजारी करके अवैध तरीके से खुले बाजार में बेच दिया गया। एक मोटे अनुमान के अनुसार देश में फर्जी राशनकार्डों की संख्या 2.3 करोड़ से अधिक है। वहीं 1.21 करोड़ से अधिक निर्धन लोग खाद्य सुरक्षा तंत्र के अन्तर्गत निर्धनों के लिए आबंटित 53.3 प्रतिशत गेहूं तथा 39 प्रतिशत चावल निर्धनों तक नहीं पहुंच सका। पूर्वोत्तर राज्यों–सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नगालैण्ड तथा असम में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक दाना भी लक्षित निर्धनों तक नहीं पहुंचा। विडम्बना यह रही कि केन्द्र सरकार द्वारा आबंटित खाद्यान्न राज्य सरकारों तक ही नहीं पहुंचा। रास्ते में ही उसका बंदर–बांट कर लिया गया।

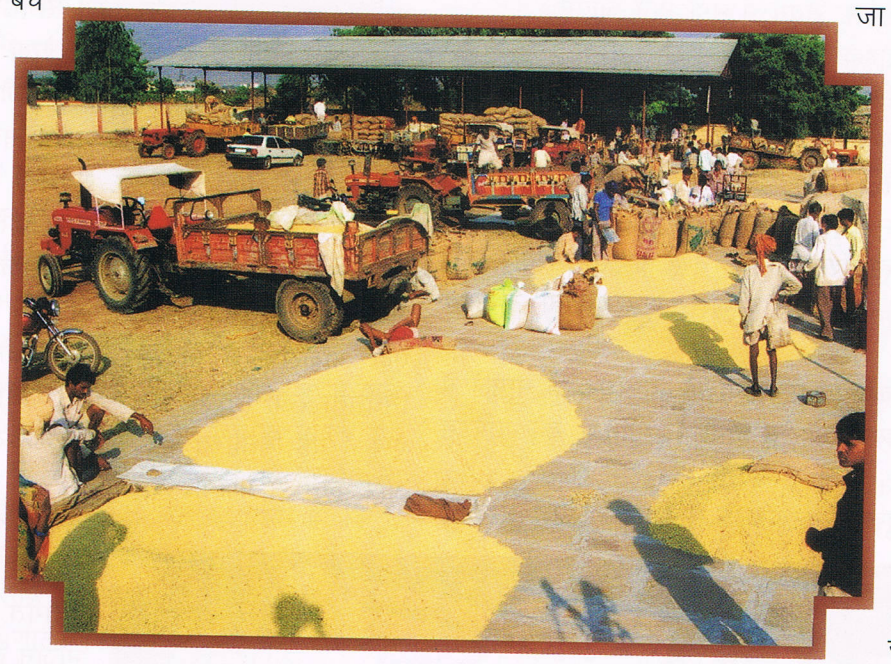

खाद्य सुरक्षा अधिकार विधेयक 2010

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संशोधित संस्करण लक्षित एवं पुर्नसंशोधित सार्वजनिक प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा क्रियान्वयन संबंधी अनेक दोषों के चलते देश के एक से दो करोड़ के बीच निर्धनतम परिवारों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप खाद्यान्न प्राप्त न होना सुनिश्चित तौर पर चिंता का विषय है। केन्द्र की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार समावेशी विकास के लिए कटिबद्ध है। इसी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए 4 जून 2009 को राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने घोषणा की कि सरकार खाद्य सुरक्षा अधिकार कानून बनाएगी जिसके तहत निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले प्रत्येक परिवार को प्रतिमाह ₹ 3.00 प्रति किलोग्राम की दर से 25 कि.ग्रा. गेहूं अथवा चावल पाने का अधिकार होगा। निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों का अनुमान योजना आयोग लगाएगा। योजना आयोग ने निर्धनता का आंकलन करने के लिए प्रो. सुरेश डी. तेन्दुलकर की अध्यक्षता मे गठित विशेष दल (2009) की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है जिसके अनुसार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 41.8 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 25.7 प्रतिशत तथा समग्र रूप से 37.2 प्रतिशत जनसंख्या वर्ष 2004–05 में निर्धनता रेखा से नीचे रह रही है। इसके अनुसार वर्ष 2004–05 में 8.1 करोड़ परिवार निर्धनता रेखा से नीचे रहे हैं जबकि अब तक यह संख्या 6.5 करोड़ ही आंकी जा रही थी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक 2010 के प्रावधानों पर गम्भीरता से चर्चा करने के लिए वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी, कृषि मंत्री शरद पवार, रक्षामंत्री ए.के. एंथोनी, गृहमंत्री पी. चिदम्बरम्, रेलमंत्री ममता बनर्जी, कपड़ा मंत्री दयानिधि मारन, वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा तथा ग्रामीण विकास मंत्री सी.पी. जोशी की सदस्यता वाले एक उच्चाधिकार प्राप्त मंत्रियों के समूह का गठन किया गया है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. मोन्टेक सिंह आहलूवालिया इस समूह में विशेष आमन्त्रित सदस्य हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक 2010 (जिसे भोजन पाने का अधिकार कानून के रूप में प्रस्तावित किया गया है) के प्रमुख प्रावधानों की रूपरेखा तैयार करने का कार्य एक विशेषज्ञ दल ने किया है जिसमें प्रो. जीन ड्रेज़, हर्ष मण्डेर, बिराज पटनायक, रीतिका खेरा और दीपा सिन्हा शामिल हैं। इस दल की सिफारिशों के आधार पर प्रस्तावित विधेयक के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं :

- निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाला प्रत्येक परिवार प्रतिमाह ₹ 3.00 प्रति कि.ग्रा. की दर से 25 कि.ग्रा. चावल अथवा ₹ 2.00 प्रति कि.ग्रा. की दर से 35 कि.ग्रा. गेहूं सार्वजनिक

वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्राप्त करने का हकदार होगा।

- प्रत्येक एकल परिवार एक पृथक परिवार माना जाएगा।
- निर्धनता रेखा के नीचे के परिवारों की जनगणना हेतु एक नवीन विधि अपनायी जाएगी जो सरल, पारदर्शी तथा सत्यापन किए जाने योग्य कसौटियों पर आधारित होगी। उदाहरणार्थ ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीनता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जैसी मात्र दो कसौटियों को पूरा करने वाला परिवार निर्धनता रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) का कार्ड पाने के लिए अर्ह होगा।
- 'एक्सक्लूजन कसौटियों' में से मात्र एक कसौटी पूरा करने वाले परिवार बी.पी.एल. संवर्ग में नहीं माने जाएंगे।
- खाद्य सुरक्षा से सबंद्ध वर्तमान में चल रही सभी योजनाएं (एकीकृत बाल विकास सेवाएं, मध्यान्ह् भोजन योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अन्त्योदय अन्न योजना, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना/जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना – इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, विकलांगता पेंशन योजना तथा राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना – राजीव गांधी राष्ट्रीय पालन गृह योजना) यथावत चलती रहेंगी।
- खाद्य सुरक्षा मानकों एवं प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में दोषी पाए गए व्यक्तियों, संगठनों/कम्पनियों को दण्डित किया जाएगा।
- उचित मूल्य की दुकानों का प्रबन्धन सरकारी या अर्द्ध सरकारी संगठनों या ग्राम परिषदों द्वारा किया जाए तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरित की जाने वाली वस्तुएं बी.पी.एल. परिवारों के दरवाजों तक पहुंचाई जाएं।
- विधवाओं, वरिष्ठ नागरिकों एवं अपंग व्यक्तियों को दी जाने वाली पेंशन की धनराशि कम से कम ₹ 400 प्रतिमाह हो तथा 6 माह की गर्भवती महिला को गर्भ के सातवें महीने से प्रसव होने तक ₹ 1000 प्रतिमाह की दर से मातृत्व भत्ता दिया जाए।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के उपर्युक्त प्रस्तावित प्रावधानों में बी.पी.एल. परिवारों को चिन्हित किया जाना तथा प्रति परिवार खाद्यान्न की मात्रा को लेकर राजनीतिज्ञों, नौकरशाहों, अर्थशास्त्रियों एवं गैर–सरकारी संगठनों के कर्ता–धर्ताओं के बीच गम्भीर मतभेद है। निर्धनता रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को चिन्हित किए जाने तथा उनकी जनगणना हेतु मानक निर्धारित किए जाने के लिए भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा गठित एन.सी. सक्सेना समिति (2009) ने सुझाव दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों की 50 प्रतिशत जनसंख्या निर्धनता रेखा से नीचे रह रही है। तेन्दुलकर समिति 41.8 प्रतिशत जनसंख्या को निर्धनता रेखा से नीचे मानती है। विश्व बैंक के एक आंकलन के अनुसार भारत की 42 प्रतिशत जनसंख्या निर्धनता रेखा (यूएस डालर 1.25 प्रतिदिन) से नीचे रह रही हैं। ऐसे में यह निर्धारित कर पाना दुरूह कार्य है कि देश में कितने और कौन से परिवार वास्तविक रूप से निर्धनता रेखा से नीचे रह रहे हैं। ऐसे ही परिवार प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत आच्छादित होंगे तथा 'भोजन का अधिकार' पाने के लिए पात्र होंगे।

उलझन भरा दूसरा मुद्दा प्रति परिवार प्रति माह खाद्यान्न की मात्रा से जुड़ा हुआ है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले प्रत्येक परिवार को प्रतिमाह 35 कि.ग्रा. गेहूं/चावल ₹ 3.00 प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराए जाने की पक्षधर हैं जबकि उच्चाधिकार प्राप्त मंत्रियों के समूह ने 25 कि.ग्रा. खाद्यान्न का प्रस्ताव किया है।

खाद्य सुरक्षा की वैकल्पिक विधियां

इसमें संदेह की तनिक भी गुंजाईश नहीं है कि निर्धनों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रण ाली या फिर सुधरी सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि सभी अपने निर्धारित और घोषित उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रही हैं। ऐसे में इस बात की क्या गारंटी है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विद्यमान तंत्र के माध्यम से प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून का क्रियान्वयन सही प्रकार से होगा तथा सम्पूर्ण व्यवस्था भ्रष्टाचार का शिकार नहीं होगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दोषों को दूर करने या उन्हें कम से कम करने के लिए निम्न में से किसी भी वैकल्पिक उपाय को अपनाया जा सकता है :

खाद्यान्न कूपन प्रणाली :– आर्थिक समीक्षा 2009–10 में कहा गया है कि "सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी एवं रिसावरोधी बनाने के लिए सब्सिडी सीधे परिवारों को हस्तांतरित की जानी चाहिए। ऐसे अर्ह परिवारों को यह स्वतंत्रता हो कि वे जहां से चाहे वहां से खाद्यान्न क्रय कर लें।" निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले प्रत्येक परिवार को खाद्यान्न कूपन दे दिए जाएं जिन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों पर मुद्रा के स्थान पर स्वीकार किया जाए। ऐसी दुकानों पर गेहूं/चावल की बिक्री प्रचलित बाजार मूल्य पर हो। आर्थिक समीक्षा 2009–10 के अनुसार "ऐसी प्रणाली में भ्रष्टाचार की सम्भावना कम से कम होगी। तथापि 'कूपन प्रणाली' की पूर्ण सफलता उसी दशा में सुनिश्चित की जा सकेगी जब निर्धनों की पहचान किए जाने की प्रभावी प्रणाली विकसित कर ली जाए।" इस कार्य में प्रस्तावित 'विशिष्ट पहचान संख्या' अत्यधिक कारगर और सहायक सिद्ध होगी।

बहु–उपयोगी स्मार्ट कार्ड :– हालिया वर्षों में प्रौद्योगिकीय विकास के साथ बहु–उपयोगी स्मार्ट कार्ड की व्यवस्था अस्तित्व में आयी है। ये कार्ड विभिन्न योजनाओं की क्रियान्वयन प्रक्रिया के सरलीकरण तथा दक्षता बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुए हैं। यदि सभी अर्ह परिवारों की पहचान, अधिकृत लेन–देन का इतिहास तथा प्राप्त हो सकने वाले खाद्यान्न की मात्रा आदि का विवरण ऑन–लाइन उपलब्ध हो तो खाद्यान्न के निर्गम के समय इसकी पुष्टि की जा सकती है। वितरण की जानकारी भी ऑन–लाइन हो जाने से कार्यक्रम की प्रगति तथा अनुश्रवण भी आसान हो जाएगा।

वेब आधारित प्रणाली :– सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत एक ऐसी वेबसाइट विकसित की जा सकती है जिस पर प्रत्येक लाभार्थी परिवार, जो भोजन पाने का अधिकार कानून के तहत खाद्यान्न की एक निर्धारित मात्रा रियायती मूल्य पर पाने का हकदार है, का विवरण उपलब्ध हो। इसकी जांच वितरण केन्द्र पर, अनुश्रवण करने वाले अधिकारियों तथा लाभार्थी परिवार के मुखिया द्वारा कभी भी की जा सकती है।

निष्कर्ष

'भोजन पाने का अधिकार' प्रदान करने के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम केन्द्र की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का समावेशी विकास सुनिश्चित किए जाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। इससे निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को रियायती मूल्य पर खाद्यान्न तो प्राप्त होगा ही, उनके कुल मासिक उपभोग व्यय में खाद्यान्नों पर किए जाने वाले व्यय का अंश कम हो जाने से अन्य आवश्यकताओं को पूरा किए जाने के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध हो जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन के गारंटीशुदा रोजगार और प्रतिमाह रियायती मूल्य पर खाद्यान्न की उपलब्धता से निर्धनता में सुनिश्चित तौर पर कमी आएगी।

(लेखक राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिरसागंज (फिरोजाबाद) उ.प्र. में एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष हैं।)

सिंघाड़े की खेती में अपार संभावनाएं

डॉ. एन.के. सिंह

सिंघाड़े की खेती उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में अधिक होती है। इसकी खेती स्थिर जल वाले क्षेत्रों में की जाती है जिसकी औसत गहराई एक से तीन फीट तथा तलहटी पर "ह्यूमस" का अच्छा जमाव होना उपयुक्त पाया गया है। अधिक गहराई वाले तालाब एवं प्रवाहित जल में सिंघाड़े की खेती अनुपयुक्त होती है। सिंघाड़े का बेहतर उत्पादन प्राप्त करने के लिए दोमट मिट्टी या बलुई दोमट मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है। पारम्परिक रूप से सिंघाड़े की खेती जलाशयों में ही की जाती है जहां वर्ष भर पानी जमा रहता है। किन्तु वर्तमान में निचले खेतों में जहां पानी की गहराई मात्र 1-2 फीट है, में जल आपूर्ति को सुनिश्चित कर सिंघाड़े का उत्पादन किया जा रहा है।

सिंघाड़ा जलाशयों में पैदा होने वाली एक अत्यंत ही पौष्टिक एवं पूर्णरूपेण प्राकृतिक उत्पन्न होने वाली स्वस्थ, शुद्ध एवं गुणकारी नगदी फ़सल है। सिंघाड़ा कच्चे फल एवं संसाधित उत्पाद के रूप में गोटी (सूखे फल) की तरह बाजारों में उपलब्ध होता है। सिंघाड़े की अधिकांश खेती मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, गुजरात, असम, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पंजाब एवं पश्चिम बंगाल में होती है। सिंघाड़ा उत्पादन में भारत एक अग्रणी देश है। मध्य प्रदेश में सिंघाड़े का कुल उत्पादन क्षेत्र लगभग 6000 हेक्टेयर है। सिंघाड़े का उपयोग मुख्यतः खाद्य पदार्थ के रूप में ही किया जाता है एवं कच्चे फलों को सुखाकर उसका आटा बनाया जाता है। इसका प्रयोग उपवास के दिनों में हलवा–पुरी इत्यादि बनाने में होता है। उन्नत उत्पादन तकनीक अपनाकर सिंघाड़ा उत्पादक कृषक अपनी उपज में डेढ़ गुना वृद्धि कर सकते हैं।

सिंघाड़ा में पाए जाने वाले पोषक तत्व

पोषक तत्व	मात्रा (ग्राम/100 ग्राम)	पोषक तत्व (मि.ग्राम/100 ग्राम)	मात्रा
जल	70.0	कैल्शियम	020.0
प्रोटीन	4.7	फास्फोरस	150.0
वसा	0.3	लोहा	0.8
शर्करा	23.3	पोटेशियम	650.0
रेशा	0.6	मैग्नीशियम	72.0
खनिज पदार्थ	1.1	तांबा	1.31
ऊर्जा	115.0	मैगनीज	0.85
	कि. कैलोरी/100 ग्राम		
		जिंक	1.56
		क्रोमियम	0.011
		थियामिन	0.50
		राइबोफ्लोविन	0.07
		नियामिन	0.06
		विटामिन सी	9.0

स्रोत : जल–जीव पालन, कृषि सूचना एवं प्रकाशन निदेशालय, भा.कृ.अनु.प., नई दिल्ली, जून 2005

खेती हेतु उपयुक्त जलवायु एवं जलक्षेत्र

सिंघाड़े की खेती उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में अधिक होती है। इसकी खेती स्थिर जल वाले क्षेत्रों में की जाती है जिसकी औसत गहराई 1 से 3 फीट तथा तलहटी पर "ह्यूमस" का अच्छा जमाव होना उपयुक्त पाया गया है। अधिक गहराई वाले तालाब एवं प्रवाहित जल में सिंघाड़ा की खेती अनुपयुक्त होती है। सिंघाड़े का बेहतर उत्पादन प्राप्त करने के लिए दोमट मिट्टी या बलुई दोमट मिट्टी जिसका पी.एच. मान 6–7.5 तक होता है, अधिक उपयुक्त होती है। पारम्परिक रूप से सिंघाड़े की खेती जलाशयों में ही की जाती है जहां वर्ष भर पानी जमा रहता है। किन्तु वर्तमान में निचले खेतों में जहां पानी की गहराई मात्र 1–2 फीट है, में जल आपूर्ति को सुनिश्चित कर सिंघाड़े का उत्पादन किया जा रहा है। इसका कारण सिंघाड़े के छोटे पौधों को जलीय खरपतवार एवं शैवाल की प्रतिस्पर्धा में कमी, रोगों के संक्रमण एवं कीटों से बचाव तथा अनुकूल मिट्टी एवं पानी के तापक्रम का उचित प्रबंधन इत्यादि।

तालाब का चयन एवं सफाई

गंदगी एवं खरपतवार रहित अधिक उर्वराशक्ति वाले तालाब अच्छे उत्पादन के लिए उपयुक्त होते हैं। सिंघाड़े के फल को बुवाई के पूर्व तालाबों में जलकुंभी या अन्य जलीय घास अर्थात खरपतवार हो तो उसे पूर्णरूपेण निकाल देना चाहिए अन्यथा सिंघाड़ा बीज के अंकुरण के पश्चात् जलीय खरपतवार से सिंघाड़ा फसल को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है जिससे फसल की वृद्धि में रुकावट पैदा होती है।

प्रचलित प्रजातियां

सिंघाड़े की कोई उन्नत जाति विकसित नहीं की गई है। जो किस्में कृषकों में प्रचलित हैं वे इस प्रकार हैं –

जल्द पकने वाली जातियां – (पहली तुड़ाई रोपाई के 120–125 दिन बाद)

हरीरा गठुआ, लाल गठुआ, कटीला, गुड़कुआ, लाल चिकनी गुलरी, कानपुरी, पटना, देशी बड़ा उपरोक्त जातियां कच्चा फल बेचने के लिए उगाई जाती हैं।

देर से पकने वाली जातियां – (पहली तुड़ाई रोपाई के 150–155 दिन बाद)

करिया हरीरा, गुलरा, हरीरा–गपाचा, गहरा–लाल उपरोक्त जातियां सूखी गोटी बनाने के लिए उगाई जाती हैं।

फसल की बुवाई

- दूसरी तुड़ाई के स्वस्थ पके (700–1000) फलों का चयन बीज के लिए करके जनवरी तक पानी में डुबाकर रखते हैं।
- फरवरी के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में अंकुरण के पहले इन फलों को सुरक्षित स्थान में गहरे पानी के अन्दर तालाब में डाला जाता है।
- मार्च में बेल पानी के ऊपर आती है जो एक माह में पौध योग्य हो जाती है। एक मीटर लम्बी बेलों को तोड़कर अप्रैल से जून तक तालाब से खरपतवारों को निकालकर रोपणी का फैलाव करते हैं।
- रासायनिक खाद 300 किलो सुपर फास्फेट, 60 किलो पोटाश व 20 किलो यूरिया प्रति हेक्टेयर रोपणी लगाने वाले भाग में डालते हैं।

- समय–समय पर रोपणी का निरीक्षण करते रहते हैं व कीट रोग प्रकोपित पत्तियों को हाथ से तोड़कर नष्ट करते हैं ताकि रोपणी में रोग व कीट समस्या न बढ़ सके।
- यदि रोग व कीट प्रकोप रोपणी में अधिक हो तो मोनोक्रोटोफास 36 एस.एल. की एक लीटर मात्रा 400 लीटर पानी में घोलकर घोल तैयार करें। इस घोल में 1 किलोग्राम डायथेन एम 45 मिलाकर एक हेक्टेयर के मान से 15 दिन के अन्तर से 2 छिड़काव करें ताकि रोपणी रोगों व कीटों से सुरक्षित रहे।

फसल की पौध रोपाई

- ध्यान रखें कीट प्रकोपित तालाब से रोपणी न खरीदें।
- एक मीटर लम्बी 2 से 3 बेलों की गठान लगाकर 1–1 मीटर अन्तराल से अंगूठे व अंगुली की सहायता से कीचड़ में गाड़कर लगाया जाता है।
- रोपाई के पूर्व रोपणी को मोनोक्रोटोफास 36 ई.सी. के घोल में 15 मिनट तक डुबाकर उपचारित कर कीट नष्ट करके मुख्य तालाब में रोपाई जुलाई के प्रथम सप्ताह से 15 अगस्त तक करते हैं।
- रोपाई के एक सप्ताह पूर्व या बाद में 300 किलो सुपर फास्फेट, 60 किलो पोटाश एवं 20 किलो यूरिया प्रति हेक्टेयर अवश्य मिलाएं।
- खरपतवार नियंत्रण रोपाई के पूर्व करें व समय–समय पर मुख्य फसल में करते रहनी चाहिए।
- मुख्य फसल की निगरानी हर पखवाड़े करते रहे जिससे कीट–रोग समस्या शुरू होने का पता लग सके।
- कीट एवं रोग समस्या शुरू होते ही कीट रोग प्रकोपित पत्तियों को तोड़कर नष्ट करें ताकि पीड़क नाशियों का उपयोग टाला जा सके।

सिंघाड़ा के प्रमुख कीट व उनका प्रबंधन

सिंघाड़ा भृंग (लाल बंदरिया या उड़ना कीट)

हल्के पीले व कत्थई रंग की इल्लियां पत्तियों के हरित पदार्थ को खुरचकर खाती हैं। पीले–लाल रंग के प्रौढ़ भृंग पत्तियों को काटकर उनमें विभिन्नाकार के छिद्र बनाकर उन्हें नष्ट करते हैं। अधिक प्रकोप होने पर फूलों व फलों को भी नुकसान करते हैं। इस कीट का प्रकोप पूर्ण फसलावधि में रहता है। अगस्त–सितम्बर में सर्वाधिक क्षति होती है। प्रतिवर्ष इस कीट से लगभग 40 से 50 प्रतिशत तक उपज कम होती है।

लाल खजूरा कीट (खूनी कीट)

खूनी लाल रंग की बिना पैर वाली 4 से 5 लम्बाकार इल्लियां (मेगटस) पत्राधार के अन्दर सुरंग बनाकर फूले हुए भाग को खाती हैं। प्रकोपित पत्ती का आकार छोटा होता है। प्रकोपित पत्तियां सड़कर पौधे से अलग हो जाती हैं जिससे पौधे का आकार कम होने से फूल व फल कम लगते हैं और 25 प्रतिशत तक उपज में कमी आती है। इस कीट का प्रकोप भी पूरी फसलावधि में चलता है लेकिन सबसे अधिक प्रकोप जुलाई से सितम्बर में होता है।

नीला भृंग (हडुआ कीट)

किसान इसे हडुआ कीट के नाम से भी जानते हैं। हल्के कत्थई रंग के ग्रब व चमकीले नीले रंग के भृंग, सिंघाड़ा भृंग जैसी ही हानि अगस्त से नवम्बर में करते हैं जिससे 5 प्रतिशत उपज में क्षति हो जाती है। इस कीट का प्रकोप किसी–किसी वर्ष अधिक होता है जिससे उपज में अत्यधिक गिरावट आती है। यह कीट तालाब में लगी नोनिया–भाजी पर पलता है। अतः नोनिया–भाजी को इकट्ठा कर नष्ट करें।

माहू

पीले, हरे, काले, भूरे रंग के सूक्ष्माकार कीट सैकड़ों की संख्या में पत्तियों व तनों का रस चूसते हैं। इनका प्रकोप नवम्बर–दिसम्बर में अधिक होता है।

घुन कीट

हल्के पीले रंग की गड़ार (ग्रब) व गहरे काले भूरे रंग के प्रौढ़ भृंग हानि करते हैं। ग्रब पत्तियों की मध्य शिरा में सुरंग बनाते हैं जबकि भृंग पत्तियों में काले धब्बे बनाकर खाता है। प्रौढ़ घुन अपनी लम्बाकार सूंड से पहचाना जाता है। इसके शरीर पर कांटे पाए जाते हैं। इस कीट का प्रकोप जुलाई से दिसम्बर तक होता है। सबसे अधिक प्रकोप सितम्बर–अक्टूबर में होता है। एक वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 10 कीट तक मिलते हैं। फसलावधि के बाद कीट खेत में नहीं दिखता।

भंडारित सिंघाड़ा गोटी के कीट

गोटी में खपरा भृंग, लाल आटा भृंग व अनाज घुन कीटों का प्रकोप होता है। भंडारित सिंघाड़ा गोटी में इन कीटों का प्रकोप अधिक होता है। आटा खाने योग्य नहीं रहता। भंडारित गोटी में इनका प्रकोप पूरे वर्ष होता है। अधिक प्रकोप की दशा में शत–प्रतिशत हानि हो जाती है।

सिंघाड़े के प्रमुख कीटों की समन्वित प्रबंधन तकनीकी

शस्य क्रियाएं

- फलों की अंतिम तुड़ाई के बाद सिंघाड़ा पौधों को नष्ट करें क्योंकि इन पर कीट पलते हैं।
- रोपणी बीज उसी तालाब से लें जहां कीट प्रकोप न हो।
- जिस स्थान पर रोपणी लगाना हो वहां से खरपतवार नष्ट करें।

रासायनिक विधि

रोपणी उपचार

200 मि.ली. मोनोक्रोटोफास 36 एस.एल. या क्लोरोपायरीफॉस 50: + सायपरमेंथ्रिन 5: का 100 लीटर पानी में घोलकर, रोपणी को डुबोकर उपचारित करके मुख्य फसल की रोपणी करें।

फसलोपचार – पहला छिड़काव मोनोक्रोटोफास 36 एस.एल. 1 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर के मान से 15 अगस्त तक करते हैं। दूसरा एवं तीसरा छिड़काव 20 दिन के अंतराल से मोनोक्रोटोफास एक लीटर + 250 मि.ली. ट्राइकेन्टोनाल + 200 मि. ली. टिपाल प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करते हैं।

पानी की मात्रा

हेली छिड़काव यंत्र	–	40 लीटर / हेक्टेयर
हस्तचालित यंत्र	–	500 लीटर / हेक्टेयर

मोनोक्रोटोफास से मछली नहीं मरती – छिड़काव फल तुड़ाई के 15 दिन पूर्व बन्द करें ताकि फलों में कीटनाशक के अवशेष मौजूद न रहें।

सिंघाड़ा फसल के खरपतवारों का प्रबंधन

- पानी के ऊपर तैरने वाले – कथीरा, तिनपतिया, नाड़ी भाजी व जंगली सिंघाड़ा
- पानी में डूबने वाले – बड़ा असरा (चौड़ी पत्ती वाला), लौंगार (गुच्छाकार), लपूसरी – (धागाकार), नोनिया – भजी व नई दुल्हिन

उपरोक्त सभी खरपतवार सिंघाड़ा फसल के तालाबों में पाए जाते हैं जो फसल को कमजोर बनाते हैं। इन खरपतवारों पर सिंघाड़ा भृंग नीला – हडुआ भृंग, माहू व लाल खजूरा कीट पलते हैं। कथीरा व तिनपतिया के साथ सिंघाड़ा भृंग बहकर एक तालाब से दूसरे तालाब में फैलते हैं। अतः इन सभी खरपतवारों को अंतिम फलों की तुड़ाई के बाद रोपणी बनाने, फैलाने व मुख्य फसल लगाने के पहले व समय–समय पर मुख्य फसल के बीच से डोंगी की सहायता से इकट्ठा कर तालाब से बाहर निकाल

कर नष्ट करने से तालाब स्वच्छ रहता है एवं सिंघाड़ा फसल की बढ़वार अच्छी होने से उपज अधिक मिलती है।

सिंघाड़ा के रोगों का प्रबंधन

सिंधाड़ा फसल पर दहिया तथा लोहिया रोगों का प्रकोप होता है जिससे फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ता है व उपज में कमी आती है।

लोहिया

सिंघाड़ा की फसल में पत्तियों के ऊपर छोटे–छोटे आकार के काले कत्थई दाग पड़ जाते हैं जिसे किसान लोहिया रोग कहते हैं। इस रोग का प्रकोप नवम्बर में अधिक होता हैं।

दहिया

सिंघाड़ा की पत्तियों के ऊपर काले–भूरे बड़े धब्बे दिखाई देते हैं। कुछ दिनों बाद पत्तियां किनारे से गलना प्रारंभ हो जाती हैं। प्रकोपित पत्तियों का आधे से अधिक भाग सड़ जाता है। उसके ऊपर सफेद फेन दही जैसे दिखाई देता है जिसे किसान दहिया रोग के नाम से जानते हैं।

उपरोक्त दोनों रोगों का प्रकोप सिंघाड़ा फसल पर प्रति वर्ष होता है जिससे फसल कमजोर हो जाती है व फल छोटे व कम संख्या में लगने से उपज में गिरावट आती है। इन रोगों की रोकथाम के लिए कीटनाशक घोल में 2.5 ग्राम डायथेन एम –45 प्रति लीटर पानी मिलाकर छिड़काव करने से फसल में सुधार आता हैं। एक लीटर डायथेन एम–45, 400 लीटर पानी में घोल कर प्रति हेक्टेयर फसल पर दो बार 15 दिन के अन्तर छिड़काव करें।

फलों की तुड़ाई एवं प्रबंधन

- जल्द पकने वाली जातियां : पहली तुड़ाई 15 अक्टूबर एवं अंतिम तुड़ाई 30 दिसम्बर तक।
- देर से पकने वाली जातियां : पहली तुड़ाई 15 नवम्बर एवं अंतिम तुड़ाई 20 जनवरी तक।
- कुल तुड़ाई – चार
- तुड़ाई पूर्ण पके फलों की ही करें, कच्चे फलों से गोटी अच्छी नहीं बनती, तुड़ाई में देरी भी ना करें क्योकि पूर्ण पके फल कुछ संख्या में पानी में गिर जाते हैं।

फलों का सुखाना

पक्के खलिहान में 20 दिन तक सूर्य की रोशनी में फलों को सुखाना चाहिए। चार दिन के अंतराल से फलों की पल्टी अवश्य करें ताकि फल पूर्ण रूप से सूख सकें। पल्टी करते समय कच्चे खलिहान में सूखते फलों में दीमक एवं चूहों का प्रकोप दिखाई दे तो फलों को एक तरफ करके गोबर पानी मे क्लोरपारिफास चूर्ण को मिलाकर खलिहान की लिपाई करें व खलिहान सूखने पर फलों को फैलाकर सुखाए। खलिहान के आसपास चूहों के बिल दिखाई दे तो शाम के समय गीली मिट्टी से बिलों को बंद करें। दूसरे दिन सुबह जो बिल खुले मिले उनमें सेल्फास 3 ग्राम की गोली लकड़ी की सहायता से डालकर बिल को मिट्टी से बंद कर दें। फलों को जल्दी सुखाने हेतु उन्हें काले पालीथिन के ऊपर 10 दिन तक फैलाएं। कांटे वाली फसल की अपेक्षा बिना कांटे वाली प्रजाति लाल गुलरा, करिया हरीरा की गोटी सुखाने पर बड़ी व वजनदार प्राप्त होती है। लाल गुलरा का आटा हल्का पीला एवं हल्की

सारणी–2 कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा प्रदर्शित तकनीक का तुलनात्मक ब्यौरा

मद	कृषि विज्ञान केन्द्र, सिवनी द्वारा उन्नत प्रदर्शन तकनीक	परम्परागत प्रदर्शन तकनीक
सिंघाड़ा प्रजाति	लालगुलरा	देशी प्रजाति
उत्पादकता (प्रति/हे.)	93 क्विंटल	43 क्विंटल
लागत (प्रति/हे.)	₹ 30217	₹ 13167
शुद्ध लाभ (प्रति/हे.)	₹ 62783	₹ 21233
दर प्रतिटन	₹ 10000/टन	₹ 8000/टन

मिठास लिए होता है इसके आटे का भण्डारण 200 गेज एच.डी.ई.पी. प्लास्टिक में 35–40 दिन तक सामान्य तापमान पर सफलतापूर्वक किया जा सकता है।

फलों की छिलाई

अच्छी तरह सूखे फलों को सरोते या छिलाई मशीन द्वारा निकालकर एक–दो दिन तक सूर्य रोशनी में सुखाकर मोटी पालीथिन में भरकर मुंह बन्द कर रखें।

उपज

कच्चे हरे फल–80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर

औसत उपज (सूखी गोटी)–17 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर

सामान्यतया एक हेक्टेयर की गहरी बंधियों से लगभग 9000 किलोग्राम सिंघाड़े के ताजे फलों का उत्पादन कृषकों द्व ारा लिया जा रहा है, जिसकी बिक्री से ₹ 60,000 से 70,000 प्रति हेक्टेयर तक आय हो जाती है। कृषि के सामने आज तीन समस्याएं विकराल रूप से खड़ी हैं। भूमिगत जलस्तर में गिरावट, वर्षा की अनिश्चितता और बिजली की कमी और इन समस्याओं का एक ही समाधान है कि यदि कृषक अपनी कुल भूमि के पांचवें हिस्से को जल कृषि में परिवर्तित कर दें तो वर्षा के जल को संचित करके शेष भूमि में सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, एवं जलकृषि कर लाभ भी कमाया जा सकता है।

(लेखक कृषि विज्ञान केन्द्र सिवनी (मध्य प्रदेश) में विषय वस्तु विशेषज्ञ (उद्यान) हैं।)
ई–मेल : kvk_seoni@rediffmail.com

सदस्यता कूपन

मैं/हम **कुरुक्षेत्र** का नियमित ग्राहक बनना चाहता हूं/चाहती हूं/चाहते हैं।

शुल्क : एक वर्ष के लिए 100 रुपये, दो वर्ष के लिए 180 रुपये, तीन वर्ष के लिए 250 रुपये का
(जो लागू नहीं होता, उसे कृपया काट दें)

डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर क्रमांक ..... दिनांक ..... संलग्न है।

कृपया ध्यान रखें, आपका डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर निदेशक, प्रकाशन विभाग को नई दिल्ली में देय हो।

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) .....

पता .....

..... पिन .....

इस कूपन को काटिए और शुल्क सहित इस पते पर भेजिए :

विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक

प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, तल–7, रामकृष्णपुरम,
नई दिल्ली–110 066

स्वास्थ्यवर्धक औषधि नींबू

डॉ. हर्षलता राम

नींबू के बारे में पुरानी कहावत हैं "सावन नींबू सोने का" अर्थात् सावन माह में नियमित रूप से नींबू का सेवन करे तो पेट के तमाम विकारों से छुटकारा मिलता है। इस फल के स्वाद का ध्यान किया जाए तो मुंह में पानी आ जाता है। सिर्फ कच्चा नींबू ही खट्टा नहीं होता बल्कि पक जाने पर भी खट्टापन नहीं छोड़ता। आयुर्वेद में नींबू को एक रहस्यमय औषधि माना जाता है। इसके रस में साइट्रिक एसिड और इसके छिलके में उड़नशील तेल होता है।

स्वास्थ्य की रक्षा का मुख्य आधार पोषकयुक्त आहार लेना है। पोषक आहार शरीर का पोषण करता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को कायम रखता है और यह रोग प्रतिरोधक शक्ति ही स्वास्थ्य की रक्षा करती है। यह मनुष्य जाति के लिए सौभाग्य की बात है कि प्रकृति ने उसे एक से बढ़कर एक सौगातें दी हैं। फल–फूल, सब्जियां, खाद्यान्न सब प्रकृति की ही देन हैं। हमारे आहार में फल और साग–सब्जी का महत्वपूर्ण स्थान है। यहां पौष्टिक फल नींबू के बारे में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत है।

नींबू का रासायनिक संगठन – इसके रस में	
जल तत्व	85.0
प्रोटीन	1.0
वसा	0.9
कार्बोहाइड्रेट	11.1
लौह तत्व	0.26
नियासिन	0.1 मि. ग्राम
ऊर्जा	57 कैलोरी
कैल्शियम	70 मि.ग्राम

उपयोग – पके हुए नींबू का उपयोग आहार के रूप में और औषधि के रूप में भी किया जाता है। चिकित्सा के रूप में नींबू का कल्प भी किया जाता है जिसे नींबू–कल्प कहते हैं।

नींबू के रस को अकेला न लेकर किसी भी खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ के साथ ही लिया जाता है। खाद्य पदार्थों में दाल, साग–सब्जी, सलाद, पोहा आदि व्यंजनों में डालकर एवं खट्टा–मीठा आचार आदि के रूप में लिया जाता है। पेय पदार्थों में सादे ताजे पानी में डालकर फलों के रस में या काली चाय में डालकर लिया जाता है।

घरेलू इलाज के रूप में नींबू का उपयोग

मोटापा – शरीर के मोटापे को कम करने में नींबू का प्रयोग गुणकारी है। एक गिलास सादे गर्म (कुनकुन) पानी में एक पका हुआ नींबू निचोड़कर एक बड़ा चम्मच भर शहद घोलकर सुबह खाली पेट पीने से मोटापा बढ़ना रुक जाता है और 5–6 महीने तक नियमित सेवन से मोटापा कम हो जाता है।

कब्ज – कब्ज हो तो नींबू का रस 2 चम्मच और शक्कर 2 चम्मच एक कप पानी में घोलकर रात को सोते समय पिएं। इस नियम का पालन करने पर कब्ज होने की शिकायत नहीं होती।

आंतों की सफाई – सप्ताह में एक गिलास गरम पानी में नींबू का रस और सेंधा नमक मिलाकर पीने से आंतों की सफाई हो जाती है।

हिचकी रोकने में सहायक – नींबू के रस में काला नमक और शहद मिलाकर पीने से हिचकी बंद हो जाती है।

अल्पपित्त – अल्पपित्त (हारपर एसिडिटी) की प्रारम्भिक अवस्था में दोपहर के भोजन के आधा घंटा पहले एक गिलास ठंडे पानी में एक नींबू निचोड़कर एक चम्मच (बड़ा) शक्कर घोल कर पीना चाहिए। यह प्रयोग दोनों वक्त यानी भोजन करने के आधा घंटा पहले (रात के भोजन एवं दोपहर के भोजन) करना चाहिए।

कान–दर्द – नींबू का रस 50 मि.ली. और सरसों का तेल 10 मि.ली. मिलाकर आग पर तब तक पकाएं जब सिर्फ 10 मि. ली. शेष रह जाए। इसे ठंडा करके छान ले और शीशी में भर ले। इसकी 2–2 बूंद ऊपर से कान में टपकाने से कान का दर्द, कान का पकना व खुजली आदि व्याधियां नष्ट हो जाती हैं।

दांतों को स्वस्थ रखने में सहायक – नींबू में विटामिन 'सी' भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन "सी" की कमी से "स्कर्वी" नामक रोग हो जाता है। इस रोग में मसूड़ों में सूजन आ जाती है तथा खून से बचने का कारगर उपाय है। सरसों के तेल में नींबू का रस मिलाकर एवं चुटकी भर नमक मिलाकर मंजन करने पर एवं इसके छिलके को भी दांतों पर रगड़ने से दांत एवं मसूड़े स्वस्थ बने रहेंगे।

सिर में पुसिंदा होने पर – सिर में पुसिंदा हो रही हो तो सरसों का तेल और नींबू का रस बराबर मात्रा में मिलाकर बालों की जड़ों में लगाकर हल्के–हल्के मालिश करें। फिर दही लगाकर अच्छी तरह मसल कर पानी से धो ले। एक बार लाभ न होने पर प्रयोग जारी रखे।

बालों में चमक के लिए – प्याज के रस में नींबू का रस मिलाकर आधा घंटे बालों में लगे रहने दे। फिर साफ पानी से धो ले। दूसरा, बालों में अंडे की सफेदी में नींबू डालकर अच्छे से फेटे और आधे घंटे तक बालों में लगाएं। फिर पानी से धो ले। बाल चमकदार एवं सुन्दर दिखेंगे।

त्वचा को सुन्दर बनाने के लिए – सोने से पहले गरम पानी में नींबू का रस मिलाकर त्वचा पर लगाने से त्वचा चिकनी एवं कांतिमय बन जाती है।

जी मचलना – अपच के कारण जी मचलता हो तो नींबू को बीच से चीरकर दो भाग कर ले। फिर उसमें रूढ़ि शंकर, काली मिर्च, काला नमक चारों बारीक पिसी हुई एक–एक चुटकी दोनों टुकड़ों में भर दे और आग पर हल्का गर्म करें फिर ठंडा होने पर चूसे। इस प्रयोग से जी मचलना व उल्टी आना बंद हो जाएगा।

अजवायन को साफकर उसमें काला नमक मिलाकर एक कटोरी में एक नींबू का रस निकालकर अजवायन और काला नमक को अच्छे से मिलाकर इस मिश्रण को छाया में सुखाएं। सूखने के पश्चात् इसे बोतल में भरकर रखें और रात्रि के भोजन के पश्चात् इसका प्रयोग करने से गैस एवं कब्ज की शिकायत दूर होती है।

अतः नींबू का उपयोग हमारे आहार में लेने पर हमारा शरीर स्वस्थ एवं निरोग रहता है तथा रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है। अतः नींबू एक गुणकारी फल है जो हमारी सेहत का रक्षक है।

(लेखिका हवाबाग महिला महाविद्यालय, जबलपुर में सहायक प्राध्यापक हैं)
ई–मेल : soniya_steels@gmail.com

पाठकों / लेखकों से अनुरोध

आप "कुरुक्षेत्र" पत्रिका के नियमित पाठक/लेखक हैं तो आप जरूर चाहेंगे कि आपके गांव या उसके आसपास आ रहे बदलाव के बारे में सभी लोगों को पता चले। आपके गांव या आसपास जरूर ऐसी कोई महिला/पुरुष या स्वयंसेवी संस्था होगी जिसके बूते पर बदलाव की ब्यार चली हो। सरकारी प्रयासों के चलते भी आपके गांव का कुछ कायापलट तो हुआ ही होगा।

अगर आपके पास ऐसी कोई भी जानकारी है तो आप उसे अपने शब्दों में लिखकर (फोटो सहित) भेजें। लेख छपने पर उसका उचित पारिश्रमिक भी दिया जाएगा। रचना दो प्रतियों में टाइप की हुई हो (kruti dev font 010) और उसके साथ ई–मेल तथा मौलिकता का प्रमाण पत्र संलग्न हो। हमारा पता है – वरिष्ठ संपादक, कुरूक्षेत्र (हिंदी), कमरा नं. 655, 'ए' विंग, निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली–110001, आप हमें लेख ई–मेल भी कर सकते हैं।

ई–मेल : kuru.hindi@gmail.com

पुरुषार्थी कृषक महिला मंजू लोधा

घनश्याम वर्मा

कहते हैं परिस्थितियां, लाचारी और मजबूरी व्यक्ति से सब कुछ करवा लेती हैं। ऐसा व्यक्ति अच्छे कार्य भी कर सकता है और बुरे भी। चाहे तो वह बुलंद हौंसला रखते हुए कड़ी मेहनत और लगन से कार्य करता हुआ सम्मानजनक जीवन जी सकता है और चाहे तो कुमार्ग पर चलकर अपनी तथा अपने परिवार की छवि को धूमिल भी कर सकता है।

बूंदी जिले की गुमानपुरा पंचायत की अल्कोदिया ग्राम की सत्ताइस वर्षीय कृषक महिला श्रीमती मंजू लोधा के जीवन की कहानी अत्यन्त संघर्षपूर्ण है। अल्कोदिया कृषि प्रधान ग्राम है जो बूंदी जिला मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूर है। इसी ग्राम के साधारण कृषक परिवार में मंजू का जन्म हुआ। उसने अपने गांव तथा समीपस्थ बंरूधन में नवीं तक शिक्षा प्राप्त की। चौदह वर्ष की उम्र में ही मंजू का विवाह कर दिया गया। उसके होश संभालने से पहले ही पिता मांगीलाल का साया परिवार से उठ गया था। वयस्क होने पर गौना हुआ तो मंजू ससुराल जाने–आने लगी। वहां उसने एक पुत्र को भी जन्म दिया। बाद में अपने पति और ससुरालवालों के बेरुखीपूर्ण रवैये से परेशान होकर उसने हमेशा के लिए ससुराल पक्ष से नाता तोड़ लिया। लम्बे समय से मंजू अभी पीहर में रह रही है। साथ में उसका नौ वर्षीय बेटा कमल, मां कांतीबाई और एक परित्यक्ता बड़ी बहिन सुगना बाई भी रहती है।

परिस्थितियों ने मंजू को एक ऐसी जीवट महिला बना दिया है जो किसी अन्य व्यक्ति पर किसी भी कार्य के लिए आश्रित नहीं है। वह न केवल महिलाओं द्वारा बल्कि पुरुषों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को भी भली प्रकार से कर लेती हैं। निसंदेह मंजू जैसी पुरुषार्थी कृषक महिला समाज की उन सभी महिलाओं के लिए अनुकरणीय उदाहरण है जो परिस्थितिवश दूसरे के वशीभूत होकर ही अपना जीवन निर्वाह करने को मजबूर हो जाती हैं।

मंजू से एक मुलाकात में उसने बताया कि उसके पिता की करीब सत्तर बीघा कृषि योग्य जमीन है जिसमें से 18 बीघा भूमि उसकी मां तथा एक स्व. भाई की बीवी के हिस्से की है, जिस पर वह स्वयं ही काश्त करती हैं। खेतों में सिंचाई के लिए नलकूप लगा रखा है। कभी नहरों से भी मामूली सिंचाई सुविधा मिल जाती है। संयुक्त खाते की शेष जमीन उसके तीन भाईयों के पास है जो अपने हिसाब से खेतीबाड़ी करते हैं।

अपने खेतों में सोयाबीन, मक्का, धान, सरसों, लहसुन आदि की पैदावार लेती है। दोनों सीजन में खेती पर होने वाला खर्चा निकालने के बाद करीब लाख–सवा लाख की बचत हो जाती है, जो उसके परिवार की आमदनी है। मंजू की इच्छा है कि वह अब पीहर में रहकर उन्नत कृषि विधियां अपनाते हुए कृषि कार्य करे। खेतों में पाइपलाइन व ड्रिप सिस्टम भी लगवाना चाहती है। वर्मी कम्पोस्ट यूनिट लगाने में भी उसने रुचि दिखाई है। मंजू के घर में दो भैंसें भी हैं जिनका रखरखाव भली प्रकार किया जाता है। मंजू की मां ने उसके लिए किसी सरकारी योजना में मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता दिलाने का आग्रह भी नहीं किया है।

मंजू ने बताया कि खेतीबाड़ी के अधिकांश कार्य वह स्वयं करती हैं। करीब दस वर्ष पूर्व शौकिया तौर पर उसने ट्रेक्टर चलाना सीख लिया था, जिसका लाभ उसे वर्तमान विषम परिस्थितियों में मिल रहा है। कृषि कार्यों में ट्रेक्टर चलाने का कार्य वह स्वयं ही करती है। इसके अलावा मंजू मोटर साईकिल भी चला लेती है और गांव से समीपस्थ गांव, कस्बों या बूंदी जिला मुख्यालय पर अपनी बाइक से चली जाती है। खेतीबाड़ी में काम आने वाले सभी कृषि उपकरणों को वह भली प्रकार से संचालित कर लेती हैं।

खेती में बुवाई पूर्व की तैयारियां, बुवाई, खरपतवार नियंत्रण, खाद डालना, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव, सिंचाई करना, फसल कटाई, खलिहान के कार्य तथा कृषि उपज को मंडी में बेचना आदि सभी कृषि कार्यों को वह बेझिझक कर लेती हैं।

स्लम एरिया को बनाया लक्षित समूह

महिलाओं तथा किशोरियों को आत्मनिर्भर बनाने का मकसद लेकर स्वरोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने वाली बूंदी की एक जीवट महिला का नाम है रेखा पाराशर। रेखा का जीवन आरंभ से ही संघर्षपूर्ण रहा है। बाल्यावस्था में ही पिता का साया उठ गया था। आज वे जिस मुकाम पर हैं, उसका श्रेय वह अपनी मां श्रीमती गीता शर्मा को देती हैं।

रेखा पाराशर ने बताया कि तीन वर्ष पूर्व महिला बाल विकास विभाग की अधिकारी शोभा पाठक की सलाह पर उन्होंने दस महिलाओं का समूह गठित किया था। उस समूह का नाम मरूधर स्वयंसहायता समूह रखा गया। समूह में शामिल की गई सभी महिलाएं एक ही विचारधारा की होने के कारण कोई भी कार्यक्रम करने या प्रस्ताव लेने में तुरंत एकमत होकर स्वीकृति दे देती हैं। समूह की बैठक प्रतिमाह 15 तारीख को होती है। सभी सदस्याओं से पचास रुपये प्रतिमाह अंशदान लेकर राशि बैंक में जमा करवाई गई। समूह का बचत खाता स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर में खुलवाया गया।

श्रीमती पराशार ने बताया कि उन्होंने अपनी रुचि के अनुसार पूजा की थाली, ज्वैलरी मेकिंग तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां बनाने के स्वरोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ किए। इस कार्य में महिला सुपरवाइजर कुसुमलता ने भी उनका मार्गदर्शन किया।

उन्होंने बताया कि प्रथम प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद उनके समूह ने बैंक से 25 हजार रुपये का ऋण लिया। इस राशि से वे कच्चा माल खरीद कर लाईं और स्वरोजगार आरंभ किया। उनके समूह की महिलाओं तथा प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं एवं बालिकाओं द्वारा बनाई गई पूजा की थालियों, ज्वैलरी एवं पीओपी आईटमों को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जयपुर, उदयपुर, तालेड़ा आदि स्थानों पर आयोजित हाट बाजारों में बिक्री के लिए ले जाया गया, जहां उन्हें अच्छा लाभ मिला। वर्ष 2009 में रवीन्द्र रंगमंच जयपुर में आयोजित स्वयंसहायता समूहों के राज्य–स्तरीय आयोजन में उनके समूह द्वारा निर्मित पूजा की थाली को सर्वश्रेष्ठ हस्तनिर्मित उत्पाद घोषित किया गया था।

मरूधर स्वयंसहायता समूह का टर्नओवर चार–पांच लाख रुपये सालाना तक पहुंच गया है और प्रतिवर्ष करीब दो–ढाई लाख तक की आय महिला समूह को हो जाती है, जो वे समूह की महिलाओं को समान रूप से वितरित कर देती हैं। समूह की महिलाओं में सुमित्रा रैगर (अध्यक्ष), गीता रैगर (सचिव), रेखा पाराशर (कोषाध्यक्ष), ममता दीक्षित, रीना, गीता मीणा, कमला मीणा, आशा चौधरी, मोहर बाई तथा संतोष पाराशर शामिल हैं। सभी स्लम एरिया में निवासरत परिवारों की घरेलू महिलाएं हैं।

इस समूह ने पिछड़ी बस्तियों को ही अपना कार्यक्षेत्र बनाया हुआ है। वह लड़कियों को चित्रकारी, मूर्तियां तथा ज्वैलरी

बनाना सिखाती हैं ताकि वे भी अपने जीवन में स्वावलंबी बन सकें। बूंदी के वार्ड नम्बर 35 के आंगनबाड़ी केन्द्र (प्रथम) के आसपास की अनुसूचित जाति की महिलाओं तथा समूहों से जुड़ी महिलाओं को वे पूजा थाली बनाने का प्रशिक्षण देती हैं। संजीवनी समूह की महिला सदस्य बीना पराशर स्लम एरिया की एससी परिवारों की महिलाओं को समूहों में जोड़ने का कार्य करती हैं।

रेखा पाराशर अब तक करीब डेढ़ सौ महिलाओं तथा किशोरियों को प्रशिक्षण दे चुकी हैं। इनके प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महिलाएं तथा किशोरी बालिकाएं बढ़–चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। ये किशोरियां प्रतिमाह डेढ़ से दो हजार रुपये घर बैठे ही कमा लेती हैं। अभी वह घर पर ही हॉबी क्लासेज लगाकर प्रशिक्षण देती हैं और पूजा थालियों, मूर्तियों तथा आर्टिफिशियल ज्वैलरी आइटमों की बिक्री से प्रतिमाह 40 से 50 हजार रुपये तक कमा लेती हैं। जयपुर के हस्तशिल्प एम्पोरियमों, शिल्पमेलों, ग्रामीण हाट बाजारों में उनके उत्पादों पूजा की थाली–कटोरी, तथा परम्परागत आइटमों की काफी डिमांड रहती है। निसंदेह रेखा पाराशर जैसी कर्मठ, परिश्रमी, कर्त्तव्यनिष्ठ एवं व्यवहारकुशल महिला न केवल स्वयं के परिवार के लिए बल्कि अन्य कई महिलाओं के लिए भी आर्थिक सम्बल का सशक्त माध्यम बनी हैं, जो अनुकरणीय उदाहरण है।

(लेखक सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी हैं)
ई–मेलः cprbrn@hotmail.com

हमारे आगामी अंक

अप्रैल, 2011 – बजट 2011–12
मई, 2011 – गांवों में शिक्षा
जून, 2011 – ग्रामीण भारत में ऋण सुविधा
जुलाई, 2011 – बेहतर कृषि प्रबंधन
अगस्त, 2011 – गांवों में बेहतर प्रशासन
सितंबर, 2011 – ग्रामीण महिला सशक्तिकरण
अक्तूबर, 2011 – (विशेषांक) ग्रामीण भारत में नई पहल

इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास, कृषि, रोजगार व स्वास्थ्य से संबंधित लेख भी इनमें शामिल किए जाएंगे। उपरोक्त विषयों पर सारगर्भित लेख (आम बोलचाल की भाषा में) व फोटो हमें भेजे जा सकते हैं। पत्रिका के प्रकाशन की तिथि आगामी माह से तीस दिन पूर्व होती है। अतः प्रकाशन सामग्री कम से कम 45 दिन पूर्व हमें मिल जानी चाहिए ।

राष्ट्र को सलाम

62वें गणतंत्र दिवस पर

सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

KH-3/11/1

davp 2111/13/0021/1011

आर. एन. आई./708/57
डाक–तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. (एस)–05/3164/2009–11
आई.एस.एस.एन. 0971–8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस.
दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.)–55/2009–11

R.N.I./708/57
P&T Regd. No. DL (S)-05/3164/2009-11
ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-55/2009-11
to Post without pre -payment at R.M.S. Delhi.

प्रकाशक और मुद्रक : अरविन्द मंजीत सिंह, अपर महानिदेशक (प्रभारी), प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.
मुद्रक : अरावली प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्रा. लि., डब्ल्यू-30 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया-II, नई दिल्ली-110 020 : वरिष्ठ संपादक : कैलाश चन्द मीना